सूची अध्याय

अध्याय संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	**प्रस्तावना**	1.22
	❖ भूमिका	1.3
	❖ लोकायुक्त संस्थान का उद्‌भव व विश्व में उसका आधार	3.6
	❖ राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का इतिहास	6.7
	❖ भारत में भ्रष्टाचार परिदृष्य के संबंध में विचार	7.17
	❖ लोकायुक्त अधिनियम में संशोधनों पर विचार करने हेतु गठित समितियां	17.18
	❖ वेब साइट एवं आई.वी.आर.एस.	18
	❖ जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठकें	19.20
	❖ वार्षिक प्रतिवेदन	21
	❖ लोकायुक्त राजस्थान के तीस वर्ष	21.22
2	राजस्थान राज्य के लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त	23
3	लोकायुक्त सचिवालय में पदस्थापित रहे सचिव	24
4	लोकायुक्त सचिवालय की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति	25
5	क्षेत्राधिकार	26
6	जांच एवं अन्वेषण करने की प्रक्रिया	27.28
7	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 एवं अन्य राज्यों के लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानों एवं प्रक्रिया का तुलनात्मक विश्लेषण, कमियां एवं उक्त परिप्रेक्ष्य में सुझाव	29.30
8	लोकायुक्त संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने की आवश्यकता	31.36
9	लोकायुक्त संस्थान को अन्वेषण एजेन्सी की आवश्यकता	37.38
10	अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्‌समैन) सम्मेलन	39
11	सांख्यिकी	40.41
12	सुझाव	42.48
13	धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अन्वेषण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण	49.59

14	परिवादीगण को प्रदान किये गये अनुतोष के प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण	60.71
15	सूची–परिशिष्ट–1 सूची–परिशिष्ट–2	72

प्रस्तावना

भूमिका

संविधान देश की आधारभूत विधि है । इसी से 26 जनवरी, 1950 को लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई है । इसका उद्देश्य भारतीय जनता को समान रूप से समान अधिकार प्रदान करना है।

यह देखना राज्य का कर्त्तव्य है कि देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि सर्वसाधारण का हित साधन सर्वोत्तम रूप से हो सके और आर्थिक प्रणाली के प्रचालन का परिणाम यह न हो कि सम्पदा तथा उत्पादन के स्रोतों का संग्रह, कुछ हाथों में ही रह जाय, जिससे अधिकांश व्यक्तियों का अहित हो जाय ।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने सरकारी क्रिया-कलापों की संख्या और विविधताओं में भारी वृद्धि की है । आज सरकारी प्रशासन से लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक समस्त कार्यकलापों की व्यवस्था करना अपेक्षित है । लोक सेवा का अपरिमित विस्तार हो जाने से नौकरशाही का विस्तार हुआ है । इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक प्रक्रियाओं में गुणात्मक वृद्धि हुई है जिससे प्रशासनिक शक्तियां एवं विवेकाधिकार कार्यपालिका के विभिन्न स्तरों में निहित हो गये हैं और जहां शक्तियां और विवेक हैं, वहां शक्ति के दुरूपयोग व भ्रष्टाचार का पनपना संभव हो जाता है । अतः विवेक के प्रयोग के लिये, नियंत्रण के समुचित तरीके निकाले जाने की आवश्यकता है ताकि इसके दुरूपयोग से उत्पन्न होने वाले कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार के अवसरों को सीमित किया जा सके ।

अतः प्रशासन अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग करें, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी तंत्र को स्थापित करना, आज की महती आवश्यकता है । कार्यपालिका को जितनी अधिक शक्तियां प्रदान की जाती हैं उनको मनमाने या अनुचित प्रयोग के विरूद्ध बचाव की आवश्यकता भी उतनी ही बढ़ जाती है । इस प्रकार आज की आवश्यकता तो यह है कि प्रशासन को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाय ताकि उनकी आकांक्षाएं पूरी हो सकें ।

प्रजातांत्रिक शासन तंत्र में भ्रष्टाचार युगों से चलती आ रही घटना है और इसके लिये मंत्रालय तथा सिविल सेवा एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं कर सकते । यह सर्वव्यापी हो गया है और इसने जीवन के हर क्षेत्र को इस सीमा तक प्रभावित कर दिया है कि अब तो इसे जीवन पद्धति के रूप में ही माना जाने लगा है । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र छूटा हो, जो इससे अछूता हो ।

राजनीति में भ्रष्टाचार तो एक सामान्य सी बात है । स्वयं की समृद्धि के लिये सरकारी पद का दुरूपयोग करना एक सामान्य सी परिपाटी बन गई है। भ्रष्टाचार ने न केवल सरकार के, वरन् लोगों के सदाचार को भी नष्ट कर दिया है । इससे सरकार एवं जनता दोनों में समान रूप से अक्षमता आ जाती है । लोग भ्रष्ट लोक सेवकों की मुट्ठियां गरम करके कानून की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं ।

आज हरित क्रान्ति के बावजूद हमें मिलावटी खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं । यहां तक कि हमें औषधियां भी नकली मिल रही हैं, जिसके कारण नागरिकों का स्वास्थ्य संकटग्रस्त हो जाता है । प्रतिदिन हमें विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन, स्वर्ण, मादक पदार्थों व हथियारों की तस्करी से संबंधित समाचार पढ़ने को मिलते हैं । कालाबाजारी, जमाखोरी सहित कोई भी बुराई नैसर्गिक प्रकृति की नहीं होती है अपितु वे प्रशासन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं दक्षता के अभाव का परिणाम है ।

भ्रष्टाचार और कुप्रशासन दोनों के साथ-साथ चलते रहने का नियम सा बन गया है और इनके एक साथ हो जाने से लोकतंत्र को भारी खतरा हो गया है और समाज में अंदर ही अंदर सुलगता असंतोष किसी भी समय प्रकट हो सकता है । अतः इससे पूर्व कि असंतोष विस्फोटक स्थिति में पहुंचे, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये लड़ना आवश्यक हो गया है ।

हमारे देश व राज्य में नियंत्रण क्रियाविधि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस व राजनीतिक दलों के रूप में विद्यमान है । इसके अलावा तदर्थ जांच भी की जाती रही है और की जाती है । वैधानिक उपचारों में विभिन्न समितियां सम्मिलित हैं । इनमें वे समितियां भी सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से कार्यपालिका के कृत्यों का पुनरावलोकन होता है । प्रश्नकाल में सूचना प्राप्त की जाती है । बजट पर लोगों की शिकायतें सार्वजनिक रूप से रखी जाती हैं और प्रस्तावों और संकल्पों के माध्यम से नीतियों की आलोचना की जाती हैं । वित्तीय समितियां, जैसेकि लोक उपक्रमों के कार्य का पुनरावलोकन करने वाली लोक समिति, वित्तीय एवं आर्थिक प्रशासन का पुनरावलोकन करती है, परन्तु अन्य देशों और भारत का अनुभव दर्शाता है कि वैधानिक उपचार पर्याप्त नहीं होते हैं ।

न्यायपालिका विधि सम्मत शासन सुनिश्चित करने के लिये और विधि के दुरूपयोग को रोकने के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है । परन्तु अनुभव ने हमें बतलाया है कि प्रशासन के विरूद्ध न्यायिक उपचार की गति धीमी होती है और इसकी अधिकारिता अत्यन्त सीमित होती है। इसकी क्रिया विलम्बकारी, खर्चीली और असुविधाजनक होती है और इसीलिये ज्यादातर नागरिक प्रशासनिक प्राधकारियों की स्वेच्छाचारिता, विलम्ब, अकर्मण्यता एवं पक्षपात के विरूद्ध न्यायालय की शरण नहीं लेते । विभिन्न विभागों में शिकायत अनुभाग खोले हुए हैं व शिकायत समितियां, सतर्कता आयोग तथा सतर्कता समितियां भी यहां वहां स्थापित हैं, परन्तु वे नागरिकों में विश्वास की यह भावना जगाने में असफल रही हैं कि उनकी शिकायतों का न्यायोचित रूप से एवं तेजी से निराकरण किया जावेगा ।

प्रशासन के विरूद्ध शिकायतें सामने लाने का काम सामाचार पत्रों द्वारा भी किया जाता है, जो कि तुलनात्मक रूपसे सस्ता साधन है, परन्तु सामान्यतया यह देखा गया है कि नौकरशाही इनकी अनदेखी कर देती है ।

कर्मचारियों द्वारा शक्ति के अवैध प्रयोग और पद के दुरूपयोग के विरूद्ध भी प्रशासनिक उपचार करने हेतु प्रयत्न किये गये हैं । भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में शिकायत अनुभाग भी खोले गये हैं । इसी प्रकार हमारे राज्य में भी शिकायत अनुभाग खोले गये हैं, परन्तु उन शिकायतों के निवारण हेतु प्रशासनिक प्राधिकारियों की नियुक्ति करने से व अपने ही साथियों या वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, उन्हें नागरिकों की शिकायतों को कम करने में सफलता नहीं मिली है ।

नौकरशाही सदैव अपने बचाव में कार्य करती है जिसका परिणाम यह हुआ है कि अधिकारी संभावित परेशानी टालने के लिये स्वयं की और अपने अधीनस्थों की भारी भूलों पर पर्दा डाल देते हैं। भ्रष्टाचार के निरोध हेतु भारत सरकार ने भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरूपयोग के आरोपों पर विचार करने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त सतर्कता आयोग की नियुक्ति की हुई है, परन्तु यह देखा गया है कि सतर्कता आयोग का कार्य निष्पादन जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है व नागरिकों में यह विश्वास की भावना जगाने में असफल रहा है कि उनकी शिकायतों का न्यायोचित एवं सम्यक् रूप से उपचार किया जायेगा ।

अत: एक ऐसी एजेन्सी की आवश्यता महसूस की गई जिसके द्वारा किया गया प्रशासन का पुनरावलोकन सस्ता, शीघ्र, स्वतंत्र एवं पक्षपात रहित हो । यह एजेन्सी स्केन्डीनेवियन एवं अन्य देशों में प्रचलित ऑम्बुड्समैन और भारत में कई राज्यों में स्थापित लोकायुक्त संस्थान के सिवाय दूसरी कोई नहीं हो सकती । श्री पी.वी.गजेन्द्रगढ़कर ने अपनी पुस्तक *''ला, लिबर्टी एण्ड सौशल जस्टिस''* में यह बात दृढ़तापूर्वक कही है कि जब तक हम ऑम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधान मण्डलीय प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक समस्या का प्रभावकारी रूप से निदान नहीं हो सकेगा ।

ऑम्बुड्समैन या लोकायुक्त की यह संस्था इस कमी को पूरा करती है और एक प्रभावकारी एवं दक्ष प्रशासन, जो भ्रष्टाचार एवं अनुचित आचरण से मुक्त हो, दिलवाना संभव करती है । मूलत: सरकारी कर्मचारियों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग एवं गलत उपयोग पर नियंत्रण रखने की लोगों की इच्छा को पूरा करने और साधारण व्यक्तियों, जिनके पास सरकारी या राजनीतिक दबाव या पहुंच नहीं होती, को न्याय दिलाने के लिये लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त संस्थान का सृजन विधानमण्डल के अधिनियम के द्वारा किया गया है ।

लोकायुक्त संस्थान का उद्भव व विश्व में उसका आधार

यह कहना सही नहीं है कि ऑम्बुड्समैन की परिकल्पना 20वीं सदी के लोकतान्त्रिक एवं लोक कल्याणकारी राज्य की असाधारण घटना है, अपितु देखा जाये तो यह विकासवादी प्रक्रिया की उपज है ।

रोमन गणराज्य के समय नियुक्त किये गये मजिस्ट्रेट, प्रशासक कार्यवाही की समीक्षा करते थे और कुप्रशासन से संबंधित शिकायते सुनते थे ।

चीन में हान वंश के शासनकाल में एक निरन्तर चलने वाली नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी जिसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारी वर्ग पर निगाह रखी जाती थी व यदि अन्यायी या दमनकारी अधिकारी को तुरन्त सजा दी जाती थी और सताये गये व्यक्ति के अधिकार पूर्णरूपेण बहाल किये जाते थे ।

मुगलकाल में जहांगीर घंटे की आवाज सुनकर किसी भी समय जनता की शिकायतें सुना करता था ।

स्वीडन पहला देश है जिसने ऑम्बुड्समैन संस्था को वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1809 में प्रारंभ किया । इसके पश्चात् इस अवधारणा ने समय पाकर गति पकड़ी एवं इससे प्रेरित होकर फिनलैण्ड ने सन् 1919 में, नार्वे ने सन् 1962 में इस संस्था को प्रारंभ किया । ब्रिटेन ने भी 1967 में संसदीय आयोग की नियुक्ति करने की व्यवस्था की ।

आज यह अवधारणा एक वैश्विक स्वरूप धारण कर चुकी है व वर्तमान में यह संस्था विश्व के कई देशों में कार्य कर रही है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

अफ्रीका

- बोत्सवाना, बुर्किना फासो, कैमरून, जिबूती, गैबन, गाम्बिया, घाना, मैडागास्कर, मलावी, मॉरीशस, मौरीटाना, मोरोक्को, नामीबीया, नाईजीरिया, सेनेगल, सेशेल्स, सियेरा लियोन, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तन्जानिया, ट्यूनिशिया, उगाण्डा, जांबिया, जिम्बाबवे

एशिया

- भारत, हांग कांग, इण्डोनेशिया, जापान, मकाउ, चीन, पाकिस्तान, फिलीपीन्स, दक्षिण कोरिया श्रीलंका, ताइवान, थाईलैण्ड

ऑस्ट्रेलिया एवं पैसिफिक

- ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैण्ड्स, फिजी, न्यूजीलैण्ड, पापुआ न्यूगिनी, सोलोमन आईलैण्ड्स, वानुआतू, वेस्टर्न समाओ

कैरेबियन एवं लैटिन अमेरिका

- एन्टीगुआ/बरबूडा, अर्जेन्टीना, बारबाडोस, बेलीज, बोलीविया, ब्राजील, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डोमीनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, गुयाना, हैती, होण्डूरास, जमैका, मैक्सीको, निकारागुआ, पनामा, पैरागुवे, पेरू , सैन्ट लूसिया, ट्रिनिडाड एण्ड टौबैगो, वेनेजुएला

यूरोप

- अल्बानिया, एण्डोरा, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बेल्जियम, बोस्निया एण्ड हर्जेगोविना, क्रोयेशिया, साइप्रस एवं तुर्की, चैक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, यूरोपियन यूनियन, फिनलैण्ड, फ्रांस, जोर्जिया, जर्मनी, जिब्राल्टर, ग्रीस, ग्रीनलैण्ड, हंगरी, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इजराइल, इटली, कोसोवा, किरगिजिस्तान, लाटविया, लिथूआना, मेसीडोनिया, माल्टा, मोल्डोवा, नीदरलैण्ड्स, नोर्वे, नोर्दन साइप्रस एण्ड टर्की, पोलैण्ड, पूर्तगाल, रोमानिया, रशियन फैडरेशन, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्वीटजरलैण्ड, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, उजबेकिस्तान

उत्तरी अमरीका

- कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका

इतने देशों में ऑम्बुड्समैन संस्थान की स्थापना ने जवाबदेह, पक्षपातरहित, पारदर्शी सुशासन प्रदान करने में इसके महत्व को साबित किया है ।

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने भी ***''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस आफ सिटिजन्स ग्रीवेन्सेज''*** विषयक अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार की व्याप्ति, चारों ओर फैली

अकुशलता तथा जनसामान्य की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदन शून्यता के विरूद्ध प्रायः उभरने वाले जन आक्रोश पर विचार किया और जन अभियोग निवारण के लिये तथा दुर्व्यवस्था से उद्भूत हुई भ्रष्टाचार या अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिये लोकपाल तथा लोकायुक्त की कानूनी संस्थाओं की सिफारिश की ।

परन्तु, केन्द्रीय स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति के बिल का क्या हस्र अब तक हुआ है, इससे सभी अवगत हैं ।

केन्द्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 9 मई, 1968 को लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल, 1968 प्रस्तुत किया गया जिसे दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया । संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 26 मार्च, 1969 को प्रस्तुत की । इस बिल को लोक सभा ने दिनांक 20 अगस्त, 1969 को पारित कर राज्य सभा को भेज दिया, जो राज्य सभा में लंबित रहा और चौथी लोकसभा के भंग हो जाने के कारण लैप्स हो गया ।

दिनांक 11 अगस्त, 1971 को चौथी लोकसभा द्वारा पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल को लोकसभा में पुनः प्रस्तुत किया गया । यह बिल भी पांचवीं लोकसभा के भंग हो जाने के कारण लैप्स हो गया ।

दिनांक 28 जुलाई, 1977 को लोकपाल बिल, 1977 प्रस्तुत किया गया, जिसे दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया । संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 जुलाई, 1978 को प्रस्तुत करदी, परन्तु छठी लोकसभा का सत्रावसान कर दिये जाने के कारण यह बिल भी लैप्स हो गया ।

दिनांक 26 अगस्त, 1985 को लोकपाल बिल, 1985 प्रस्तुत किया गया जिसे दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया, परन्तु बिल पर मतैक्य नहीं हो सका और बिल को दिसम्बर, 1986 में वापिस ले लिया गया ।

दिनांक 26 दिसम्बर, 1989 को लोकपाल बिल, 1989 को प्रस्तुत किया गया, यह बिल भी नवीं लोकसभा के भंग हो जाने के फलस्वरूप लैप्स हो गया ।

दिनांक 13 सितम्बर, 1996 को लोकपाल बिल, 1996 प्रस्तुत किया गया जिसे गृह मामलात की संसदीय स्थाई समिति से संबंधित विभाग को सौंपा गया जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 9 मई, 1997 को प्रस्तुत की । परन्तु यह बिल भी लोकसभा के भंग हो जाने के कारण लैप्स हो गया ।

दिनांक 3 अगस्त, 1998 को लोकपाल बिल, 1998 प्रस्तुत किया गया जिसे गृह मामलात की संसदीय स्थाई समिति से संबंधित विभाग को सौंपा गया जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत की । परन्तु यह बिल भी लोकसभा के भंग हो जाने के कारण लैप्स हो गया ।

दिनांक 14 अगस्त, 2001 को लोकपाल बिल, 2001 प्रस्तुत किया गया जिसे गृह मामलात की संसदीय स्थाई समिति से संबंधित विभाग को सौंपा गया जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26 फरवरी, 2002 को प्रस्तुत की । परन्तु यह बिल भी लोकसभा के भंग हो जाने के कारण लैप्स हो गया है।

वर्ष 1968 से लेकर 2004 तक ऐसे महत्वपूर्ण बिलों को अधिनियम का रूप न दे पाना राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी को दर्शाता है । उपर्युक्त बिलों की परिणति को देखने से यह लगता है कि हमारी केन्द्र की सरकारों व सांसदों का स्वच्छ, पारदर्शी, जवाबदेह, पक्षपात रहित सुशासन के बारे में क्या दृष्टिकोण रहा है ।

हालांकि विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम बनाये जाकर इस संस्थान की स्थापना की गई, जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	राज्य	अधिनियम का नाम
1	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971
2	राजस्थान	राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973
3	बिहार	बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973
4	उत्तर प्रदेश	उत्तरप्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975
5	मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981
6	आन्ध्रप्रदेश	आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1983
7	हिमाचलप्रदेश	हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983
8	कर्नाटक	कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 1984
9	आसाम	आसाम लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1985
10	गुजरात	गुजरात लोकायुक्त अधिनियम, 1986
11	दिल्ली	दिल्ली लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1995
12	उड़ीसा	उड़ीसा लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 1995
13	पंजाब	पंजाब लोकपाल अधिनियम, 1996
14	केरल	केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999
15	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ लोकआयोग अधिनियम, 2002
16	उत्तराचंल	उत्तरप्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 वर्ष 2002 में उत्तरांचल सरकार द्वारा इस अधिनियम को अपनाया गया ।

हरियाणा राज्य में लोकायुक्त अधिनियम को निरसित कर दिया गया है ।

राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का इतिहास

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अध्यादेश सं. 3 24 जनवरी, 1973 को प्रख्यापित किया गया था तथा 25 जनवरी, 1973 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । यह अधिसूचित किया गया था कि यह अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत होगा । यह अध्यादेश 1973 के राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम संख्या 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 26 मार्च, 1973 को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई थी । यह अधिनियम भी उसी तारीख से अर्थात् 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत हुआ समझा गया जिस तारीख को अध्यादेश प्रवृत हुआ था ।

श्री के.पी.यू.मेनन, जो कि इस अधिनियम के पूर्व राजस्थान सतर्कता आयुक्त थे, इस अधिनियम की धारा 3(1) के द्वितीय परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित, प्रथम उप-लोकायुक्त नियुक्त किये गये । इन्हें 5 जून, 1973 को राज्यपाल द्वारा उप-लोकायुक्त के पद की शपथ दिलाई गई थी, तत्पश्चात् वे सतर्कता आयुक्त नहीं रहे । 28 अगस्त, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ को प्रथम लोकायुक्त की शपथ दिलाई गई।

भारत में भ्रष्टाचार परिदृश्य के संबंध में विचार

Views in respect of corruption Scenario in India

In the last two decades, corruption has assumed vast proportions. It has become a burning national problem. Unless, it is curbed and eradicated, development and good governance is not possible. Our declarations are for 'zero' tolerance. Every Government makes its declarations. Declarations of transparent, honest, responsive and corruption free Governance by the Government remains a simple verbal utterance. We have seen in these two decades that development has been blocked and delayed because of corruption. Corruption is not only anti-development, but also anti-people and anti-national. Ombudsmen movement has gained worldwide acceptance, as the goal of all Government's is good governance. Slogan of development will not work unless we establish corruption free society. Pace of development will be very fast in a corruption free society.

As per the survey, made by Transparency International, it has been stated in the Corruption Perception Index (CPI) 2003 that India stands at 83rd position out of 133 countries. 50 countries ranked higher than India and India had a score of 2.8 out of possible high of ten. Transparency International, India, in their survey, has found that thousands of crores of rupees is paid as illegal gratification, bribe and 'slush money' in India every year.

According to study by Washington DC-based Centre for Public Integrity, India has been ranked as one of the most corrupt countries in the world. The study was the first ever international probe into the extent of opennes, accountablility and governance in 25 democratic countries. India finds 18th place in the 25-member list. It has has been so reported in the Indian Express dated 5th May, 2004.

India has become the country of scams, scandals, Swindlers, smugglers, racketeers, money launderers, and Hawala operators. India has seen scams like Urea Scam, Telecom Scam, Fodder Scam, Securities Scam, Bank Scam, Defence Deals Scam, P.S.C.'s Scam, Paper Leak Scams (CAT, CPMT, IIM etc.), UIT Scam, Telgi Stamp paper Scam, Taj Corridor, Jogi-Joodevo Scam, Multi crore disproportationate property Scam (Shri Prakash Singh Badal) and several others. Ghoos, Ghapla's, Ghotala's, Galore. News papers all over the country are full of such reports. Number of editorials, letters to the editors, articles in papers and journals magazines have appeared.

This malaise affects even judiciary. Justice Arun Madan had to resign. Justice Samit Mukherjee is alleged to be involved.

It is said that Capitals of the country have not only become capitals of crime but also capitals of corruption. Every seat of power, howsoever, high or low, by and large, has become seat of corruption.

Shri Satyendra Dube, the engineer in the Prime Minister's Golden Quadrilateral Road Project in Bihar was shot-dead, being a 'whistle blower', who adopted the philosophy of 'zero' tolerance. It is high time to have some legislation for the protection of whistle blowers.

When this matter was agitated before the Supreme Court through Public Interest Litigation, the Central Government responded to the views of the Supreme Court and informed that till law is enacted, Central Vigilance Commission will have power to look into the Whiltle Blowers grievances.

The Central Government has informed to the Supreme Court on 26th April, 2004 that it has put in place a mechanism to protect "whistle blowers" bringing to light the corruption in public life. The Ministry of Personnel has notified a resolution empowering the Chief Vigilance Commission to receive all complaints alleging corruption in public life pertaining to the Central Government. On the direction of Supreme Court, guide lines have been framed for protection of "whistle blowers" as an interim measure before Parliament took up a Bill in this regard. The notified resolution, while making leakage of the name of the whistle blower an offence, has given power to the CVC to conduct preliminary inquiry into the complaint and initiate appropriate proceedings against the government servants.

Another philosophy is ''सब चलता है'' i.e. life goes on, as it is. Another philosophy is ''पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम, खुदा से कम भी नहीं'' These philosophies have taken roots.

Our former Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee, in his statement in the Parliament, has said that such politicians are blot on democracy.

His Excellency the Vice-President of India Shri Bhairon Singh Shekhawat has very recently on 23rd December, 2003 quoted the Prime Minister and expressed anguish ''सत्रावसान करते हुए शेखावत ने कहा – माननीय सदस्यों, हम सभी भारतीय लोकतंत्र को खोखला बनाने वाले भ्रष्टाचार के विषाणु से अत्यंत क्षुब्ध है । भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुई एक बहस का जवाब देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा – 'कौन सही है, कौन गलत है, कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, यह फैसला तो बाद में होगा । मगर लोकतंत्र के मुंह पर कालिख तो लग गई । .....' ये चेतावनियां है। दो चेतावनियां – लोकतंत्र के लिए, भारत के भविष्य के लिए । भैरोसिंह शेखावत ने सत्रावसान के आखिरी संबोधन में आगे कहा – ''मैं सभी वर्गो से और प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की अपील करता हूँ''

In the Jharkhand Mukti Morcha case, the Supreme Court has declared that members of Parliament and members of Legislative Assemblies are public servants. We must build public opinion in this country so that members of Parliament and members of Legislative Assemblies, as public servants, are also required to give their annual property returns to the speaker or the Chairman of the Rajya Sabha, as the case may be. If they happened to have benami property, then it should also be liable for confiscation.

Here are some views expressed in connection with the corruption scenario in India.

His Excellency the President of India Dr. A.P.J.Abdul Kalam

Inaugurating a two-day national seminar on **"access to justice",** organçed by the Supreme Court Advocates on Record Association in association with the United Nations Development Programme, the President said that with the rising all-round awareness and a demand for a clean and corruption-free public life, the burning issue of probity in public life was increasingly coming into focus.

> *"Conduct and behaviour in public life are, like never before, under very close scrutiny". It was essential that the three pillars of democracy - Legislature, Judiciary, and Executive - "are strong in structure, pure in form and uncorrupted and unblemished in conduct".*

The President made it clear that "if we cannot make India corruption-free, then the vision of making the nation developed by 2020 would remain as a dream". (The Hindu April 27, 2003)

His Excellency the Vice President of India Shri Bhairon Singh Shekhawat

In his first ever interview to Shri Mahesh Daga (appeared in the Times of India, New Delhi dated 7 April, 2003) since assuming office, the Vice President said:-

> *"On the issue of corruption, for instance, we've got to ask ourselves why is it that people in high places, whether in politics or bureaucracy or the police, routinely get away despite having cases registered against them? In the last 55 years, hardly any influential people have been sentenced for corruption. I'd like Parliament to apply its mind to this, so that the guilty are not allowed to get away lightly."*

Former Prime Minister of India, Shri Atar Bihari Vajpayee

While inaugurating a Conference of C.B.I. and State Anti-Corruption Bureaus at Vigyan Bhawan, he said:-

> *"We shall not tolerate corruption, howsoever highly placed the offender may be."*

> *"Let each institution in our democracy do the work that the law earmarks as its domain - in proper coordination with other institutions; with no interference or pressure from outside; with requisite autonomy but with full responsibility."*

> *He reminded C.B.I. officers that they could create a deterrent impression that "no fish - big or small - can escape your net."*

Former Defence Minister of India, Shri George Fernandes

Speaking at the golden jubilee celebrations of Sri Ramakrishna Vidyashala at Mysore on January 10, 2004, lamented that corruption existed in all spheres.

Soli Sorabjee, as Attorney General of India

In the Sunday Express dated January 4, 2004, he stated:-

We have been crying hoarse about corruption. Laws have been enacted but to no avail. The cancer continues to spread. Open and shut cases linger on endlessly, the corrupt gentry brazenly flaunt their wealth and position in society with impunity. A law which requires strict implementation is the one which deprives the corrupt of the fruits of their misdeeds by confiscating their properties which are the outcome of corruption. This will pinch more than imprisonment because the jail authorities can be fixed and the prison cell will be provided with the comforts of a five star hotel.

The Unites Nations has recently drafted a Convention against Corruption. About 120 governments met in Mexico on 9th December 2003 for the signing ceremony of the first legally binding international agreement to combat corruption. After signing the Convention, governments will embark on the process of bringing their laws and practices in accord with the Convention and obtaining national ratification. Thirty ratifications are needed for the Convention to enter into force. The Secretary General in his message stressed that corruption violates the socio-economic human rights of the people especially in the developing countries because funds meant for roads, wells, hospitals, schools and other basic necessities are siphoned off and deposited in safe havens abroad.

It must be realçed that a corrupt public servant is in reality a human rights violator and should be perceived and treated as such. Unfortunately there is no social ostracism in our country. Persons with well earned reputation for massive corruption are lionçed and are invited to inaugurate schools and hospitals. Apparently there is tacit acceptance of corruption. Erudite seminars and routine fulminations about corruption are mere sound and fury signifying nothing. And so it will be unless there are speedy trials and convictions coupled with vigorous mobilçation of public opinion against corruption. Incidentally when will the Lok Pal Bill become law? Are bookies prepared to offer any odds? Probably not. It is such a dull and boring subject.

Shri P.Chidambaram, former Finance Minsiter of India in his lecture delivered at the Nehru Centre, Mumbai on February 21, 2004, (excerpt of lecture published in the Sunday Express dated February 22, 2004) said :-

"Politicians and civil servants have forfeited the trust of the people. They are no longer regarded as the fence that protects; they are seen as the fence that eats the crop. They are seen as a class apart and as a law unto themselves. No one extends any sympathy when a civil servant is arrested and thrown into jail, albeit for a few days, on a charge of corruption. No one sheds a tear when a politician passes away. Government is seen as a necessary evil, and politicians and civil servants are regarded as the praetorian guards of an evil and oppressive system.

We think, without understanding the crucial difference, that 'Rule by Law is the Rule of Law' Under the Rule of Law, "howsoever high you may be, the law is above you." On the contrary, under Rule by Law, a small section of the people arrogates to itself the power to rule. That section remains above the law, bends the law to suit its needs or brazenly breaks the law if it is necessary to achieve its own ends. There is a compact among select politicians, civil servants, judges, businessmen, brokers and ciminals, and we live under the shadow of this unholy alliance."

The Supreme Court of India

The Hon'ble Supreme Court in the case of High Court Of Judicature At Bombay Versus Shiris Kumar Rang Rao Patil And Another[1] has observed as under: -

"Corruption, appears to have spread everywhere. No facet of public function has been left unaffected by the putrefied stink of corruption. Coruption, thy name is depraved and degraded conduct. Dishonesty is thine true colour, thine corroding effect is deep and pervasive; spreads like lymph nodes, cancerous cells in the human body spreading as wild fire eating away the vital veins in the efficacy of public functions. It is a sad fact that corruption has its roots and ramifications in the society as a whole. In the widest connotation, corruption includes improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office. The root of corruption is nepotism and apathy in control on narrow considerations, which often extend passive protection to the corrupt officers. The source and succour for acceptability of the judgement to be correct, is upright conduct, character, absolute integrity and dispassionate adjudiction as hallmarks."

In another judgement their Lordships of the Supreme Court in State Of M.P. v. Ram Singh[2] have observed as follows:-

"Corruption in a civilised society is a disease like cancer, which if not detected in time, is sure to malignise (sic) the polity of the country leading to disastrous consequence. It is termed as a plague, which is not only contagious but if not controlled spreads likea fire in a jungle. Its virus is compared with HIV leading to AIDS, being incurable. It has also been termed as royal thievery. The socio-political system exposed to such a dreaded communicable disease is likely to crumble under its own weight. Corruption is opposed to democracy and social order, being not only anti-people, but aimed and targeted against them. It affects the economy and destroys the cultural heritage. Unless nipped in the bud at the earliest, it is likely to cause turbulence-shaking of the socio-economic-political system in an otherwise healthy, wealthy, effective and vibrating society."

The Supreme Court of India in Criminal Appeals No.114 of 2000 with Nos. 116 and 115 of 2000 State of M.P. and others v. Ram Singh and others, decided on February 1, 2000[(2000) 5 Supreme Court Cases 88] held as under:-

---

1 (1997) 6 Supreme Court Cases 339
2 (2000) 5 Supreme Court Cases 88

"8. Corruption in a civilçed society is a disease like cancer, which if not detected in time, is sure to maliganise (sic) the polity of the country leading to disastrous consequences. It is termed as a plague, which is not only contagious but if not controlled spreads like a fire in a jungle. Its virus is compared with HIV leading to AIDS, being incurable. It has also been termed as royal thievery. The socio-political system exposed to such a dreaded communicable disease is likely to crumble under its own weight. Corruption is opposed to democracy and social order, being not only anti-people, but aimed and targeted against them. It affects the economy and destroys the cultural heritage. Unless nipped in the bud at the earliest, it is likely to cause turbulence - shaking of the socio-economic-political system in an otherwise healthy, wealthy, effective and vibrating society."

The Supreme Court of India in the case of State of Andhra Pradesh v. V.Vasudeva Rao [reported 2003(9) Scale Page No.569] has observed as under:-

"Corruption is one of the most talked about subjects today in the country since it is believed to have penetrated into every sphere of activity. It is described as wholly widespread and spectacular.

Corruption as such has reached dangerous heights and dangerous potentialities. The word 'corruption' has wide connotation and embraces almost all the spheres of our day-to-day life the world over. In a limited sense it connotes allowing decisions and actions of a persons to be influenced not by rights or wrongs of a cause, but by the prospects of monetary gains or other selfish considerations. Avarice is a common frailty of mankind, and while Robert Walpole's observation that ***every man has a price,*** *may be a little generalçed****, yet it cannot be gainsaid that it is not far from truth****. Burke cautioned, "Among a people generally corrupt, liberty cannot last long."*

News Papers and Magazines

Shri Bhaskar Ghose, in his article under the caption **"Worms in the system"** in Hindustan Times dated June 9, 2003 (Jaipur Edition), while considering the various investigating agencies investigating corruption cases, stated:

Surely, at some time those responsible - someone like L.K.Advani, for example - needs to stand back and reflect on what is going on in this terrible business, and decide that enough is enough. It is possible to issue orders to get essential things done - position men where necessary; give them the powers and discretion they need to act quickly; bring all the enforcement agencies together to work as one, and take swift action at the lowest level and at the highest.

A constable taking a bribe, or a corporation official, or someone in any small office - quick, resolute and determined action needs to be taken to deal with them and not just to start an inquiry, the usual ploy behind which our enforcement agencies tend to hide. The elimination of corruption must not be, additionally, the responsibility of any one agency; every person in authority must be made to take similar swift steps to stamp it out.

It won't be easy. I know of a recent case whether a member of the staff of someone holding a very high office was caught red-handed, stealing a large sum of money. Soon after that the dignitary was besieged by the man's colleagues, his wife, his son, his brother and most of his community with pleas like: "He's a poor man, how will his family live? He has two daughters to marry off, his children will starve" and so on. Issues the dignitary was expected to consider, but not the man, when he stole the money!

Garib hai, use maf kar dijiye. That is the acid test. At some point it has to be made clear, no matter how painful it is, that there can be no compromise with dishonesty. Being rich or poor has nothing to do with it. It is a question of how we live, how we want to live. With honour, or with equivocation. It is a matter which is completely non-negotiable.

And unless that hard decision can be taken, that uncompromising attitude to dishonesty made generally accepted, and unless the means of eliminating it made much more effective and quick, we will remain where we are - wallowing in sensational disclosures, and paying off officials just to get on with our lives.

In Hindu (Delhi Edition) dated: January 13, 2004 under the caption **"Whistleblower and martyrdom"** how blowers have been treated, their account has been given. Considering the names, the names of **Satyendra Dubey**, a brilliant young engineer had the audacity to expose the dubious activities of people in power, managing the construction of the highly publicçed network of roadways, of which the Golden Quadrilateral that runs through Bihar is a major segment. He played the role of the whistleblower and paid with his life for his indiscretion.

Other names, which have been appeared in R.K.Murthi's "Open Page" includes name of Chandra Shekhar, a brilliant young man from Bihar. He was a research student at the Jawahar Lal Nehru University at Delhi and was done away with for raising accusing fingers at men of might.

The names of Shanker Niyogi, Sanjay Ghose, Safdar Hasmi were also referred. Is there an antidote? Yes, there is. The President, A.P.J.Abdul Kalam, has the right cure for the malady. He notes, "If committed people have to work selflessly, we have to ensure their safety." Easily said than done. That is rather a tall order, and given the present settings, highly unlikely to be adopted.

The Indian Express dated July 2, 2003 in its editorial under the caption "We've been here before" stated:-

"First, there's the overwhelming deja vu. The clearing by the Cabinet of the Lokpal Bill sets the stage for yet another outing of what must surely rank as the longest pending piece of legislation in our country. The proposal to set up an institutional watchdog to check corruption in high places has had a remarkably tortuous career from the time the Bill was first introduced in Parliament in 1968. Over the years, the loud efforts by successive governments to talk up the legislation without ever seeing it through into the statute book have imbued it with a powerful symbolism. It has come to signify the unwillingness of the country's

political class to take action against corruption in high places. It has embodied the system's resistance to scrutiny and accountability.

Having said that, it must be pointed out just passing the Lok Pal Bill after all these years cannot be deemed to be achievement enough. Questions must be asked in an outside of Parliament, and a public debate initiated, to refine its provisions. Is the Lokpal's ambit broad enough. Is it given the statutory and financial teeth, and the structural autonomy, that alone can enable it to function with credibility? Or will it be just another ineffectual gesture, like the Lok Ayukta in the state? The experience of the state-level ombudsman has been an unequivocally unhappy one. Baring too few exceptions, the Lok Ayuktas have been rendered virtually impotent by little power, limited funds and overbearing political interference. When they have not willingly succumbed to the diktat of the government of the day, that is. While the cases of wrongdoing and corruption that demand their attention have multiplied over the years, sadly the Lok Ayuktas still do not do anything efficacious in response.

It may not be a good idea, therefore, to include the office of the prime minister in the Lokpal's purview. It must first be proved that the Lokpal is going to be more than an institution that will play host to political vendettas when it is effective, and feebly exhort the political class into shame when it is not.

News appeared in **Indian Express** dated: August 6, 2003 under the caption ***"For speaking up, Govt. staffer loses job"*** a 42 years old Suraj Bhan Singh is an ordinary man who just wanted to do his job honestly. But nobody let him - and after 14 years of **"seeing and being corrupted**," a frustrated Singh penned sown everything in a book, hoping that the truth would help streamline the system. It didn't, and he lost his job.

"It was like the corrupt had won and an honest man had lost," wispers Singh's co-worker, worried that any association with Singh would adversely affect him. "But there is absolutely nothing anyone can do about it, is there? And all this despite the fact that he had asked for proper permission before publishing the booklet."

Last December, Singh wrote a letter to the state industry minister and secretary. Enclosed with the letter was a thin booklet which told the sordid story of corruption in the Rajasthan State Bunker Co-operative Society, a public sector undertaking looking after the interests of weavers in the state.

To avoid retribution, he set the book in the 1800s and created fictitious names. but most feel that the story is all about the present, about corrupt officials forcing their juniors to *"tell lies and be corrupt."*

For six months, he waited for a response from the industry department or the ministry. He got none and on July 9, Singh decided to circulate the thin booklet at a board meeting of the Bunkar Sangh.

The 22 page booklet, titled ***Naukari Karni Hai to Brashtachar Karna Hoga,*** stunned everyone. Set exactly 100 years ago, the book talks of how a senior official at the

Bunkar Sangh forced his subordinate to release a cloth order without waiting for the mandatory test report. When his direct order was refused, the official bent some rules and got the consignment passed anyway.

Starting with stories of *"small corruption"* involving Rs. 47,000 to lakhs disappearing from the central stores, Singh has talked about a lot of bungling at various levels.

The Indian Express dated October 8, 2003 in its National Network Page under the caption *"NGO ranks India 83rd in global corruption survey"* stated:-

> *"India has bagged the 83rd place in a worldwide corruption survey of 133 countries. The corruption perception index was worked out after a series of surveys by Germany based NGO Transparency International (TI) in 133 countries and based on "perceptions of corruption among expartiates, academia and residents."*
>
> According to the India survey, Indians paid Rs. 26,728 crore as bribe to 10 departments in a year. All over the world political parties, courts and police were pinpointed as most corrupt as per the survey. Bangladesh came out on top as the most corrupt country followed by Nigeria and Haiti. Finland was the least corrupt country followed by Iceland and Denmark. Singapore came fifth. UK came in 11th, US 18th and Pakistan came 92nd.
>
> In India the figures were released by Transparency International-India. "According to the survey we have not become worse but have done marginally better, said NGO Chairman Admiral R.H.Tahiliani. The countries where corruption levels were shooting up were Argentina, Belarus, Chile, Canada and Israel, according to a TI press release.
>
> In 2003, India's integrity score stood at 2.8, up from 2.7 in 2001 and 2002. Countries that scored nearest to 10 had the lowest corruption levels. Finland was the *"least corrupt"* country with a score of 9.7 and Bangladesh got a score of 1.3."

The Hindu dated July 7, 2003 in its editorial under the caption "Making Politicians Accountable" stated:-

> *"The much-delayed Lok Pal regime, when it is put in place, can be a starting point. An institutional watchgod against corruption essentially means that the corrupt do not have to be electrorally defeated to be brought to justice. Another effective anti-corruption step will be persuading or pressuring the political clall to drop its resistance to a potent law making declaration of assets mandatory for anyone contesting elected offices. After all, most cases against politicians out of power relate to amassing disproportionate wealth. If tighter laws and institutionalised mechanisms against corruption were put in place, we might see an end to the soap-operatic spectacle of politicians changing places between the Secretariat and the prison."*

In Magazine Day-After Sunil K Dang, Editor-in-Chief in his Editorial **"Is there any cure for corruption?"** said:-

> *"Are we a dead society? We hear about corruption, we talk about corruption, we read about corruption and shake our heads. But we never do anything about it. The question every one of such must ask, seriously and honestly, is: Is there any cure for corruption? Even If I have a corrupt mind, do I accept corruption without questioning, without protest? Do I compromise rather than combat corruption? If I accept corruption as a part of my environment and daily life, does not that make me a collaborator with corruption. "*

He has said that official of Delhi Development Authority, including its vice-chairman and others allegedly amassing huge fortunes. It is time that the DDA is renamed as 'Corruption Development Agency'.

दैनिक भास्कर के रविवारीय अंक दिनांक 11 अप्रेल, 2004 में ''रसरंग'' पृष्ठ पर **''कहां, कितना भ्रष्टाचार''** एवं **''खादी और खाकी''** शीर्षक से निम्न समाचार प्रकाशित हुए:-

कहां, कितना भ्रष्टाचार

'ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल' की 2003 की ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट में भ्रष्ट देशों की सूची के अलावा भ्रष्टाचार के बारे में और भी काफी कुछ बताया गया था । रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में खादी (राजनीति) और खाकी (पुलिस) में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है । इसके अलावा जिन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार अधिक है, वह है :-

- पब्लिक ऑफिस
- प्रायवेट इंटरेस्ट सेक्टर
- प्रशासन
- कस्टम
- बैंकिंग
- सेना

इनके अलावा सभी छोटे-बड़े सरकारी विभागों में छोटे-बड़े स्तर के भ्रष्टाचार होते रहते हैं। भारत के संदर्भ में इस सूची में अब क्रिकेट का नाम भी जुड़ा, जिसमें सट्टा और मैच फिक्सिंग का कारोबार करोड़ों का है और अपने आपमें पूरा एक व्यापार है । इसी कारण 2003 के विश्व कप में इसे रोकने के लिये आईसीसी ने पूरी एक टीम बना कर इसकी निगरानी करवाई थी । रिपोर्ट के अनुसार चारित्रिक भ्रष्टाचार भी होता है, जो सबसे ज्यादा बैंकिंग के क्षेत्र में पाया जाता है।

खादी और खाकी

''प्रसिद्ध लेखक ऐलन सी. ब्राउनफील्ड ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिकल करप्शन' (राजनीतिक भ्रष्टाचार) में लिखा हे कि विश्व भार के लोग उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार में इतने लिप्त क्यों रहते हैं ? जहां भी बड़े घोटाले होते हैं उनके पीछे कोई न कोई राजनीतिज्ञ अवश्य होता है और इनमें से किसी को भी कभी सजा नहीं होती । शायद यही कारण है कि बड़े से बड़ा व्यापारी भी आखिरकार राजनीतिज्ञ ही बनना चाहता है । इसी तरह के विचार लोगों ने उनसे पुलिस के संबंध में भी व्यक्त किये । अपने निबंध 'एनालिसिस ऑफ पुलिस करप्शन' में उन्होंने लिखा कि ज्यादातर पुलिस अधिकारी अपनी ताकत का दुरूपयोग करते हैं।

'पावर करप्ट्स' को चरितार्थ करते हुए वे अपने निजी कार्यो को पूरा करना चाहते हैं। दूसरी ओर सी.बी.आई. के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह का कहना है कि पुलिस को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए उन्हों दी जानी वाली सुविधाएं बढ़ाना होंगी क्योंकि उनके वेतन इतने कम होते हैं कि सिर्फ उनके बलबूते गुजारा नहीं हो सकता। एक विचार यह भी है कि संभवत: खादी के हस्तक्षेप ने खाकी को ज्यादा भ्रष्ट किया है और यदि नेताओं का दखल न हो तो न केवल भ्रष्टाचार, बल्कि बड़े अपराधों में भी कमी आएगी । पुलिस का भ्रष्टाचार राजनेताओं के संरक्षण या दबाव के नीचे पनपता है । आखिर तेलगी कांड में फंसे आर.एस.शर्मा के साथ छगन भुजबल को भी पद से जाना तो पड़ा ही है, आरोपों की सच्चाई अंतत: कुछ भी निकले ।''

लोकायुक्त अधिनियम में संशोधनों पर विचार करने हेतु गठित समितियां

राज्य सरकार ने दिनांक 29 जुलाई, 1997 को आज्ञा **परिशिष्ट-A** जारी कर राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधनों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों पर विचार करने हेतु श्री हरिशंकर भाभड़ा, तत्कालीन उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छ: सदस्यीय समिति का गठन कर उसे अपनी रिपोर्ट 6 माह की अवधि में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।

तत्पश्चात् दिनांक 8 जून, 2000 को आज्ञा **परिशिष्ट- A-1** जारी कर श्री बी.डी.कल्ला, तत्कालीन कार्मिक मंत्री की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधनों का परीक्षण कर अपनी दो माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने गठन किया ।

उपर्युक्त दोनों समितियों द्वारा राज्य सरकार को क्या कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया अथवा नहीं और क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई अथवा नहीं, इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को अ.शा. पत्र दिनांक 5 फरवरी, 2004 को **परिशिष्ट- A-2** लिखा गया, किन्तु प्रतिवेदन लिखे जाने समय तक उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इस विषय में राजस्थान के दो राज्यपालों के निम्न कथन भी प्रासंगिक हैं :-

भ्रष्टाचार के विषय में पूर्व **राज्यपाल श्री अंशुमान सिंह** ने राजस्थान पत्रिका रविवारीय दिनांक 11 मई, 2003 के अंक में प्रकाशित साक्षात्कार में निम्न कथन किया है :-

''भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है ?

भ्रष्टाचार तो है, कार्रवाई भी होती रहती है, छापे भी पड़ते रहते हैं लेकिन पिछले वर्षो में किसी बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई । लोकायुक्त जब भी मिलते हैं, तो यही कहते हैं कि ब्रॉदर, हम तो टीथलैस हैं । सरकार सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं करती और हम एक्ट के हिसाब से कुछ कर नहीं कर सकते । एक्ट में अमेन्डमेन्ट पर सरकार राजी नहीं है ।''

दिनांक 10.6.2003 को 21वें वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने पर उसका अवलोकन करने के पश्चात् **तत्कालीन राज्यपाल, श्री निर्मल चन्द्र जैन** ने भी इस संस्थान को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु विभिन्न लोकायुक्तों दिये गये सुझावों के मद्देनजर तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत को एक अ.शा. क्रमांकः एफ.5(1)आरबी/99/5799 दिनांकित 17.6.2003 **परिशिष्ट-B** लिखा, जिसका अंश निम्नानुसार है :-

> ''विभिन्न लोकायुक्त महोदयों ने समय-समय पर अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में यह मत व्यक्त किया है कि अभी उस संस्था के हित में बहुत करना बाकी है । मै इस संबंध में अपने कोई विचार जोड़ना नहीं चाहता । लोकायुक्त के 21वें वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ कर मुझे लगा कि उनके मन में वेदनायें हैं कि उचित व्यवस्था के अभाव में और विधिक कमजोरी के कारण वे उतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक लोकायुक्त से वास्तविक अपेक्षा है।''

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों का विभिन्न राज्यों के लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान का लोकायुक्त अधिनियम सबसे कमजोर अधिनियम है ।

वेब साइट एवं आई.वी.आर.एस.

जैसाकि पूर्व के प्रतिवेदनों में उल्लेख किया जा चुका है, इस सचिवालय के शिकायतों से संबंधित सभी कार्यो का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है । इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आम जनता को लोकायुक्त संस्थान के कार्यो के बारे में अधिकाधिक जानकारी बिना जयपुर आये ही प्रदान करने के उद्देश्य से इस संस्थान की वेब साइट एवं आई.वी.आर.एस. की सुविधा को प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी शिकायतकर्ता अपने परिवाद के स्टेटस की जानकारी कहीं से भी एवं कभी भी प्राप्त कर सकता है ।

उपर्युक्त दोनों सुविधाओं से शिकायतकर्ता उन सभी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उन्हें इस सचिवालय में आकर ही प्राप्त होती है ।

जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठकें

मैंने जब दिनांक 26.11.99 को लोकायुक्त के पद का कार्यभार संभाला, तब तक इस सचिवालय में (1.4.99 से 25.11.99 तक) कुल 223 शिकायतें ही प्राप्त हुई थी जिससे यह स्पष्ट हुआ कि राजस्थान की जनता को इस संस्थान की विद्यमानता एवं कृत्यों के संबंध में समुचित जानकारी नहीं है ।

अतः जनता को इस संस्थान के महत्व, कार्य एवं क्षेत्राधिकार से परिचित कराने के लिये दिनांक 30.5.2000 को मीडिया के माध्यम से जनता तक लोकायुक्त संस्थान की उपस्थिति एवं कार्यो का परिचय देने हेतु एक प्रेस कॉन्फरेन्स आयोजित की गई ।

इसी क्रम में दिनांक 14.2.2001 को पुनः एक प्रेस कॉन्फरेन्स आयोजित की गई ।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी उनके द्वारा जिलों में चलाये जाने वाले विधि साक्षरता कैम्पों के माध्यम से इस संस्थान की राज्य में विद्यमानता, कृत्यों एवं क्षेत्राधिकार के बारे में आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराने अनुरोध किया गया।

मैंने स्वयं ने भी इस संस्थान से आम लोगों को परिचित कराने के लिये जनता के बीच जाना उचित समझा और इसी प्रयास में मैंने अब तक 18 जिलों में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की 19 बैठकें आयोजित की हैं, जो निम्नवत् हैं:-

जिले का नाम	**जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक**	**गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक**	**जिले का नाम**	**जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक**	**गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक**
अलवर	01.12.2000	31.11.2000	झालावाड़	21.02.2002	21.02.2002
जोधपुर	27.12.2000	01.01.2001	चूरू	06.03.2002	06.03.2002
पाली	29.12.2000	29.12.2000	हनुमानगढ़	07.03.2002	07.03.2002
नागौर	30.12.2000	30.12.2000	श्री गंगानगर	08.03.2002	08.03.2002
बीकानेर	11.04.2001	11.04.2001	जयपुर	11.07.2002	शेष
बाड़मेर	12.04.2001	12.04.2001	बारां	12.08.2002	12.08.2002
सिरोही	13.04.2001	13.04.2001	बांसवाड़ा	17.10.2002	17.10.2002
माउण्ट आबू	16.09.2001	16.09.2001	चित्तौड़गढ़	18.10.2002	18.10.2002
करौली	05.10.2001	05.10.2001	भरतपुर	20.09.2003	20.09.2003
सवाईमाधोपुर	06.10.2001	06.10.2001	अजमेर	05.01.2004	05.01.2004

भीलवाड़ा, उदयपुर, बून्दी, दौसा, धौलपुर, डूँगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झूनू, कोटा, राजसमन्द, सीकर एवं टोंक में ये बैठकें लिया जाना शेष है ।

इस प्रतिवेदनाधीन अवधि में दिनांक 20.9.2003 को भरतपुर में ये बैठके ली गई थी, परन्तु दिनांक 22.9.2003 को धौलपुर हेतु प्रस्तावित बैठकें तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री निर्मल चन्द्र जैन के आकस्मिक देहान्त के कारण नहीं हो सकी ।

उपर्युक्त सभी बैठकों में लोकायुक्त संस्थान के महत्व, अधिकारक्षेत्र एवं कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई एवं सभी गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की गई कि वे आम जनता को इस संस्थान के बारे में समुचित जानकारी दें ।

बैठकों में उनसे यह भी निवेदन किया गया कि वे सभी संस्थाएं, जो मानव सेवा में कार्यरत हैं, किसी विशेष क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं, किन्तु भ्रष्टाचार उन्मूलन में यदि कोई काम किया जाये, तो वह भी मानव सेवा है और इस दृष्टि से उनको यह आग्रह किया गया कि वे लोकायुक्त संस्थान के काम में आगे आये, हाथ बढ़ाये और जनता को राहत पहुंचायें ।

हालांकि मैंने यह पाया कि कुछ संस्थाएं केवल लैटर पैड पर ही हैं और उनकी कोई विशेष गतिविधियां नहीं हैं । कुछ आयोजन करके खबरे प्रकाशित करदी जाती हैं । इस प्रकार अपना थोड़ा प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा करती हैं । यदि वे अपने काम के अंदर थोड़ा परिवर्तन लायें और जो जनता भ्रष्टाचार से पीड़ित है, उसकी सहायता हेतु कुछ काम कर सके, तो वह एक बहुत बड़ा योगदान होगा ।

विशेष रूप से, मेरी भ्रष्टाचार निरोधक समितियां या जन सतर्कता समितियां, जो इस दिशा में कार्यरत हैं, उनसे अधिक अपेक्षा है । ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे इस मानव सेवा के कार्य में स्वयं कुछ परिलाभ लेकर काम को अंजाम देने के लिए आगे आयें ।

एक और मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि जनता में इस बात को प्रसारित करें और आम नागरिक यह संकल्प ले कि हम किसी प्रकार की कोई घूस, किसी स्तर पर नहीं देंगे । ऐसा संकल्प लेने के पश्चात् यदि हमको अपने काम में कोई कठिनाई आती है, तो ये समितियां उनकी मदद करें और भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत करें या अपने स्वयं के हस्तक्षेप से उस आम नागरिक का काम जिस कार्यालय में लंबित है, उसे पूर्ण कराने का प्रयास करें।

जिला स्तरीय अधिकारियों एवं खास तौर पर जिला कलेक्टरों से यह अपेक्षा की गई कि वे कलेक्ट्रेट में आम जनता की सूचना के लिये एक बोर्ड लगवाएं, जिसमें यह सूचना अंकित की जावे कि वे लोकसेवकगण द्वारा पद के दुरूपयोग करने एवं भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से कार्यवाही के लिए लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत कर सकते हैं ।

उपर्युक्त बैठकों में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जिला स्तरीय अधिकारीगण अपने कार्य में अधिकतम पारदर्शिता अपनाये और यदि वे किसी कारणवश कुछ समय के लिये कार्यालय से बाहर जा रहे हों, तो वे इस संबंध में बाहर लगे बोर्ड पर अंकित करवायें ताकि आगन्तुकों को कोई गलतफहमी न हो ।

इस बात पर भी जोर दिया कि सभी कार्यों के निस्तारण के संबंध में एक समय सीमा निर्धारित करदी जाये और इस बारे में बोर्ड पर अंकित किया जावे कि अमुक कार्य के निस्तारण की अवधि अमुक है ताकि आम जनता को इस बारे में जानकारी हो सके और उसमें देर लगने पर वह उच्चाधिकारियों से शिकायत कर सके । इससे यह लाभ होगा कि कार्य समय पर किये जाने से आम जनता को राहत मिल सकेगी और किसी लोकसेवक को उसका काम अटका कर उसका शोषण करने से मुक्ति मिल सकेगी ।

जहां 1.4.99 से 25.11.99 की कालावधि में कुल 223 शिकायतें ही प्राप्त हुई थी, वहीं उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप 26.11.1999 से 31.3.2000 की कालावधि में 179 शिकायतें, 1.4.2000 से 31.3.2001 की कालावधि में 1101 शिकायतें, 1.4.2001 से 31.3.2002 की कालावधि में 1648 शिकायतें, 1.4.2002 से 31.3.2003 की कालावधि में 1934 शिकायतें तथा 1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि में 1369 शिकायतें प्राप्त हुई । इस कालावधि में विधान सभा चुनाव व लोक सभा चुनाव शुरू होने के कारण जिलों के दौरे कम होने का शिकायतों पर प्रभाव पड़ा है ।

शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या इस बात को इंगित करती है कि राज्य में लोकायुक्त संस्थान के बारे में लोगों को जानकारी होने लगी है और वे इसके महत्व को समझने लगे हैं । अभी इस दिशा में और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ।

वार्षिक प्रतिवेदन

मेरे द्वारा दिनांक 26.11.1999 को लोकायुक्त, राजस्थान के पद का कार्यभार संभालने के पश्चात् 18वां समेकित वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 17 जुलाई, 2000 को, 19वाँ समेकित वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 2 जुलाई, 2001 को, 20वाँ समेकित वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 13 जुलाई, 2002 को तथा 21वाँ समेकित वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 10.6.2003 को प्रस्तुत किया गया था ।

यह 22वां प्रतिवेदन 1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि से संबंधित है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक उन्नीस वार्षिक प्रतिवेदन (1-19) विधानसभा के पटल पर रखे जा चुके हैं ।

ऐसा लगता है कि वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना केवल एक औपचारिकता मात्र ही रह गया है क्योंकि मेरी जानकारी में यह नहीं आया है कि विधानसभा में लोकायुक्तों के उपर्युक्त वार्षिक प्रतिवेदनों पर कोई विस्तृत चर्चा की गई हो ।

समय-समय पर सभी लोकायुक्तों ने अपने विचार प्रतिवेदनों में अंकित किये हैं और सुझाव दिये हैं । संस्थान हेतु जो किया जाना चाहिए, उनको भी प्रकट किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनको गंभीरता से नहीं लिया गया है, उन पर गम्भीरता से विचार नहीं हुआ है, जो होना आवश्यक है ।

भ्रष्टाचार राष्ट्र विरोधी है, विकास विरोधी है और जन विरोधी है । इसे समूल नष्ट करनेवाला कारगर प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

लोकायुक्त संस्थान विधि द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र संस्थान है और इसे सरकार के विभाग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और उसको सक्षम व सशक्त बनाया जाना चाहिए ।

हमारी विधायिका का यह दायित्व बन जाता है कि वह भ्रष्टाचार की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए इस पर गहराई से विचार करे । यह हर भारतीय के लिए चिन्ता का विषय है ।

लोकायुक्त, राजस्थान के तीस वर्ष

जैसाकि ऊपर वर्णित किया जा चुका है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना 3 फरवरी, 1973 को हुई । इस प्रकार इस संस्थान ने वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के तीस वर्ष पूर्ण कर लिये ।

इस उपलक्ष पर संस्थान के तीस वर्ष के कार्यो, उपलब्धियों, समस्याओं एवं समाधान के संबंध में **''लोकायुक्त राजस्थान के तीस वर्ष''** के शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है जिसका विमोचन माननीया श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2004 को किया गया । पुस्तक को प्रधानमंत्री स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना के तहत् बिहार में भ्रष्टाचार का विरोध करने के फलस्वरूप अपने प्राणों की आहूति देने वाले इंजिनियर स्व. श्री सत्येन्द्र दुबे को समर्पित किया गया है।

पुस्तक में कुल 20 अध्याय व 9 परिशिष्ट हैं । प्रस्तावना, परिचय, आभारोक्ति तथा निष्कर्ष एवं सुझाव के अतिरिक्त सभी अध्याय द्विभाषी हैं।

यह पुस्तक शोधार्थियों एवं जिज्ञासुओं के लिये सूचना एवं ज्ञान का सागर साबित होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है ।

राजस्थान के लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त

लोकायुक्त			
क्रस	**नाम**	**दिनांक से**	**दिनांक तक**
1	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, भारत	28.8.1973	27.8.1978
2*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.8.1978	5.8.1979
3	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.8.1979	7.8.1982
4*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	4.4.1984	3.1.1985
5	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	4.1.1985	3.1.1990
6	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.1.1990	6.3.1990
7*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.8.1990	30.9.1993
8*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.1.1994	16.2.1994
9	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	6.7.1994	6.7.1999
10	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	
उप-लोकायुक्त			
1**	श्री के.पी.यू.मेनन, पूर्व आई.ए.एस.	5.6.1973	25.6.1974

* कार्यवाहक लोकायुक्त ।

**प्रथम उप-लोकायुक्त श्री के.पी.यू.मेनन के दिनांक 25.6.74 को त्याग पत्र दिये जाने के बाद से उप-लोकायुक्त का पद निरन्तर रिक्त चला आ रहा है।

लोकायुक्त सचिवालय में पदस्थापित रहे सचिव

क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1	श्री के.सी.शंकरन IAS	20.9.1973	4.1.1974
2	श्री एच.एस.रावत IAS	21.1.1974	1.8.1977
3	श्री टी.आर.अग्रवाल IAS	4.12.1978	6.1.1981
4	श्री एस.एन.मोदी IAS	23.8.1983	31.3.1984
5	श्री परमेश चन्द्र IAS	31.3.1984	4.5.1984
6	श्री अमरेश कुमार सिंह RHJS	4.5.1984	24.11.1990
7	श्री सत्य नारायण साह RHJS	24.11.1990	1.2.1992
8	श्री हरबंस लाल RHJS	1.2.1992	6.5.1996
9	श्री मनफूल राम RHJS	6.5.1996	8.8.1999
10	श्री प्रेम प्रताप सिंह RHJS	6.1.2000	31.3.2002
11	श्री उमेश शर्मा RHJS	31.3.2002	22.7.2002
12	श्री भंवरू खां RHJS	22.7.2002	6.1.2004
13	डॉ. पदम कुमार जैन RHJS	7.1.2004	निरन्तर

उपर्युक्त सभी अधिकारीगण प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित रहे है ।

लोकायुक्त सचिवालय की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में एक लोकायुक्त तथा एक अथवा अधिक उप-लोकायुक्त हो सकते हैं । उप-लोकायुक्त का पद दिनांक 25.6.1974 से रिक्त है, जो प्रथम उप-लोकायुक्त श्री के.पी.यू.मेनन के पदत्याग करने से रिक्त हुआ था।

वर्तमान में लोकायुक्त सचिवालय में 40 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से 39 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं व एक अस्थाई आशुलिपिक का पद रिक्त है । वरिष्ठ अधिकारीगण में सचिव एवं उप सचिव के पद पर राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	स्थाई	अस्थाई	रिक्त पदों की संख्या	
					स्थाई	अस्थाई
1.*	सचिव	1	1	–	–	–
2.*	उप सचिव	1	1	–	–	–
3.	सहायक सचिव	1	1	–	–	–
4.	निजी सचिव	2	2	–	–	–
5.	अनुभागााधिकारी	2	2	–	–	–
6.	वरि. निजी सहायक	1	1	–	–	–
7.	निजी सहायक	1	1	–	–	–
8.	आशुलिपिक	2	1	1	–	1
9.	सहायक	1	1	–	–	–
10.**	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	–	–	–
11.	वरिष्ठ लिपिक	3	3	–	–	–
12.	सहा.पुस्तकालयाध्यक्ष	1	–	1	–	–
13.	कनिष्ठ लिपिक	7	7	–	–	–
14.	जमादार	2	2	–	–	–
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	12	12	–	–	–
16.	तामील कुनिन्दा	2	–	2	–	–
	योग:-	**40**	**36**	**4**	–	1

*प्रतिनियुक्ति पद (वर्तमान में राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर) ।
**राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा ।

लोकायुक्त सचिवालय के संस्थापन का विवरण **परिशिष्ट- C** में दिया गया है ।

क्षेत्राधिकार

लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार का विस्तार निम्नलिखित के सिवाय अधिनियम की धारा-2(i) में परिभाषित राजस्थान राज्य के समस्त लोकसेवकों पर है :-

(1) संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में मुख्य न्यायाधिपति या उच्च न्यायालय का संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में परिभाषित कोई भी न्यायाधीश या न्यायिक सेवा का कोई सदस्य,
(2) भारत में किसी भी न्यायालय का कोई भी अधिकारी,
(3) महालेखाकार, राजस्थान,
(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य,
(5) संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान राज्य,
(6) राजस्थान विधानसभा के सचिवालय स्टाफ का कोई भी सदस्य ।

इस सचिवालय को अन्य कृत्यों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य कृत्य समनुदेषित किये गये हैं:-

(1) लोकसेवकों की ओर से होने वाले अवचार या ईमानदारी के अभाव की शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच करना तथा उसके बाद व्यतिक्रमी लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ करने या अभियोजन चलाने के लिये सक्षम प्राधिकारी को सलाह देने का है ।

(2) जब ऐसा प्रतीत हो कि प्रशासन में किसी भी प्रक्रिया या चलन से भ्रष्टाचार या अवचार का अवसर मिलता है, तो यह सचिवालय सुझाव दे सकता है कि ऐसी प्रक्रिया या चलन में समुचित परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए और संबंधित नियमों को भी उपयुक्त रूप से ऐसे संशोधित कर दिया जाना चाहिए कि जिससे कि लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या अवचार किये जाने की संभावना समाप्त हो जाए ।

इस सचिवालय की भूमिका सिफारिशी एवं परामर्शी है ।

जांच एवं अन्वेषण करने की प्रक्रिया का विवरण अगले अध्याय में दिया गया है ।

जांच व अन्वेषण करने की प्रक्रिया

यह सचिवालय ''दोषी लोकसेवक को दण्ड और निर्दोष को संरक्षण'' के सिद्धान्त का अनुसरण करता है । इसलिये यह सचिवालय लोकसेवकों के विरूद्ध प्राप्त प्रत्येक शिकायत की गहन परीक्षा कर विषय की सच्चाई की तह तक पहुंचने का प्रयास करता है ।

परीक्षण के पश्चात् यदि शिकायत में लगाये गये आरोप अधिक स्पष्ट न हों, तो उसमें लगाये गये आरोपों के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं और यदि मामला प्रथम दृष्टि में ही प्रारंभिक जांच किये जाने का प्रतीत हो, तो उसमें प्रारंभिक जांच किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं ।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिवादी को उसका अवलोकन करके अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता है व आवश्यक होने पर आपत्तियों पर पुनः टिप्पणी भी मांगी जाती है । तत्पश्चात् प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन व आपत्तियों का परीक्षण किया जाता है । परीक्षणोपरान्त यदि आरोप प्रमाणित नहीं पाये जावें, तो शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है एवं यदि आरोप प्रमाणित पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में, या तो कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को लिखा जाता है, या इस सचिवालय स्तर पर प्रारंभिक जांच किये जाने, या सीधे ही, अन्वेषण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं ।

इस सचिवालय स्तर पर प्रांरभिक जांच करने के दौरान् परिवादी, उसके साक्षीगण एवं सुसंगत अभिलेख के परीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध अभिकथन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं, तो प्रारंभिक जांच को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है, जिसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है ।

यदि प्रारंभिक जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाये जाते हैं, तो राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अन्तर्गत उसके विरूद्ध अन्वेषण प्रारंभ करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं और संबंधित लोकसेवक को नोटिस एवं अन्वेषण के आधारों का विवरण, उसका जवाब/स्पष्टीकरण मय शपथ पत्र एवं उन दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिये, भेजा जाता है, जिसे कि वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना उचित समझे एवं उसकी एक प्रति उसके सक्षम प्राधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है।

लोकसेवक को अन्वेषण के दौरान् अपना पक्ष रखने का एवं व्यक्तिगत सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है एवं उसे साक्षियों के प्रतिपरीक्षण का अवसर भी प्रदान किया जाता है ।

अन्वेषण के पश्चात् यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध किये जाने योग्य नहीं पाये जाते हैं, तो अन्वेषण को बंद कर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया जाता है एवं इसकी सूचना परिवादी को भी दी जाती है तथा यदि लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध किये जाने योग्य पाये जाते हैं, तो उसके संबंध में अन्वेषण प्रतिवेदन धारा 12(1) के अन्तर्गत उसके सक्षम प्राधिकारी

को भेजा जाता है, जिसमें यदि लोकसेवक द्वारा कोई दाण्डिक अपराध किया गया हो तो दाण्डिक मामला संस्थित करने या अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की सिफारिश की जाती है ।

यदि किसी मामले में किसी भी लोकसेवक के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया जावे, परन्तु यह प्रतीत हो कि प्रशासन की किसी भी प्रक्रिया या चलन से भ्रष्टाचार या अवचार का अवसर मिलता है, तो यह सचिवालय सुझाव दे सकता है कि ऐसी प्रक्रिया या चलन में समुचित परिवर्तन कर दिया जाये या संबंधित नियमों को उपयुक्त रूप से ऐसे संशोधित कर दिया जावे कि जिससे लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार या अवचार किये जाने की संभावना समाप्त हो जाये या जिससे कि आम लोगों को अनुचित अपहानि न हो ।

शिकायत पूर्णतया मिथ्या एवं आधारहीन पाये जाने पर लोकसेवक को शिकायतकर्ता को अभियोजित करने की अनुमति दी जाती है ।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 एवं अन्य राज्यों के लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानों एवं प्रक्रिया का तुलनात्मक विश्लेषण, कमियां एवं उस परिप्रेक्ष्य में सुझाव

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 का तुलनात्मक अध्ययन यह प्रकट करता है कि इसके प्रावधान अपूर्ण हैं । यद्यपि यह अधिनियम काफी पुराना है, परन्तु इसे अभी तक समुचित रूप से संशोधित नहीं किया गया है ।

राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में अभिकथन की परिभाषा में केवल भ्रष्टाचार को सम्मिलित किया गया है जबकि अन्य राज्यों के अधिनियमों में इसमें परिवेदना, कुप्रशासन, भाई-भतीजावाद और दलगत अभिवृत्ति इत्यादि-इत्यादि को भी सम्मिलित किया गया है ।

जहां तक लोकसेवक की परिभाषा का संबंध है, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकसेवक की परिभाषा में मुख्य मंत्री को सम्मिलित किया गया है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश व केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में विधायकों को भी सम्मिलित किया गया है वहीं दिल्ली के लोकायुक्त अधिनियम में सहकारी समितियों एवं नगर निगमों के चैयरमैन, डिप्टी चैयरमैन, मैनेजिंग डाइरेक्टर एवं सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है जबकि राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में उन्हें लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में एक विशिष्ट अधिसूचना के तहत् ही लाया जा सकता है ।

हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त अधिनियम में विश्वविद्यालय के चांसलर एवं वाइस-चांसलर को लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है वहीं कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में विश्वविद्यालय के कर्मियों को भी सम्मिलित किया गया है ।

आन्ध्रप्रदेश के लोकायुक्त अधिनियम में राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद के पूर्व सदस्यों, मुख्य सचेतक तथा मेयर व विश्वविद्यालय के चांसलर व रजिस्ट्रार को भी लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है ।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक व केरल के लोकायुक्त अधिनियमों के अधीन लोकसेवक, जो सेवानिवृत हो चुके हैं या त्याग पत्र दे दिया हैं, भी लोकसेवक की परिभाषा में आते हैं।

दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा केरल के लोकायुक्त अधिनियमों के अन्तर्गत लोकसेवक भी शिकायत प्रस्तुत करने में सक्षम हैं ।

राजस्थान के लोकायुक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त द्वारा की जानी वाली जांच एवं अन्वेषण की कार्यवाही गोपनीय होगी । लोकसेवक व परिवादी की पहचान उजागर नहीं की जायेगी । लोक महत्व के मामले में अन्वेषण सार्वजनिक तौर पर किया जा सकता है, यदि ऐसा किया

जाना लोकायुक्त लेखबद्ध कारणों से उचित समझे जबकि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश के लोकायुक्त अधिनियमों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम के तहत् प्रारंभिक जांच गोपनीय तौर पर की जाती है जबकि अन्वेषण खुले तौर पर किया जाता है जब तक कि लोकायुक्त अन्वेषण कार्यवाही प्राइवेट तौर पर करना उचित न समझे ।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात के लोकायुक्त अधिनियमों में लोकायुक्त को सम्पत्ति तथा अभिलेख की तलाशी एवं जब्ती का वारंट जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, जबकि केरल लोकायुक्त अधिनियम में लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत व्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है ।

आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत लोकायुक्त के प्रतिवेदन पर बिना किसी अग्रिम जांच के किसी लोकसेवक को अपने पद से हटाया जा सकता है । कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि लोकायुक्त संतुष्ट हो कि संबंधित लोकसेवक को उसके पद पर से हटना चाहिए, उस स्थिति में इस आशय की घोषणा कर दी जावेगी । लोकायुक्त द्वारा की जाने वाली यह घोषणा यदि 3 माह में अस्वीकार नहीं की जाती है, तो उसे स्वीकृत माना जायेगा । यदि संबंधित लोकसेवक अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार ऐसे लोकसेवक को उस पर लागू सेवानियमों के अनुसार निलम्बित रखने की कार्यवाही करेगी ।

परिवेदना के मामलें में महाराष्ट्र, उड़ीसा व केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में यह प्रावधान है कि लोकायुक्त द्वारा सिफारिश भेजने पर वह सिफारिश राज्य सरकार पर बाध्यकारी होती है ।

कर्नाटक, गुजरात एवं केरल के लोकायुक्त अधिनियमों के तहत् लोकायुक्त द्वारा अन्वेषण हेतु राज्य सरकार की किसी एजेन्सी अथवा अधिकारी की सेवाऐं बिना राज्य सरकार की पूर्व सहमति के ली जा सकती हैं ।

मध्यप्रदेश में जिला सर्तकता समितियां लोकायुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में है ।

केरल व कर्नाटक के लोकायुक्त अधिनियमों में जनप्रतिनिधियों/लोकसेवकों द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों का विवरण प्रत्येक वर्ष लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान ।

इस संबंध में इस संस्थान की वर्ष 1973 में स्थापना से लेकर अब विभिन्न लोकायुक्तों द्वारा समय-समय पर दिये गये प्रमुख सुझावों को एक टेबल के रूप में संग्रहीत किये जाने का प्रयास किया गया है, जिसका विवरण **परिशिष्ट-D** में दिया गया है ।

लोकायुक्त संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने की आवश्यकता

लोकायुक्त संस्थान को प्रभावी बनाये जाने हेतु इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने मांग काफी समय से की जाती रही है । इस संबंध में यहां तत्कालीन लोकायुक्त माननीय श्री आई.डी.दुआ द्वारा अपने पांचवें प्रतिवेदन में व्यक्त किये गये विचार को उद्धृत किया जाना उचित होगा, जो निम्न प्रकार से है :-

> "At this stage, I should like to point out that in certain countries, provision for an Ombudsman has been included in their Constitutions. My experience as Lokayukta in the State of Rajasthan during my tenure of office, has induced me to affirm that in India there is greater need for the inclusion in our Constitution of a provision for the creation of institutions of Lok Pal and Lokayuktas, so that these institutions become an integral part of the administrative set-up, in order to enable the citçens to have speedy redressal of their grievances against administrative corruption etc., through institutions created and recognised by the Constitution itself. Since people are now getting more and more conscious of the requirements of a clean, efficient, objective and responsive State administration, such a Constitutional provision would, both enhance the prestige of these institutions, and ensure their creation." (5th Annual Report Page 2-3)

छठे अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त सम्मेलन के समापन समारोह के पश्चात् सम्पन्न हुई लोकायुक्तों तथा उप-लोकायुक्तों की बैठक में अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था और उसकी अनुपालना में लोकायुक्त, राजस्थान से यह अपेक्षा की गई थी कि वह इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, माननीय संघीय गृह मंत्री, माननीय संघीय विधि, न्याय एवं कम्पनी मामलात विभाग तथा माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग को पत्र लिखे । उपर्युक्त प्रस्ताव की अनुपालना में मेरे द्वारा इन महानुभावों को पत्र लिखे गये ।

डॉ0एल.एम.सिंघवी का एक साक्षात्कार *''फोकस''* में अंग्रेजी एवं हिन्दी बुलेटिन में प्रसारित हुआ था, जिसमें उन्होंने संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने की वकालत की । उन्हें साक्षात्कार का मूल पाठ भिजवाने हेतु लिखा गया, जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि उनके पास उपर्युक्त साक्षात्कार लिखित में उपलब्ध नहीं है । उपर्युक्त महानुभावों को लिखे पत्रों में लोकायुक्त संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि लोकायुक्त संस्थायें सम्पूर्ण देश में एकसमान रूप से उनके सृजन के उद्देय को प्राप्त करने हेतु अपने दायित्वों का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री एम.एन.वैंकटचलैया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग ने यह सूचित किया कि मामले को आयोग की अगली बैठक में रखा जावेगा । श्री रघबीर सिंह, सचिव, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग के पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2001 द्वारा इस सचिवालय से छठे अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों एवं

प्रस्ताव का समर्थन करने वाली सामग्री चाही गई । लोकायुक्त, राजस्थान द्वारा श्री रघबीर सिंह को दिनांक 19 फरवरी, 2001 को वांछित सामग्री भिजवाई गई ।

अन्य बातों के साथ-साथ, पत्र में निम्नानुसार लिखा गया :-

"It is significant to note that the States in which the State law exists important provisions are divergent particularly regarding the area of operation, the jurisdiction over Men and Matters, definition of public servant and public functionary, action and allegation, the provisions with regard to powers and procedures also vary. The State Legislators come within the purview of Lokayukta in Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Andhra Pradesh and Delhi but not in other States. Assam, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh have no power to start suo-moto Investigation. Grievances can be the subject matter of enquiry in Maharashtra, Bihar, Uttar Pradesh, Karnataka, Assam, Orissa and Kerala, whereas in other States only allegations can be enquired into. There are several important provisions in some Acts like initiation of proceedings, payment of compensation, power to punish for contempt, furnishing of property statements, disproportionate assets being ground of enquiry, power of search and seçure, independent Investigating Agency, expenditure charged on the consolidated fund of the State Anti Corruption Bureau or Vigilance machinery under the control of supervision of Lokayukta, provision for Interim Report and Interim Orders, provision for calling statistics and material information and inspections of offices. In Rajasthan law, enquiry can be had against the public servants in position and not when resigned or retired or dismissed, or for any other reason irrespective of the fact that they have minted money. Copies of the Welcome Speech & Keynote Speech are to some extent relevant. (Copies annexed as annuxures 3 & 4).

Keeping in view the divergence of laws in the existing State Laws and non-existence of similar laws in about half of the Indian States, not filling up the office of Lokayukta in some States and also keeping in view that there may be no political will for having such an Act in force in the various States and also for effective functioning of these Institutions in various States the Lokayuktas and Upa-Lokayuktas thought the necessity that these situations can be met only when constitutional status is conferred on these Institutions. It is only then that they can effectively function to combat corruption and cure mal-administration in public functionaries. It has also come to the notice during the deliberations of the Conference that at times, the said law has been repealed at the sweet will of the political majority to avoid inconvenient situations.

In this regard, enacted laws in various States and repealing laws of some States may kindly be perused. I think necessary information in this regard would be available from the Parliament Library.

At present, in some State laws, the recommendations of Lokayukta are only recommendatory in nature and final action of binding character rests with the competent authority. If constitutional status is conferred the findings would be of binding nature, if such power is conferred on the Lokayukta.

May I also refer the First, Second, Third and Fifth Conference of Lokayuktas. We have been reiterating such a resolution and some efforts were also made earlier for conferment of constitutional status, the relevant extracts of the resolutions are also annexed."

पूर्व में भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं जिन्हें यहां उद्धृत किया जाना फलदायी होगा ।

लोकायुक्त संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने के प्रश्न पर प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन (अक्टूबर, 1966) में पैरा 37 पर निम्नानुसार व्यक्त किया है :-

"We have carefully considered whether the institution of Lokpal will require any constitutional amendment and whether it is possible for the office of the Lokpal to be set up by Central legislation so as to cover both the Central and State functionaries concerned. We agree that, for the Lokpal to be fully effective and for him to acquire power without conflict with the other functionaries under the Constitution. It would be necessary to give a Constitutional status to his office, his powers, functions, etc. We feel, however, that it is not necessary for Government to wait for this to materialise before setting up the office. The Lokpal, we are confident, would be able to function in a large number of cases without the definition of this position under the Constitution. The Constitutional amendment and any consequential modification of the relevant statute can follow. In the meantime Government can ensure that the Lokpal or Lokayukta is appointed and take preparatory action to set up his office, to lay down his procedures, etc., and commence his work to such an extent as he can without the Constitutional provision. We are confident that the necessary support will be forthcoming from Parliament."

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ने अपने प्रतिनिधि प्रोफेसर के.एस.शुक्ला के माध्यम से लोकपाल बिल, 1985 की संयुक्त समिति (कृपया देखें सी.बी.ाा नं. 365, लोकसभा सचिवालय द्वारा नवम्बर, 1988 में प्रकाशित, पृष्ठ 24-25) के समक्ष निम्नानुसार कहा है :-

"The Lokpal should be given constitutional status. We feel that if the Lokpal is given constitutional status, he will have greater credibility, respectability and administrative stature."

इसी संयुक्त समिति के अध्यक्ष श्री सोमनाथ रथ ने डॉ0एल.एम.सिंघवी से उनके विचार जानने चाहे । प्रश्न एवं उत्तर को यहां उद्धृत किया जा रहा है :-

अध्यक्ष (श्री सोमनाथ रथ) डॉ0सिंघवी से:-

"You have also stated that the Constitution may be amended suitably and you have opined that there ought to be a National Act. We all know that in some States, there is the Lokayukta and in some States, Chief Minister are included within its purview and in other States they are not included. So, will you please clarify whether we should amend the Constitution or we should have a national Act and If so, is it necessary that we should wipe out this Lokayukta?"

डॉ0एल.एम. सिंघवी:-

"My submissions are two-fold. A Constitutional amendment is necessary because I believe that this institution should receive the protection of the Constitution partly because there will be a number of problems of jurisdictional conflicts in which it is likely that it could not protect its independence without a constitutional sanction and ultimately it may be relegated to the status of a subordinate authority of the High Court, under Article 227. Let me be frank in answering this question. We, the lawyers, may bring up a situation where we will say : "Here is the authority created by the State. This authority is doing this, that and the other, and is accountable under Article 226, 227 or 32 or 136." I would like to mention that Article 227 is an Article of very wide ambit. So also, there are Articles 226, 32 and 136. Therefore, it would be possible for challenges to be made to the authority of the Lokpal unless you exclude the jurisdiction of Article 226, Article 227 and also Article 136

and 32 of the Constitution. Why I am saying this is because of the fact that if you have the Lokpal constantly fighting for the survival and protection of his jurisdiction in the courts of Law, then you are not creating the kind of apex authority which you have envisioned in this Bill. That is one reason. The other reason is that if you want to provide an all India national framework for this machinery for redressal of public grievances you cannot do so today by a mere Act of Parliament so far as the States are concerned. That is obvious. When I first put the suggestion in 1963 in the Lok Sabha, I had in mind a partnership of the Union and the State Legislatures and the two sets of Executives under the umbrella."

पूर्व में लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल, 1968 की संयुक्त समिति में श्री के.संथानम ने अपने निम्न विचार व्यक्त किये (सी.बी.-II नं. 233, लोकसभा सचिवालय द्वारा मार्च, 1969 में प्रकाशित पृष्ठ 8-9):-

"In view of the important role expected to be played by Lokpal and Lokayuktas, they should have constitutional status like the Election Commission, the Supreme Court or the Auditor General and, therefore, there should be a brief new article vç. 261-A as mentioned below in the Constitution providing for their appointment and stating their functions :

"261-A -- There shall be a Lokpal of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in the like manner and on like grounds as a Judge of the Supreme Court. There shall be one or more Lokayuktas for the Union and one Lokayukta for each State who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in the like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court. Subject to such provisions as may be made by Parliament by law a Lokpal may investigate any action which is taken by or with the general or specific approval of the Minister of the Union or a State or any other public servant as may be prescribed by or under any law of parliament in any case where a complaint involving a grievance or an allegation is made in respect of such action or such action can be or could have been in the opinion of the Lokpal the subject of a grievance or an allegation; Subject to such provisions as may be made by Parliament by law, a Lokayukta may investigate any action which is taken by or with the general or specific approval of any public servant not being a Minister or other public servant referred to in clause (3) in any case where a complaint involving grievance or allegation is made in respect of such action or such action can be or could have been in the opinion of the Lokayukta the subject of a grievance or allegation. (In this Article, the terms, "Grievance", "Allegation" and "maladministration" shall be defined as in the Bill). The manner of appointment, the salary and other conditions of service of the Lokpal or Lokayukta and other matters relating to their functions shall be such as may be determined by Parliament by law".

The amendment of the Constitution and the enactment of the proposed legislation should go simultaneously but in case amendment of Constitution was not considered feasible, the present Bill should be proceeded with".

इस संबंध में श्री के.एस.शुक्ला एवं श्री एस.एस.सिंह की पुस्तक "Lokayukta (Ombudsman in India) a Socio Legal Study" के पृष्ठ 83-84 पर भी राय व्यक्त की गई है, जो निम्नवत् है :-

"Therefore, it is desirable to make the procedure of appointment of Lokayukta uniform for the whole country. Even possibilities of making this office a Constitutional appointment could also be thought of. We believe that conferring of Constitutional authority status and granting independence to Lokayukta along with a permanent executive attached to this

office, would ensure flow of meaningful results. The Constitutional appointment would resolve many controversies surrounding the institution. The Constitutional provisions for appointment, conventions established by the political elite, and informal procedures for deciding cases would gradually influence and determine the status, prestige and image of this institution. Moreover, Lokayuktas would be conscious that their influence will depend upon the prestige generated by their own offices. To look for external buttresses from courts, ministers or other authorities may undermine their authority.

The nomenclature of this institution should be "Lokayukta" in every state. Moreover, there should be uniformity throughout India in regard to the working conditions to ensure uniformity in functions and service conditions.

This Institution should be brought outside the writ jurisdiction of the High Courts and also from the jurisdiction of the Administrative Tribunals. Accordingly, Article 226 needs to be amended. Moreover, the jurisdiction of the Supreme Court in relation to this institution could be spelt out. It may be appropriate to consider this institution as an authority for the purpose of the jurisdiction of Supreme Court under Article 136 of the Constitution."

इसी प्रकार की राय नॉरमन लेविस एवं एस.एस.सिंह द्वारा सम्पादित पुस्तक "Ombudsmen-India and the World Community" के पृष्ठ 171 पर भी व्यक्त की गई है, जो निम्नवत् है :-

"Although the Karnataka Lokayukta Act is one of the most thoughtfully drafted Lokayukta Legislation in this Country, there is scope for valuable and effective improvements as indicated above to meet the ever-expanding and complex situations of maladministration and corruption which seriously hamper our progress. Indeed the institution deserves to be elevated to the national level and since the incumbents are judges of the Supreme Court and high Courts, it would be appropriate to give a constitutional status to the institutions. How an existing system of Lokayukta at State Level can be scuttled is evidenced by total abolition of the system by the Government of Orissa a few years ago! To prevent such a situation elsewhere, and consistently with the constitutional status of Supreme Court and High Court Judges, it is but proper that the Lokayukta institution should have a constitutional status. The institution deserves to be strengthened further by drawing upon powers as prevail with Ombudsman who can and does proceed on his own motion and information from various quarters including periodical inspections of administrative agencies."

विभिन्न लोकायुक्त सम्मेलनों में भी लोकायुक्त संस्थान को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है । संबंधित पारित प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

प्रथम सम्मेलन 26 मई से 30 मई, 1986, शिमला (हिमाचल प्रदेश)

Resolution No. 1 That the institution of the Lokayuktas and Upa-Lokayuktas be given a Constitutional status.

दूसरा सम्मेलन 22 से 24 अगस्त, 1989, नागपुर (महाराष्ट्र)

Resolution No. 6 Discussed the following Resolution No. 1 passed at the Shimla Conference:

"That the Institution of the Lokayuktas and Upa-Lokayuktas be given a Constitutional Status."

छठा सम्मेलन 22 से 23 जनवरी, 2001, नई दिल्ली

Resolution No. 5 The Coordinator shall address letters to Hon'ble Prime Minister, Home Minister, Law Minister and Chairperson, National Commission to Review the Working of the Constitution requesting them to bring necessary amendments in the constitution for conferring constitutional status to the Lokayuktas and Upa-Lokayuktas for effective functioning of these Institutions. A letter may also be addressed to the President of India for such action, which His Excellency may deem proper.

सातवां सम्मेलन 17 से 18 जनवरी, 2003, बैंगलोर (कर्नाटक)

Resolution No.2 : It was resolved that the Working Committee of the Association shall take appropriate steps in respect of the following matters:

The Committee shall also take steps to move the Central Government for conferment of Constitutional Status upon the Lokayuktas/Lokpals and Upa-Lokayuktas, as the conferment of such status, may give the needed impression that they are Constitutional Functionaries and their recommendations to be made to Governments are to be treated with the respect they deserve.

यह मामला राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग के समक्ष भी उठाया गया था, जिसने अपने प्रतिवेदन में इस संबंध में निम्नानुसार सिफारिश की है :-

"Status of Lokayuktas

6.23.1 The Conference of the Lokayuktas and Upa-Lokayuktas at their Sixth All India Conference had passed a resolution requesting this Commission to take up for consideration the issue of conferment of constitutional status on the institution of Lokayuktas and Upa-Lokayuktas.

6.23.2 After considering the matter, the Commission recommends that the Constitution should contain a provision obliging the States to establish the institution of Lokayuktas in their respective jurisdictions in accordance with the legislation of the appropriate legislatures."

लोकायुक्तों की सुविचारित राय, उपर्युक्त प्रख्यात विशिष्ठजनों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों, विभिन्न लोकायुक्त सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों एवं राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग की सिफारिश को दृष्टिगत रखते हुए, लोकायुक्त संस्थान के सम्पूर्ण देश में एकसमान रूप से अपने सृजन के दायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने के लिये उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना समय की मांग है अन्यथा वर्तमान परिस्थितियों में वांछित उद्देश्य को प्राप्त करना कठिन है ।

लोकायुक्त संस्थान को अन्वेषण एजेन्सी की आवश्यकता

लोकायुक्त संस्थान की स्थापना विभिन्न राज्यों में उनके संबंधित अधिनियमों के तहत् की गई है । राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (अधिनियम सं.9 सन् 1973) को महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1973 को प्राप्त हुई, और इसे धारा 1(3) के अन्तर्गत 3 फरवरी, 1973 से प्रवृत्त हुआ माना गया ।

अधिनियम की धारा 14 का प्रावधान निम्नानुसार है :-

''लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्तों का कर्मचारी वर्ग:-

उप धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ-

(i) राज्य या केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का, उस सरकार की सहमति से, या

(ii) अन्य किसी भी व्यक्ति या एजेन्सी की सेवाओं का-

उपयोग कर सकेंगे ।''

धारा 14(3) के अवलोकन से स्पष्ट है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत अन्वेषण के लिये राज्य या केन्द्र सरकार की किसी एजेन्सी या अधिकारी की सेवाएं उपयोग में ले सकते हैं ।

मेरे द्वारा लोकायुक्त के पद का कार्यभार संभालने के बाद से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से एवं पत्राचार के माध्यम से प्रयास किया जाता रहा है ।

इसी क्रम में मेरे द्वारा इस प्रतिवेदन अवधि 1.4.2003 से 31.3.2004 से माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, माननीय श्री लालकृष्ण आडवानी, तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री एवं श्री हरिन पाठक, तत्कालीन राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, भारत सरकार को लिखे गये पत्र क्रमांक: एफ.39(1)लोआस/2000/11509-11 दिनांक 7.3.2003 **(परिशिष्ट-E, E-1 एवं E-2)** के संदर्भ में श्री लालकृष्ण आडवानी, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, भारत सरकार का पत्र दिनांक 24 मार्च, 2003 **(परिशिष्ट-E-3)** एवं माननीय श्री हरिन पाठक का पत्र दिनांक 26 मार्च, 2003 **(परिशिष्ट- E-4)** प्राप्त हुआ था।

श्री लालकृष्ण आडवानी, पूर्व उप-प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र दिनांक 7.3.2003 के संदर्भ में ही प्रतिवेदन अवधि में भारत सरकार के गृहमंत्रालय के तत्कालीन संयुक्त सचिव श्री आर.के.सिंह का पत्र दिनांक 14 मई, 2003 **(परिशिष्ट- E-5)** भी प्राप्त हुआ जिसके द्वारा यह सूचित किया गया कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अब केबिनेट सचिवालय के अधीन कर दिया गया है, अत: मेरे उपर्युक्त पत्र दिनांक 7.3.2003 को श्री अनूप मुखर्जी, संयुक्त सचिव, केबिनेट सचिवालय को उचित कार्यवाही हो अग्रेषित कर दिया गया है ।

इसी क्रम में मैं, माननीय श्री लालकृष्ण आडवानी, तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री, भारत सरकार से नई दिल्ली में दिनांक 13.8.2003 को व्यक्तिगत रूप से मिला था । बैठक के दौरान् उन्होंने मामले को देखने के लिये वहां उपस्थित तत्कालीन गृह सचिव, भारत सरकार श्री एन.गोपालास्वामी (वर्तमान चुनाव आयुक्त) को निर्देशित किया । उपर्युक्त वार्ता के क्रम में पत्र क्रमांकः एफ.39 (1)लोआस/2000/कम्पेण्डियम/4423 दिनांक 21.8.2003 **(परिशिष्ट- E-6)** द्वारा श्री एन.गोपालस्वामी, तत्कालीन गृह सचिव, भारत सरकार को छठे लोकायुक्त सम्मेलन, नई दिल्ली (22 एवं 23 जनवरी, 2001) का कम्पेण्डियम, मॉडल लोकायुक्त बिल एवं केन्द्रीय जांच ब्यूरों की सेवाओं के उपयोग हेतु केन्द्र सरकार की सहमति प्रदान किये जाने हेतु किये गये पत्राचार का सेट उनके स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया । परन्तु, केन्द्र सरकार से अभी तक कोई सहमति प्राप्त नहीं हुई है ।

राज्य सरकार से भी कतिपय मामलों के अन्वेषण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग किये जाने हेतु सहमति प्रदान करने हेतु इस प्रतिवेदन अवधि से पूर्व तक काफी पत्राचार किया गया है, परन्तु वहां से भी ऐसी कोई सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

अतः राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की सहमति के अभाव में अभी तक इस प्रावधान का उपयोग नहीं हो सका है ।

अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त ऑम्बुड्समैन सम्मेलन

प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त सम्मेलन 26 मई से 30 मई, 1986 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में, द्वितीय सम्मेलन 22 अगस्त से 24 अगस्त, 1989 को नागपुर (महाराष्ट्र), तृतीय सम्मेलन 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 1991 को जुबिली हाल, पब्लिक गार्डन्स व आन्ध्रप्रदेश लोकायुक्त संस्थान के भवन, हैदराबाद, चौथा सम्मेलन 7 मार्च, 1995 को गुरूजादा हाल, ए.पी.भवन, नई दिल्ली तथा पांचवा सम्मेलन 10 व 11 फरवरी, 1996 को गांधीनगर (गुजरात) में सम्पन्न हुआ ।

छठा सम्मेलन दिनांक 22 एवं 23 जनवरी, 2001 को पार्लियामेंट एनेक्सी, नई दिल्ली एवं दिल्ली सचिवालय में सम्पन्न हुआ ।

सातवां अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन-2003 (बैंगलोर) दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2003 को बैंक्वेट हॉल, विधान सौधा, बैंगलोर में सम्पन्न हुआ।

यह सम्मेलन माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.वैंकटचला, लोकायुक्त, कर्नाटक, संयोजक, द्वारा आयोजित कराया गया जिसका उद्घाटन महामहिम श्री भैरोसिंह शेखावत, उप-राष्ट्रपति द्वारा किया गया।

समापन समारोह माननीय श्री लालकृष्ण आडवानी, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा सम्बोधित किया गया ।

प्रथम दिन, उद्घाटन समारोह एवं दो कार्यकारी सत्र एवं द्वितीय दिन, दो कार्यकारी सत्र एवं समापन समारोह सम्पन्न हुए ।

समापन समारोह के तुरन्त पश्चात् लोकायुक्तों एवं उप-लोकायुक्तों की बैठक (Exclusive Meet) हुई । बैठक में पारित प्रस्ताव **(परिशिष्ट-F)** में दिया गया है ।

सांख्यिकी

28 अगस्त, 1973 से 31.3.2003 की कालावधि में कुल प्राप्त शिकायतों, निस्तारित शिकायतों एवं परिवेदनाओं के निस्तारण का विवरण **परिशिष्ट-1** में दिया गया है ।

प्रतिवेदन वर्ष के प्रथम दिन अर्थात 1.4.2003 को लम्बित सभी प्रकार की **1084** शिकायतें लंबित थी, दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 की अवधि में **1369** शिकायतें और प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल **2453** शिकायतों में से **1627** शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया और दिनांक 31.3.2004 को **826** शिकायतें लंबित रही । इसका विस्तृत विवरण सारणी **परिशिष्ट-2** में दिया गया है।

दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि के दौरान **66** मामलों में परिवादियों को उनकी संतुष्टि के अनुरूप अनुतोष प्रदान किया गया जिसका विवरण इस परिशिष्ट में दिया गया है । इसका विस्तृत विवरण सारणी **परिशिष्ट-3** में दिया गया है ।

वर्ष 1996-97 से 2004 की कालावधि में परिवादियों को प्रदान किये गये अनुतोष प्रकरणों का तुलनात्मक विवरण चार्ट **परिशिष्ट-4** में दिया गया है ।

दिनांक 26.11.1999 को पदभार संभालने से लेकर 31.3.2004 की अवधि में प्रदान किये गये अनुतोष के प्रकरणों का विवरण चार्ट **परिशिष्ट-5** में दिया गया है।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाये गये प्रारम्भिक जांच प्रकरणों का विवरण दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 1.4.2003 को **49** प्रकरण लम्बित थे और दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 तक की कालावधि में **20** मामलों में प्रारंभिक जांच संस्थित की गई। इस प्रकार कुल **69** मामलों में से **21** मामलों का निस्तारण कर दिया गया, **3** प्रकरणों को अन्वेषण में स्थानान्तरित कर दिया गया व **4** प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारियों को सिफारिशें की गई । इस प्रकार कुल **28** प्रारंभिक जांच प्रकरणों का निस्तारण होने पर दिनांक 31.3.2004 को **41** प्रकरणों में प्रारंभिक जांच लम्बित रही। इसका विस्तृत विवरण सारणी **परिशिष्ट-6** में दिया गया है ।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों का विवरण दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 1.4.2003 को **17** अन्वेषण प्रकरण लम्बित थे और दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 तक की कालावधि में **8** प्रकरणों में और अन्वेषण प्रारंभ किया गया। इस प्रकार कुल **25** मामलों में से **9** प्रकरण अभिकथन सिद्ध न होने से एवं **1** प्रकरण को लोकसेवक के अन्वेषण के दौरान् लोकसेवक न रहने से नस्तीबद्ध किये गये व **1** प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी को अनुशंसा की गई । इस प्रकार कुल **11** अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण होने पर दिनांक 31.3.2004 को कुल **14** अन्वेषण के प्रकरण लम्बित रहे । इसका विस्तृत विवरण सारणी **परिशिष्ट-7** में दिया गया है ।

दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 तक की कालावधि में कुल 12 प्रकरणों में (1 प्रकरण में अन्वेषण के पश्चात्, 3 प्रकरणों में प्रारंभिक जांच के पश्चात् व 8 प्रकरणों में तथ्यात्मक प्रतिवेदन

प्राप्त होने के पश्चात्) धारा-12(1) के अधीन सक्षम अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रेषित किये गये । इसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-8** सारणी में दिया गया है।

वर्ष 1990-91 से 2004 तक आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट-9** में दिया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण **परिशिष्ट-10** में दिया गया है।

सुझाव

भ्रष्टाचार निवारण के लिए स्वतंत्र स्वायत्तशासी संस्थान की आवश्यकता

हर राज्य में हर सरकार व केन्द्र में केन्द्र सरकार, इस प्रकार सभी सरकार प्रदेश को व देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की घोषणाएँ करती है । साफ-सुथरी, ईमानदार, पारदर्शी व संवेदनशील होने की भी घोषणा करती है । लेकिन प्रश्न है, क्या ऐसी घोषणाओं का क्रियान्वयन हो पाता है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

हर राज्य में किसी न किसी प्रकार के विभाग या संस्थान भ्रष्टाचार के उन्मूलन के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता ही गया है और कम होने या निर्मूल होने की स्थिति कभी पैदा ही नहीं हुई । हर राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या सतर्कता आयोग या पीड़ा निवारण प्रकोष्ठ काम करता है । केन्द्र में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो व केन्द्रीय सतर्कता आयोग इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत है । इन सभी विभागों व संस्थानों के बावजूद कोई विशेष प्रगति नजर नहीं आती । यहाँ तक कि कुछ राज्यों में लोकायुक्त संस्थान व लोकपाल संस्थान भी काम कर रहे हैं, परन्तु स्थिति में सुधार कम ही हो पा रहा है ।

ऐसी परिस्थिति में यह देखना आवश्यक होगा कि इन विभागों व संस्थानों की कार्य प्रणाली व कार्य पद्धति में कोई कमी है या उन पर किसी प्रकार का दबाब है, वे स्वतंत्र हैं या नहीं हैं, वे सशक्त और सक्षम हैं अथवा नहीं । जितने सरकारी विभाग या संस्थान हैं, वे सम्भवतः सरकार के अधीन होने के कारण स्वतंत्र रूप से कार्य करने में अपने को असमर्थ पाते हैं और जो सक्षम और स्वतंत्र संस्थान हैं, वे अपने विषय में यह अनुभव करते हैं कि उनके पास कोई शक्ति नहीं है और उनके द्वारा की गई सिफारिश की पालना भी सरकार पर निर्भर रहती है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोकायुक्त संस्थान के विषय में उनकी महत्ता पर निम्न प्रकार से अपना विचार अभिव्यक्त किया है :-

The Supreme Court of India in Civil Appeals Nos.2020-2024 of 1986 Institution of A.P.Lokayukta/Upa-Lokayukta, A.P. and others v. T.Rama Subba Reddy and another, decided on December 13, 1996 [(1997) 9 Supreme Court Cases 42] held as under:-

> ***"17. Before parting with these matters, it may be necessary to note that the legislative intent behind the enactment is to see that the public servants covered by the sweep of the Act should be answerable for their actions as such to the Lokayukta who is to be a Judge or a retired Chief Justice of the High Court and in appropriate cases to the Upa-Lokayukta who is a District Judge of Grade I as recommended by the Chief Justice of the High Court, so that these statutory authorities can work as real ombudsmen for ensuring that people's faith in the working of these public servants is not shaken. These statutory authorities are meant to cater to the need of the public at large with a view to seeing that public confidence in the working of public bodies remains intact. ..... it would be more appropriate for the legislature itself to make a clear provision for due compliance with the report of Lokayukta or Upa-Lokayukta so that the public***

confidence in the working of the system does not get eroded and these institutions can effectively justify their creation under the statute."

सभी सरकारें घोषणा करती हैं कि वे सुशासन देंगी विकास करेंगी किन्तु जब तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, देश में विकास की कल्पना करना उचित नहीं होगा । जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा सुशासन भी नहीं आयेगा । राजनीतिक नेतृत्व में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता जब तक न हो, तब तक भ्रष्टाचार का मिटना नामुमकिन है । समस्या की गम्भीरता को देखते हुए ऐसे प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है जिससे भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना हो सके ।

छठे अखिल भारतीय लोकायुक्त एंव उप लोकायुक्त सम्मेलन-2001 नई दिल्ली (22 एवं 23 जनवरी, 2001) में एक प्रस्ताव मॉडल लोकायुक्त बिल बनाने का पारित किया गया था और इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन में लोकायुक्तों ने बैठक कर एक मॉडल लोकायुक्त बिल बनाया था और उसे राज्य सरकारों को भेजा गया था ।

लोकायुक्त संस्थान एक स्वतंत्र संस्थान होता है और यह सरकार के अधीन नहीं होता । मौजूदा राज्यों के कानूनों में भारी कमियाँ देखी गई, इसलिए उन कमियों को दूर करने के सिलसिले में मॉडल लोकायुक्त बिल बनाया गया और ऐसे स्वतंत्र संस्थान को, जो शक्तियाँ प्रदत्त होनी चाहिए, उसका प्रावधान उसमें रखा गया ।

मॉडल लोकायुक्त बिल भी बहुत अधिक सशक्त नहीं बनाया गया था । परिस्थितियों को देखते हुए वह मसौदा मॉडरेट ही बनाया गया, लेकिन यदि उसके अनुरूप भी उन राज्यों के अधीन लोकायुक्त अधिनियम बनाया जावे तो ऐसी स्वतंत्र एजेन्सियों के द्वारा इस दिशा में काफी प्रगति किये जाने की सम्भावना बनती है । सशक्त स्वतंत्र संस्थागत तंत्र कारगर सिद्ध हो सकते हैं । ऐसे तंत्र को कानून द्वारा उसके क्षेत्राधिकार में पूर्ण अधिकार और जांच प्रक्रिया में सशक्त और क्रियान्वयन में पूर्ण सक्षम बनाया जाना चाहिए ।

सरकारों को चाहिए कि जन प्रतिनिधियों के द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाने के सिलसिले में इसी प्रकार का स्वतंत्र संस्थागत तंत्र विधि द्वारा स्थापित हो ।

लोकसेवकों की भूमिका

लोक सेवक की, जिनका कि जन सम्पर्क रहता है, उसकी पूरी जवाबदेही होनी चाहिए । ऐसे लोक सेवक पहुंच के बाहर नहीं होने चाहिए । उनके काम की पारदर्शिता होनी चाहिए । किसी भी कार्य के पूर्ण होने की समयावधि निश्चित होनी चाहिए । इन सभी बातों की सतत् निगरानी होनी चाहिए ।

सुशासन का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड पारदर्शिता है । विधि के द्वारा सूचना का अधिकार दिया जाना एक बात है, किन्तु जिन विभागों में जनसम्पर्क रहता है, उन विभागों व कार्यालयों के अधिकारियों का यह दायित्य होना चाहिए कि उनके यहां लंबित प्रार्थना पत्रों एवं मामलों के विषय में जनता को जानकारी उपलब्ध हो । वे किसी रूप में इस बात को प्रकाशित करें कि सूचना मांगने का अधिकार एक बात है और बिना मांगे सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व दूसरी बात है ।

यदि इस प्रकार से सूचना का प्रकाशन कार्यालयों के द्वारा मासिक रूप से भी किया जावे तो उसका सुशासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा । इसके लिये क्या कार्य प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, इस पर विचार करने के पश्चात् इसको स्वीकार कर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए ।

लोक आयुक्तों का संवैधानिक स्तर

छठे अखिल भारतीय लोकायुक्त एंव उप लोकायुक्त सम्मेलन-2001 नई दिल्ली (22 एवं 23 जनवरी, 2001) में संवैधानिक दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पारित किया गया था । इस संबंध में राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग, नई दिल्ली को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसने इस विषयक अपनी सिफारिश को केवल इसी बात तक सीमित रखा कि सभी राज्य लोकायुक्त संस्थान स्थापित करने के लिए बाधित हों, इस प्रकार का प्रावधान संविधान के अन्तर्गत किया जावे । परन्तु आयोग की सिफारिश से इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है कि सभी राज्यों के लोकायुक्त अधिनियमों में एकरूपता होगी । आयोग द्वारा की गई सिफारिश निम्नवत् है:-

"Status of Lokayuktas

6.23.1 The Conference of the Lokayuktas and Upa-Lokayuktas at their Sixth All India Conference had passed a resolution requesting this Commission to take up for consideration the issue of conferment of constitutional status on the institution of Lokayuktas and Upa-Lokayuktas.

6.23.2 After considering the matter, the Commission recommends that the Constitution should contain a provision obliging the States to establish the institution of Lokayuktas in their respective jurisdictions in accordance with the legislation of the appropriate legislatures."

लोकायुक्त संस्थान के सम्पूर्ण देश में एकसमान रूप से अपने सृजन के दायित्व को प्रभावी ढंग से निभाने के लिये उसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना आवश्यक है ।

केन्द्रीय लोक आयुक्त विधि

इस विषय में यह भी अंकित करना आवश्यक है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार ने छठे अखिल भारतीय लोकायुक्त एंव उप लोकायुक्त सम्मेलन-2001 नई दिल्ली (22 एवं 23 जनवरी, 2001) के अपने उद्घाटन भाषण में यह कहा था कि **'अभी इस विषय में कानून सभी राज्यों में अलग-अलग है, उनमें एकरूपता नहीं है एक रूपता आनी चाहिए ।'** लेकिन एकरूपता तभी आ सकती है, जबकि केन्द्र इस प्रकार का कानून बनाये । 1967 व 1968 में दो बार लोकपाल बिल एंव लोकायुक्त बिल लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन उसके पश्चात् केवल लोकपाल बिल ही प्रस्तुत हुआ और राज्यों के लिए लोकायुक्त बिल उसमें से निकाल दिया गया । लेकिन उसके बाद कुछ राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम प्रभावी हुए । एकरूपता लाने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार लोकायुक्त अधिनियम बनाये । लोकपाल एंव लोकायुक्त अधिनियम सम्मिलित भी एक बनाये जा सकते हैं और अलग-अलग भी बनाये जा सकते हैं, लेकिन एकरूपता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाया जाना जरूरी है । इस संबंध में 7वें अखिल भारतीय लोकायुक्त/लोकपाल/उप-लोकायुक्त (ऑम्बुड्समैन) सम्मेलन-2003 बैंगलोर दिनांक 17 एवं 18 जनवरी,

2003 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम.जगन्नाधाराव द्वारा दिये गये भाषण का सुसंगत भाग यहां उद्धृत किया जाना उचित होगा, जो निम्नानुसार है :-

> "Thus, unfortunately, we do not today yet have a Lok Pal at the Union level. But, we do have enactments of several State Legislatures for Lok Ayuktas and Upa Lok Ayuktas. There is however no uniformity amongst these State statues either as to the nature of constitution of the Lok Ayukt or as to its powers.
>
> The conference of Lok Ayuktas and Upa-Lok Ayuktas at their-Sixth All India Conference passed a resolution for giving constitutional status to the institution of Lok Ayuktas and Upa-Lok Ayuktas. But the Constitution Review Committee has recommended (see para 6.23.2., Vol I, P 147) as follows :
>
> > '..... the Commission recommends that the Constitution should contain a provision obliging the States to establish the institution of Lok Ayuktas in their respective jurisdiction in accordance with the legislation of the appropriate legislatures.'
>
> In my view, the above recommendation leaving the matter to the State legislatures may not serve the purpose."

माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा छठे अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त सम्मेलन-20001 नई दिल्ली (22 जनवरी, 2001) के उद्घाटन भाषण में इस संबंध में निम्नानुसार कहा है:-

> "Corruption was the biggest hurdle in the path of development", and added that the common people were the worst victim of these menace. Over the last several years Central and State Governments have spent large sums of money on development and had these moneys been properly utilised without leakage, there could have been massive improvement in the levels of education, health care, housing, social development and infrastructure and a deeper dent in combating poverty which is the foe of democracy but this has not happened. The absence of transparency and accountability have no doubt played their part in these matters and a mature democracy must have a good check on all public functionaries. Over the last two decades, there has been a decline in moral values and a failure of law in dealing with the problem resulting in wide spread cynicism. He reiterated that the removal of corruption was a firm commitment on the agenda of his Government and referred to steps being taken by his Government to set up the institution of Lok Pal at the centre. While the institutions of Lokayukta were non political functionaries with the highest judicial rank and were set up with the intention of serving as a forum for speedy redressal of the grievances and complaints of the common man, he stated that they have not lived up to their expectations though he hastened to add that this was not the fault of the institutions. He has referred to the example of Karnataka, where he mentioned that of all the cases that had been recommended for prosecution in the past few years conviction could be secured only in 6% of the cases seriously hampering the functioning of the institution. He stated that the deficiencies in the legislation and in the implementation of the recommendations made by the institutions need to be removed, as the very credibility of our intention to fight corruption is at stake. Only 15 States have the institution of the Lokayukta; in some States the Chief minister falls within their purview while in other States they were outside their purview.

Non-uniformity on the issue of jurisdiction over the people's representatives was also a probem in such legislation. Uniformity was necessary in all respects, so as to make these institutions more effective.

जनता की सहभागिता

व्यवस्था में परिवर्तन के साथ-साथ भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जनता की सहभागिता भी बहुत आवश्यक है । जब तक जनता द्वारा हर विभाग के छोटे से छोटे कार्यालय पर सतर्कता एवं निगरानी नहीं रखी जायेगी या अंकेक्षण नहीं किया जायेगा, तब तक कार्यालय से भ्रष्टाचार का उन्मूलन सम्भव नहीं हो पायेगा ।

अत: प्रदेश के हर शहर और गांव में प्रत्येक विभागों और कार्यालयों के लिए जन सतर्कता समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए, जो कि कार्यालय के कामकाज पर पूर्ण निगरानी रखे ।

जनता को यह जानकारी भी दी जानी चाहिए कि किस विभाग में किस काम के लिए कितना समय लगेगा तथा उस कार्य को तय कार्यावधि में पूर्ण किया जाना चाहिए । जब तक ये व्यवस्थाएँ कार्यालय में स्थापित नहीं होंगी, तब तक आम नागरिक को राहत नहीं मिलेगी और राहत नहीं मिलने की दशा में भ्रष्टाचार पनपेगा ।

इस प्रकार सामाजिक सतर्कता भ्रष्टाचार उन्मूलन का आधार बन सकती है ।

संचार माध्यमों की भूमिका

संचार माध्यम का भी इसमें काफी उत्तरदायित्व बनता है । अनुसंधानात्मक पत्रकारिता के माध्यम से घूस, घपले और घोटाले उजागर किये जा सकते हैं और उनके आधार पर स्वतंत्र संस्थान द्वारा अथवा जनता द्वारा शिकायत करने पर प्रसंज्ञान लिया जा सकता है । कई अखबार इस दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं, किन्तु वह मौजूदा परिस्थिति में अपर्याप्त है ।

राजस्थान के अधिनियम में वांछित संशोधनों की आवश्यकता

लोकायुक्त संस्थान की स्थापना के बाद जितने भी लोकायुक्त नियुक्त किये गये हैं, उनके द्वारा प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदन में सुझाव दिये गये हैं, जिससे कि लोकायुक्त संस्थान सशक्त बन सके।

मॉडल लोकायुक्त बिल के अन्तर्गत भी जो प्रावधान रखे गये हैं, उन पर भी विचार किया जाना आवश्यक था ।

आवश्यक मामलों में अभियोजन का अधिकार लोकायुक्त संस्थान को होना चाहिए और तलाशी और जब्ती के भी अधिकार दिये जाने चाहिए ।

लोक सेवक व जन प्रतिनिधि, जो अपने सम्पत्ति के विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करे, उसमें भी अंकित होना चाहिए कि कोई सम्पत्ति बेनामी है और बेनामी सम्पत्ति को जब्त करने का अधिकार होना चाहिए ।

सम्पत्ति के विषय में सभी विभाग, जो इससे सम्बन्ध रखते हों, जैसेकि आयकर विभाग व अन्य सतर्कता प्रकोष्ठ या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उनमें समन्वय होना चाहिए ।

यदि कोई झूठी शिकायत की जाती है, तो उसके सिलसिले में संस्थान को अभियोजन व शास्ति का अधिकार होना चाहिए ।

सभी जन प्रतिनिधियों व लोक सेवकों पर क्षेत्राधिकार होना चाहिए और यह क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार तक ही सीमित न होकर पद के दुरूपयोग व व्यथाओं पर भी होना चाहिए । अभी कई राज्यों में इस प्रकार के प्रावधान हैं । व्यवस्था में सुधार से अवश्यंभावी रूप से उद्देश्य में सफलता मिलेगी ।

सुधारों के विषय में सुझाव दिये जाने पर भी इतने लम्बे अर्से में इन पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिये संस्थान जितना सशक्त बनना चाहिए था, उतना नहीं बन पाया है । मौजूदा प्रावधानों के अन्तर्गत जितना संभव हो सकता था, उतने प्रयास राजस्थान में किये गये । भ्रष्टाचार के उन्मूलन के बिना भारत का पूर्ण विकसित होना, मेरी राय में, संभव नहीं है । केवल नारों से विकास की संभावना बताना उचित न होकर क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा और तभी भारत विश्व समुदाय में उच्च शक्ति वाला देश बन पायेगा ।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी और सरकारों को इस ओर ध्यान देना होगा अन्यथा स्थिति में कोई बदलाव आना असंभव सा लगता है ।

अंतरिम सिफारिश किये जाने की अधिकारिता

वर्तमान लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत लोकसेवक की किसी भी कार्रवाई के विरूद्ध अथवा प्रशासन में प्रचलित किसी पद्धति के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच एवं अन्वेषण के पश्चात् यदि यह समाधान हो जाये कि उस लोकसेवक की कार्रवाई, जिसके विरूद्ध शिकायत की गई थी, या उस पद्धति, जिसके विरूद्ध शिकायत की गई थी, से शिकायतकर्ता या आम जन के साथ अन्याय हुआ है या अनुचित परेशानी हुई तो उसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की जाती है, परन्तु इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है और इस बीच उस लोकसेवक की कार्रवाई या प्रशासन में प्रचलित उस पद्धति से संबंधित लोगों को भारी अनुचित हानि या परेशानी हो चुकी होती है जिसकी फिर भरपाई किया जाना संभव नहीं होता ।

अतः अधिनियम में संशोधन किया जाकर यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त का, यदि प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर यह समाधान हो जाये कि शिकायतकर्ता को लोकसेवक की किसी भी कार्रवाई या प्रशासन में प्रचलित किसी पद्धति के परिणाम स्वरूप, कोई अन्याय या अनुचित परेशानी हुई है, तो वह शिकायतकर्ता को अंतरिम सहायता की मंजूरी की सिफारिश करते हुए सक्षम प्राधिकारी को अंतरिम सिफारिश अग्रेषित कर सके ।

इसके अतिरिक्त लोककृत्यकारी (public functionary) के प्रशासनिक कृत्यों से होने वाले लोक सम्पत्ति या होने वाले अपव्यय, लोक राजस्व को या नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने, लोक कृत्यकारी के अवचार के और कृत्यों को रोकने, लोक कृत्यकारी द्वारा भ्रष्ट उपायों से अर्जित किये जाने हेतु संदिग्ध आस्तियों को छिपाने से उसे रोकने या किसी भी अन्य रीति से लोक हित को बढ़ाने की दृष्टि से लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, को जांच या अन्वेषण के किसी भी प्रक्रम पर जांच या अन्वेषण के लंबित रहते हुए किसी लोक कृत्यकारी के निलम्बन सहित

ऐसी कार्रवाई, जो आवश्यक समझी जाये, की अंतरिम सिफारिश किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

सुशासन की स्थापना हेतु अन्य सुझाव

- सुसंगत बने रहने के लिये यह आवश्यक है कि आम जनता को हमारी मौजूदगी एवं हमारे कार्यो के बारे में जानकारी हो ।
- संस्थान तक अधिकांश लोगों की पहुंच हो।
- आम जनता को लोकायुक्त की अवधारणा को साफ तौर पर स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
- निरपेक्ष एवं उत्तरदायी सरकारी सेवा सुनिश्चित की जावे ।
- सरकार निरपेक्षता एवं उत्तरदायी व्यवहार प्रदर्शित करे।
- प्राधिकारी स्व-प्रस्तावानुसार अन्वेषण प्रारंभ करें ।
- नौकरशाही को पर्याप्त संसाधन एवं प्रशिक्षण एवं एक उचित कार्यभार दिया जाना चाहिए तथा भ्रष्टाचार को पनपने से रोकने के लिये अर्थव्यवस्था को संतुलित एवं प्रभावी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए ।
- जहां भ्रष्टाचार को स्वीकार करने की सांस्कृतिक परम्पराएं मौजूद है, उनका उन्मूलन करना और भ्रष्टाचार को बढ़ने से रोकना मुश्किल है, परन्तु जहां नौकरशाही सुस्थापित है, वहां सेवा का ऐसा लोकाचार विकसित किया जा सकता है, जो कि भ्रष्टाचार के रास्ते में सांस्कृति बाधा उत्पन्न कर सके ।
- राज्य को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण है कि लोकायुक्त सरकारी संगठनों के साथ समस्याओं के सृजनात्मक एवं प्रभावी समाधान हेतु कार्य करता है, जिसके लिये इस संस्थान के पूर्णतया स्वतंत्र होना आवश्यक है जिस हेतु उन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय आदेशों/परिपत्रों को वापिस जाना आवश्यक है, जो कि इस संस्थान को सरकार के नियंत्रण में लाकर आम जनता में यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं यह संस्थान भी राज्य सरकार के अधीन है ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु छठे अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिवेशन-2001 नई दिल्ली (21 व 22 जनवरी, 2001) में पारित प्रस्तावानुसार **''मॉडल लोकायुक्त बिल''** बनाया जाकर इसे विद्यमान लोकायुक्त अधिनियमों के स्थान पर प्रख्यापित करने या इसके अनुसार संशोधन करने हेतु सभी राज्य सरकारों को प्रेषित किया गया था, परन्तु अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है । स्वच्छ, पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन की प्राप्ति हेतु लोकायुक्त संस्थान को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जाना अति आवश्यक है, जिसके लिये **''मॉडल लोकायुक्त बिल''** को शीघ्रातिशीघ्र प्रवृत्त किया जाना चाहिए ।

धारा 12(1) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अन्वेषण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण

एफ. 11(202)लोआस/2002

यह प्रकरण शेखावाटी भास्कर सामाचार पत्र के सीकर के दिनांक 11 अगस्त, 2002 के अंक में *''रूपयों का तकादा किया तो व्यापारी को बंदूक दिखाई''* शीर्षक से छपे इस समाचार के आधार पर स्व-प्रस्तावानुसार संस्थित किया गया कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा श्री यादराम आर्य ने झुन्झूनू सहायक कलक्टर रहते हुए व्यापारी श्री कैलाश चन्द्र मोदी के प्रतिष्ठान से अपनी पुत्री के विवाह के लिए भारी मात्रा में उधार में कपड़ा लिया जिसकी कुछ कीमत को चुका दी, परन्तु बाकी रकम तकादा करने पर भी नहीं दी और जब श्री आर्य स्थानान्तरण पर जाने लगे और उनसे बकाया की मांग की तो श्री आर्य के पुत्र ने व्यापारी पर बंदूक तान ली ।

उपर्युक्त परिवाद के संबंध में जिला कलेक्टर, झुन्झूनू से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । जिला कलेक्टर, झुन्झूनू द्वारा मामले की जांच अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) से करवाकर प्रतिवेदन अपने पत्र दिनांक 26.5.2003 द्वारा इस सचिवालय को प्रेषित किया गया, जिसमें शिकायत को प्रथम दृष्टया सही माना गया ।

ऐसी स्थिति में लोकसेवक श्री यादराम आर्य के सक्षम प्राधिकारी मंत्री, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 18.7.2003 द्वारा यह अभिशंसा की गई कि जिला कलेक्टर, झुन्झूनू से प्राप्त रिपोर्ट में लोकसेवक को रूपये उधार लेकर नहीं चुकाने का दोषी पाया गया है । अतः उसके विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे ।

उपर्युक्त अनुशंसा की पालना में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3), राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14.8.2003 द्वारा अवगत कराया कि शिकायत निजी वसूलियों से संबंधित होने के कारण राज्य सरकार ने जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर प्रकरण को बंद करने का निर्णय लिया है ।

सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त निर्णय के संबंध में पत्र दिनांक 6.10.2003 द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहा गया कि क्या मामले का परीक्षण राजस्थान असैनिक सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम 4(2) एवं नियम 19 (2)(बी) के अन्तर्गत किया गया है ?

उपर्युक्त स्पष्टीकरण अभी तक अपेक्षित है।

एफ. 3(35)लोआस/2003

श्री राजेश्वर सिंह जैन, मारवाड़ सदाचार समिति, मारवाड़ भवन, अमर नगर, जोधपुर ने मुख्य परिवाद मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार को सम्बोधित करते हुये उसकी प्रति इस सचिवालय को प्रेषित की, जिसमें श्री भंवरनेक मोहम्मद, तत्कालीन सर्किल इन्सपेक्टर, राई का बाग, जोधपुर पर यह आरोप लगाया कि उसने 1994-95 में जब वह जालौर में पदस्थापित था तब उसने जालौर कलेक्टर से हाथापाई की । उसके विरुद्व अजमेर पुलिस में महिला अत्याचार का 498-ए का मुकद्मा दर्ज है। तथा

उसने भष्ट तरीको से करोड़ो रुपयें की सम्पत्ति अर्जित कर रखी है। उसकी अनिवार्य सेवानिवृति के विरुद्व की गई रिट को ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया परन्तु श्री भंवरनेक मोहम्मद ने राज्य सरकार द्वारा गठित अपीलीय कमेटी को तीन लाख रुपये की रिश्वत देकर सेवा में वापिस ले जाने के आदेश प्राप्त कर लिये ।

उपर्युक्त परिवाद के सम्बन्ध में गृह सचिव, राजस्थान सरकार से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया, जो दिनांक 16.06.2003 के पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं प्रस्तुत अभिलेख का परीक्षण करने के पश्चात् यह पाया गया कि अपीलीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय विधिनुसार नही था, जो कि राज्य सरकार द्वारा अपास्त किये जाने योग्य है। अत: प्रकरण में मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार को दिनांक 19.7.2003 को निम्नानुसार अभिशंसा की गई :-

(i) To reconsider the entire matter after considering the entire service record, in the light of above discussion objectively and pass a suitable legal and proper order in public interest following principles of law laid down by the Hon'ble Supreme Court, and in consonance with the promise and commitment of transparency, accountability and clean administration.

(ii) In light of the above discussion and legal position to reconsider the continuance of Memorandum No. F. 15(3)FD(Rules)/99 Jaipur, dated 3.12.2002.

दिनांक 26.12.2003 तक प्रकरण में की गई अभिशंसा की पालना में की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना प्राप्त न होने पर वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती वसुन्धरा राजे को दिनांक 26.12.2003 को अर्द्धशासकीय पत्र लिखा गया जिसके प्रत्युतर में उन्होने अपने पत्र दिनांक 7.1.2004 द्वारा यह अवगत कराया कि वे इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग को भिजवा रही है। तत्पश्चात् कोई सूचना प्राप्त नही हुई है।

एफ. 14(14)लोआस/2001

श्री रामदयाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री हजारी लाल गुप्ता निवासी स्टेडियम के पीछे, विवेक विहार कोलोनी, करौली ने यह परिवाद दिनांक 4.2.2002 को प्रस्तुत कर यह आरोप लगाया कि श्री भगवानाराम, कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी, करौली ने वाहनों की जब्ती एवं सुपुर्दगी के सम्बन्ध में सही तथ्य छिपाकर राज्य सरकार को लाखों रुपयों का चूना लगाया जिसकी जांच की जावे एवं दण्डित किया जावे ।

इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, करौली एवं आयुक्त परिवहन विभाग, करौली से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । पुलिस अधीक्षक, करौली के पत्र दिनांक 19.06.2002 एवं 06.08. 2002 द्वारा सूचित किया गया कि प्रकरण का अनुसंधान करने पर साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर पूर्व कार्यवाहक, जिला परिवहन अधिकारी, भगवानाराम मीणा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है व उसने बस नम्बर आर.जे.25पी/0390 जिसपर की राज्य सरकार का 364665/- रुपये का टैक्स बकाया चल रहा था, को गलत रुप से छोड़ दिया । आयुक्त, परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 10.12.2002 को सूचित किया कि श्री भगवानाराम को राज कार्य में धोखाधड़ी करने

एवं राजस्व हानि पहुँचाने का परिचायक मानते हुये उसके विरुद्ध दिनांक 18.11.2002 को 17सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। लोकसेवक श्री भगवानाराम मीणा के विरुद्ध साबित आरोप की गंभीरता को देखते हुये उसके विरुद्ध 17 सीसीए के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही को अपर्याप्त मानते हुये दिनांक 9.5.2003 को आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान को श्री मीणा के विरुद्ध 16सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अभिशंसा गई ।

उपर्युक्त अभिशंसा की पालना में पत्र दिनांक 20.10.2003 द्वारा यह सूचित किया गया कि लोकसेवक श्री भगवानाराम को 17 सीसीए के अन्तर्गत जारी आरोप पत्र में दोषी मानते हुये उन्हे 3000/- रुपये की शास्ती से दण्डित किया गया है।

एफ. 6(10)लोआस/2000

यह जानकारी प्राप्त होने पर कि कॉलेज व्याख्याताओं के स्थानान्तरण काफी संख्या में किये गये है और उन्हें पुनः कुछ समय पश्चात् उसी स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया, प्रकरण में स्वप्रस्तावानुसार प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । प्रकरण में निदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर से माह मई 2000 से 15 फरवरी 2001 तक इस प्रकार से किये गये स्थानान्तरणों की सूची मांगी गई, जो उनके पत्र दिनांक 23.8.2001, 17.9.2001 तथा 5.10.2002 द्वारा प्रेषित की गई ।

प्राप्त सूचनाओं का गहनता से परीक्षण करने के पश्चात् यह स्पष्ट हुआ कि जो स्थानान्तरण किये गये थे उनमें से 60 व्याख्याताओं के स्थानान्तरण तो एक माह से कम की अवधि में, 9 व्याख्याताओं के स्थानान्तरण 3 माह से कम की अवधि में, 112 व्याख्याताओं के स्थानान्तरण 6 माह से कम की अवधि में, तथा 40 व्याख्याताओं के स्थानान्तरण 9 माह से कम की अवधि में निरस्त कर दिये गये ।

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी स्पष्ट हुआ कि 124 व्याख्याताओं के स्थानान्तरण तो पुनः उसी स्थान पर कर दिये गये, जहाँ वे पहले पदस्थापित थे । पुनः स्थानान्तरण किये जाने का कारण ''अन्य प्रशासनिक कारण'' बताया गया, जो कारण अत्यन्त अस्पष्ट एवं भ्रामक है। स्थानान्तरणों के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि ये स्थानान्तरण करते समय कोई स्थानान्तरण नीति नही थी तथा यंत्रवत स्थानान्तरण किये गये और अल्पावधि में पुनः स्थानान्तरण अन्य प्रशासनिक कारणों की आड़ में होने से, इस संभावना से इन्कार नही किया जा सकता कि स्थानान्तरण से पुनः स्थानान्तरण सद्भाविक हो ।

यह भी उल्लेखनीय है कि स्थानान्तरित व्याख्याताओं को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार लगभग 153565/- के यात्रा भत्ते का भुगतान भी किया गया ।

अतः माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा को दिनांक 3.7.2003 को यह अभिशंसा की गई कि राज्य सरकार द्वारा व्याख्याताओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र ऐसी नीति बनाई जावे जिससे इस तरह के मामलों में पुनरावृति न हो ।

अभिशंसा की पालना में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने पत्र दिनांक 6.10.2003 द्वारा सूचित किया कि व्याख्याताओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति का प्रारुप तैयार

करके प्रस्तुत करने हेतु निदेशक, कॉलेज शिक्षा को लिख दिया गया है, जो प्राप्त होने पर उसका परीक्षण किया जावेगा व उसे अन्तिम रुप दिये जाते समय इस सचिवालय द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जावेगा ।

प्रतिवेदन लिखे जाते समय तक कॉलेज व्याख्याताओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यदि कोई नीति का प्रारुप तैयार कर लिया गया है अथवा नही, इसकी सूचना प्राप्त नही हुयी है।

एफ. 5(31)लोआस/2000

यह परिवाद श्री देवेन्द्र सिंह यादव, एडवोकेट निवासी उदयरामसर, जिला बीकानेर की ओर से इस आशय का प्राप्त हुआ था कि शिक्षा विभाग द्वारा अप्रेल 1996 में शिक्षा सत्र 1995-96 की स्थानीय परीक्षाओं का आयोजन किया गया था । राजकीय नव माध्यमिक विद्यालय, तेलीवाड़ा, बीकानेर में भी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें आठंवी के स्वंयपाठी विद्यार्थी भी परीक्षा में शामिल हुये जिनसे रिश्वत लेकर उत्तीर्ण करने की गारन्टी तत्कालीन संस्थान प्रधान श्री सुरजकरण पुरोहित ने दी । सामाजिक विज्ञान की उत्तर पुस्तिकायें जाँचने के लिये वरिष्ठ अध्यापक श्री गोपालराम को दी गई और उनपर दबाव डाला की स्वंयपाठी परीक्षार्थीयों को उत्तीर्ण कर दे परन्तु श्री गोपालराम दबाव में नही आयें ।

इस प्रकरण में प्रारम्भिक जाँच की गई । प्रारम्भिक जाँच के दौरान आई प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह प्रथम दृष्टया पाया गया कि श्री सूरजकरण पुरोहित ने तत्कालीन परीक्षा प्रभारी श्री शिवलाल वर्मा के साथ मिलकर उत्तर पुस्तिकाओं में काँट छाँट कर छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया तथा बावजूद इत्तिला के उत्तर पुस्तिकाओं का समस्त रिकार्ड नियम विरुद्ध नीलामी कर सबूत नष्ट कर दिया । इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 84/98 पुलिस थाना कोतवाली, बीकानेर में दर्ज हुयी । विभाग द्वारा भी इस सम्बन्ध में जाँच किया जाना पाया गया, जिसमें विभाग ने शिकायत को प्रथम दृष्टया सही माना है।

अत: निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को जरिये पत्र दिनांक 14.11.2003 यह अभिशंसा की गई की विभागीय जाँच के निष्कर्षो के अनुरुप दोषी लोकसेवक के विरुद्ध शीध्र अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें । अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 20.1.2004 द्वारा सूचित किया है कि लोक सेवक श्री सूरजकरण पुरोहित के विरुद्व 17सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दिनांक 24.9.2003 को ज्ञापन दोषारोपण पत्र जारी किया जा चुका है। सक्षम अधिकारी द्वारा 17सीसीए के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही को अपर्याप्त मानते हुये दिनांक 11.2.2004 को लोकसेवक के विरुद्ध 16सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये ।

अभिशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अभी तक अपेक्षित है।

एफ. 35(31)लोआस/2001

श्री पीर अजहर हुसैन निवासी कच्ची बस्ती बत्तासागर, थडे की घाटी, जोधपुर ने यह परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, उप पंजीयक, जोधपुर व श्री गोपालानी, क्लर्क ने अपने नजदीकी रिश्तेदारी श्री सुरेश भूराणी से मिलकर 99 वर्ष की किरायेदारी अवैध व अनुचित रुप से पंजीकृत कर राजस्व का हानि पहुचायी है जिसकी जाँच की जाकर दोषी लोकसेवक

को दण्डित किया जावे । इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गयी जिन्होनें अपने पत्र दिनांक 4.12.2001 द्वारा उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक, जोधपुर की रिपोर्ट दिनांक 29.11.2001 संलग्न कर यह अवगत कराया कि अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया गया है ।

महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर से भी प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई जिन्होनें अपने पत्र दिनांक 15.7.2002 एवं 10.10.2002 द्वारा सूचित किया कि उप पंजीयक द्वारा जो पंजीयन किया गया वह स्वभाविक मानवीय भूल से किया जाना प्रतीत होता है। ऐसा कार्यभार के दबाव के कारण हुआ है और चूंकि इसमें किसी प्रकार की राजस्व हानि सरकार को नही हुई है और ना ही पार्टी को नुकसान हुआ है इसलिये विभाग द्वारा कार्यवाही नही करने का निर्णय लिया गया है।

चूंकि यह स्वीकार कर लिया गया कि विवादित दस्तावेज को गलत ढ़ग से पंजीकृत किया गया है, इसलिये सम्बन्धित लोकसेवक के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये । अत: पत्र दिनांक 14.7.2003 द्वारा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक अजमेर को सम्बन्धित लोक सेवक के विरुद्ध नियमों के अधीन कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई ।

अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 14.1.2004 द्वारा सूचित किया है कि प्रकरण में लोक सेवक श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, तत्कालीन उप पंजीयक जोधपुर प्रथम से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिसके अनुसार श्री शेखावत द्वारा की गई कार्यवाही बदनीयतीपूर्ण ना होकर बोनाफाइड है । इससे राज्य सरकार को कोई राजस्व हानि एवं किसी पक्षकार को लाभ प्राप्त नही हुआ है। पंजीयन अधीनियम, 1908 की धारा 86 के तहत पंजीयन में हुई बोनाफाईड त्रुटि के लिये पंजीयन अधिकारी को उत्तरदायी नही मानने की व्यवस्था है। अत: श्री शेखावत द्वारा प्रस्तुत जवाब एंव सबूतों के आधार पर आगे कार्यवाही नही करने का निर्णय लिया गया है।

एफ. 44(12)लोआस/2003

श्री सांवरमल जाट निवासी सुभाष नगर, सीकर ने यह परिवाद दिनांक 6.11.2003 को इन तथ्यों का पेश किया कि बिक्री कर विभाग जहाँ स्वंय कर-संग्रह नही करता वहाँ कार्य ठेके पर दिया जाता है। प्रथम बार ठेका खुली नीलामी से दिये जाने का विभागीय नियम है अलवर संभाग में पशुधन क्रय कर संग्रहण का ठेका विभाग पहली बार दे रहा है जिसके लिये उपायुक्त अलवर द्वारा नियम विरुद्ध ठेका सीलबंद टेंडर आमंत्रित कर एक पार्टी को 52 लाख रुपये प्रतिवर्ष में दिया जा रहा है। परिवादी ने यह भी कथन किया कि उसने दिनांक 6.10.2003 को मुख्य सचिव (वित्त) को शिकायत की थी जिन्होनें निविदा को निरस्त कर नीलामी की प्रक्रिया अपनाकर अनावश्यक कानूनी विवाद उत्तपन्न न होने देने का आदेश दिया और यह भी लिखा कि उपर्युक्त निविदा को निरस्त होने से कोई राजस्व हानि हो तो स्वंय उचित निर्णय ले लेवें । परिवादी ने आरोप लगाया कि उपर्युक्त आदेश पर विभाग ने तीन सदस्यों की एक अन्तरविभागीय समिति बनाई जिसनें यह आशंका बताई कि नीलामी से बोली 52 लाख रुपये से कम आ सकती है। परिवादी ने शपथ पत्र दिनांक 10. 11.2003 के साथ 57 लाख रुपये का चैक यह लिख कर सुपुर्द किया था कि कर संग्रहण हेतु नीलामी में 57 लाख रुपये तक की बोली उसकी होगी, परन्तु समिति ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया व इसका उल्लेख तक नही किया ।

परिवाद में लगाये गये गंभीर आरोपो को देखते हुये आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, कर भवन, जयपुर तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राजस्थान सरकार, जयपुर से प्रकरण से सम्बन्धित समस्त मूल अभिलेख मामलें के निस्तारण से पूर्व अवलोकन हेतु तुरन्त तलब किये गये । जिसका अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ कि 52 लाख रुपये की जो निविदा प्राप्त की गयी वह नियमों का उल्लधंन करके प्राप्त की गयी । परिवादी के इस आरोप की पुष्टि भी हुयी कि विभागीय समिति ने उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं 57 लाख रुपये तक की बोली को नजरअंदाज कर दिया ।

अतः आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 6.12.2003 द्वारा आदेश दिनांक 3.12.2003 की प्रति प्रेषित कर यह अनुशंसा की गयी कि बिक्री कर संग्रहण का प्रथम ठेका नियमानुसार खुली नीलामी से ही किया जावे और खुली नीलामी में शिकायतकर्ता की बोली 57 लाख रुपये की रहेगी । जिस हेतु उसके द्वारा प्रस्तुत खाते में देय चैक को रिकार्ड पर रखा जावे ।

अभी तक उपर्युक्त अनुशंसा की पालना में की गयी कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ. 11(90)लोआस/2000

परिवादी श्री पुरूषोत्तम नागपाल, निवासी अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर ने अपने परिवाद में यह अभिकथन किया है कि उसकी भूमि चक 80 जीबी मुरब्बा नं. 55 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा के पास शिवसुंदर सिंह विश्नोई की कृषि भूमि आई हुई है। श्री शिवसुंदर सिंह विश्नोई ने रायसिंहनगर चौराहे के पास चक 7 पीजीएम में वन विभाग की 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर जब अतिक्रमण करना आंरभ किया, तो दिनांक 15.9.2000 को उसने इस अवैध निर्माण को रूकवाने के लिए उपखंड अधिकारी श्री अशोक यादव को सूचना दी, परन्तु श्री अशोक यादव के कृत्य से उन्हें लगा कि वे अवैध अतिक्रमण करवाने में सहयोग कर रहे है । परिवादी के पिता श्री घनश्याम दास नागपाल ने जब श्री सुंदर सिंह विश्नोई को समझाने की कोशिश की, तो उसने भला-बुरा कहा जिसके बारे में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की, तो थानाधिकारी ने रिपोर्ट नहीं ली । तदुपरान्त वे उपखंड अधिकारी के पास गये, तो वहां पर सुंदरसिंह विश्नोई बैठा बातचीत कर रहा था और उसने उपखंड अधिकारी को अखबार में लिपटा पैकेट दिया जिस पर वह वापस आ गये । उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार को मौका निरीक्षण बाबत लिख दिया । तहसीलदार ने नायब तहसीलदार को निरीक्षण के लिए लिखा, जो करीब 1.30 बजे मौके पर गये, परन्तु उन्होनें किसी भी प्रकार से अवैध निर्माण को रूकवाने का प्रयास नहीं किया । दिनांक 18.9.2000 को इस मामले में उन्होनें अपर जिला कलेक्टर, सूरतगढ को भी प्रार्थना पत्र दिया जिस पर उन्होनें यथास्थिति रखने के आदेश दिये फिर भी अवैध निर्माण नहीं रूकवाया गया । इस प्रकार दिनांक 20.9.2000 तक श्री सुंदरसिंह विश्नोई ने राज्य कर्मचारियों द्वारा बरती गई उदासीनता के कारण वन भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया जिससे उनका अपनी कृषि भूमि पर जाने का रास्ता भी बन्द हो गया ।

इस परिवाद पर संभागीय आयुक्त, बीकानेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया, जिन्होंने 16.10.2000 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) से जांच कराकर, उपखंड अधिकारी का कोई दोष न होना वर्णित किया । तदुपरान्त माननीय लोकायुक्त महोदय के आदेशानुसार इस परिवाद में प्रारंभिक जांच आरंभ की गई ।

प्रारंभिक जांच के दौरान प्रस्तुत की गई प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष तो निकलता है कि श्री सुन्दरसिंह विश्नोई ने वन विभाग की 14 बिस्वा भूमि पर

अवैध अतिक्रमण कर रखा है । जब निर्माण कार्य किया जा रहा था तब परिवादी ने उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर मौका देखने के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया । नायब तहसीलदार व पटवारी ने मौके की रिपोर्ट प्रस्तुत की, परन्तु भूमि के स्वामित्व के बारे में किसी प्रकार की कोई निश्चितता नहीं होने के कारण अवैध निर्माण नहीं रूकवाया गया । अन्त में जब भूमि के स्वामित्व का निर्धारण दिनांक 30.10.2000 को हुआ, तो वन विभाग को उसे निष्काषित करने के लिए अधिकृत कर दिया गया । वन विभाग के सहायक वन संरक्षक ने श्री सुन्दरसिंह विश्नोई को नोटिस देकर उसे निष्काषित करने का अधिनियम के अनुसार जब अपना निर्णय दिया, तो उसके विरूद्ध श्री सुन्दरसिंह विश्नोई ने न्यायालय से अपने हक में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । स्थगन आदेश के विरूद्ध विभाग ने न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश में अपील भी प्रस्तुत कर दी लेकिन उसका भी निर्णय विभाग के विरूद्ध चला गया वह भी सक्षम न्यायालय में इस अवैध निर्माण व भूमि के बारे में वाद लंबित है ।

चूकिं मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर कोई भ्रष्टाचार या परेशान करने या उदासीनता बरते जाने या उपेक्षा किये जाने के कोई तथ्य नहीं आये है । ऐसी स्थिति में इस प्रारंभिक जांच को बन्द किया जाकर दिनांक 11.6.2003 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को निम्नानुसार अनुशंसा की गई:-

1. वे वन विभाग की चक 7 पीजीएम के मुरब्बा नं. 293/439 की 14 बिस्वा भूमि पर श्री सुन्दरसिंह विश्नोई द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण के मामले में न्यायालय में लंबित मुकदमें में सभी सुसंगत प्रलेख व साक्ष्य प्रस्तुत कर विभाग का पक्ष मजबूती से रखे व न्यायालय के अंतिम निर्णय से इस सचिवालय को अवगत करावें ।

2. राजस्थान में वन विभाग के अधीन भूमि का सीमांकन करवाया जाकर उसके प्रलेखों का उचित संधारण सुनिश्चित कराया जावें ताकि भविष्य में वन भूमि पर किये जाने वाले किसी भी अतिक्रमण की दशा में त्वरित कार्यवाही की जा सके। इस संबंध में की गई कार्यवाही की पालना 3 माह में इस सचिवालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें ।

अनुशंसा की पालना में अभी तक की गई अथवा की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।

एफ. 3(89)लोआस/2000

परिवादी श्री घनश्याम अग्रवाल निवासी नागपाल कोलोनी, श्रीगंगानगर ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि थानेदार श्री कान्ता सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री सुधीन प्रताप सिंह के समय अपनी रंजिश के कारण उसे फर्जी उग्रवादी बना कर बैरागी जत्थे को झूँठा फंसा दिया । उसने समय-समय पर कई व्यक्तियों के खिलाफ झूँठे मुकदमे बनाये हैं तथा अपने प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं होने देता ।

परिवादी ने तत्कालीन महानिदेशक पुलिस श्री अमिताभ गुप्ता को भी शिकायत की, जिन्होंने रेंज एडिशनल एस.पी. से अनुसंधान करने व संबंधित लोकसेवक श्री कान्ता सिंह के आचरण बाबत रिपोर्ट मांगी, जिन्होंने स्वयं कोई जांच न कर जांच डी.एस.पी. श्री जीवराज सिंह को देदी, जिन्होंने मौखिक रूप से तो यह माना कि उसके लड़के के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया है, परन्तु

श्री कान्ता सिंह के आचरण की जांच नहीं की । इस संबंध में प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं परिवादी के एतराजात के अवलोकन के पश्चात् इस प्रकरण में प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिये गये ।

प्रारंभिक जांच के दौरान् आई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह स्थापित हुआ कि प्रकरण संख्या 1/2000 आरक्षी केन्द्र मटीली राठान में परिवादी के पुत्र के विरूद्ध दर्ज हुआ उसमें श्री कान्ता सिंह, थानेदार का संबंध प्रकट होता है । साथ ही प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी अंतिम प्रतिवेदन देने के अलावा, इस तथ्य की जांच बावजूद तथ्य उपलब्ध होने के नहीं की कि कान्ता सिंह का उस प्रकरण को दर्ज कराने में क्या संबंध था इस तरह से उप अधीक्षक पुलिस श्री जीवराज सिंह ने अपने कर्त्तव्य पालन में लापरवाही बरती । यहां तक कि महानिदेशक पुलिस के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी प्रकरण में अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा न किया जाकर/न कराया जाकर उप अधीक्षक पुलिस से कराया गया और उसके लिये कोई आदेश भी नहीं लिया गया व न ही थानेदार श्री कान्ता सिंह के आचरण की जांच की गई ।

अतः दिनांक 29.4.2003 को शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को निम्नानुसार सिफारिश की गई :-

1. तत्कालीन महानिदेशक पुलिस श्री अमिताभ गुप्ता के आदेश की पालना न करने में जो-जोन अधिकारी/कर्मचारी दोषी रहे, उनके विरूद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही की जावे ।

2. थानेदार श्री कान्ता सिंह द्वारा अपने परिचित व अपने संबंधियों को गवाह रख कर परिवादी के पुत्र के विरूद्ध असत्य मुकदमा आरक्षी केन्द्र मटीली राठान में दर्ज कराया गया, इस प्रकार श्री कान्ता सिंह थानेदार ने लोकसेवक के नाते अपने पद का दुरूपयोग किया । अतः उसके विरूद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही की जावे ।

सिफारिश की अनुपालना में की गई कार्यवाही की सूचना अभी तक अपेक्षित है ।

एफ. 16(147)लोआस/2001

परिवादी श्री शांति लाल जैन, अध्यक्ष, दादू नगर विकास समिति, जयपुर ने श्री बद्री नारायण, उपायुक्त, जोन-सी-2, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया कि सुभाष सिन्धी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की योजना नं. 24 दादूनगर के बारे में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 75 के अधीन प्रमाण पत्र जारी किया जाकर निर्णय उसके हक में किया गया है तथा स्पेसिफिक परफोर्मेन्स का दावा भी समिति के हक में सक्षम न्यायालय द्वारा जमीन के बारे में किया जा चुका है । दिनांक 10.12.1999 को श्री बद्री नारायण ने राजस्व अधिनियम की धारा 90बी के अधीन समिति के पक्ष में निर्णय लिया लेकिन बाद में भू-माफियाओं से मिल कर दिनांक 10.3.2000 को अपने निर्णय को बदल कर गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में निर्णय लेकर अतिक्रमण करवाना आरंभ कर दिया । श्री बद्री नारायण सर्वे का बहाना करके उनकी वैध योजना को नियमित न कर उस पर भूमाफियाओं को अतिक्रमण करवा रहे हैं । जयपुर विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट भी उसके हक में है । ऐसी स्थिति में श्री बद्रीनारायण को दोषी सिद्ध करने की प्रार्थना की है ।

जयपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् माननीय लोकायुक्त ने श्री बद्रीनारायण के खिलाफ अन्वेषण किये जाने के आदेश पारित किये । श्री ब्रदीनारायण ने अपना जवाब प्रस्तुत किया व संबंधित प्रलेखों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं । श्री शांति लाल जैन, परिवादी ने अपनी उपस्थिति दे कर कुछ प्रलेख प्रस्तुत किये।

अन्वेषण के पश्चात् यह स्थापित हुआ कि भूमि खसरा नं. 143 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम बिन्दायका में दादू नगर योजना नं. 24, सुभाष सिन्धी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी का टाइटल इस सोसायटी के हक में होने व भूमि का अंतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो जाने के बावजूद कभी श्री बद्री नारायण ने उसके नियमन में येन-केन प्रकारेण बाधा डाली जबकि एक बार जब भूमि का अंतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो जाये, तो यह जयपुर विकास प्राधिकारण का विधिक दायित्व हो जाता है कि वह इसका कब्जा विधिक दावेदारों को संभलवायें । श्री बद्रीनारायण के विरूद्ध कोई अनुशंसा नहीं की गई, परन्तु आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को दिनांक 21.11.2003 को निम्नानुसार सिफारिश की गई :-

> "When once land is resumed, possession stands transferred to the Jaipur Development Authority and it is the statutory responsibility of the Jaipur Development to restore the possession to the lawful claimants. This is implicit in the report itself. However, it is made clear that recommendation is made to Jaipur Development Authority to make regularisation in favour of Subhash Sindhi Co-operative Housing Society on the basis of lawful title and possession be restored to the said society."

अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।

एफ. 11(88)लोआस/2000

राजस्थान पत्रिका के दिनांक 31.8.2000 के अंक में *''अफसरों ने विस्थापितों से 'अवार्ड' ऐंठकर रिश्तेदारों को जमीन बांटी''* शीर्षक से छपे समाचार में बीसलपुर बांध परियोजना के विस्थापितों से परियोजना एवं प्रशासन में कार्यरत कुछ जाति विशेष के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डारा-धमकाकर उनकी जमीनों के अवार्ड खरीदनें एवं बाद में अपने खास रिश्तेदारों के नाम सैकड़ों बीघा जमीन करने का आरोप लगाया गया जिस पर स्वप्रस्तावानानुसार यह प्रकरण संस्थित किया गया एवं जिला कलेक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । जिला कलेक्टर, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 24.11.2001 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, परन्तु रिपोर्ट पूर्ण एवं असंतोषजनक होने से संभागीय आयुक्त, अजमेर से प्रकरण में विस्तुत जांच करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 10.12.2002 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की । जांच में पाया गया कि श्री छीतर पुत्र प्रतापा, छीतर पुत्र कवरिया, रघुनाथ पुत्र उगताराम, नारायण सिंह पुत्र भंवर सिंह, लक्ष्मीनारायण पुत्र हीरालाल ने उनके नाम आवंटित भूमि के अधिकार श्री बच्चू सिंह को जरिये मुख्त्यारनामें से हस्तान्तरित कर दिये । ये मुख्त्यारनामा एक ही दिन अर्थात दिनांक 1.6.2000 को लिखे गये । इसी दिनांक को ही इन आवंटियों को कब्जा सुपूर्द कर दिया गया । सभी मुख्त्यारनामों की भाषा समान है तथा शिकायतकर्ता श्री आर.पी.धापकड़ के अनुसार श्री बच्चू सिंह चाहर तत्कालीन अतिरिक्त कलक्टर पुनर्वावास, देवली श्री एल.एन.चौधरी के दामाद हैं ।

अतः दिनांक 6.2.2003 व 29.4.2003 को माननीय मंत्री, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को संभागीय आयुक्त, अजमेर की रिपोर्ट प्रेषित करते हुए यह अनुशंसा की गई कि इस प्रकरण में राज्य सरकार स्तर पर श्री एल.एन.चौधरी, तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर, पुनर्वास, देवली, जिला टोंक के विरूद्ध विभागीय जांच कर दण्डित किया जावे व नियमों के अन्तर्गत अनियमित आवंटनों को निरस्त करने पर भी विचार किया जावे ।

दिनांक 29.4.2003 को श्री बी.डी.कल्ला, मंत्री, कार्मिक विभाग को अनुशंसा की पालना में कार्यवाही करने हेतु अ.शा.पत्र लिखा गया, परन्तु अभी तक की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है।

एफ. 31(4)लोआस/2001

परिवादी श्री सुरेश शर्मा निवासी हिण्डौन सिटी, जिला करौली ने यह परिवाद दिनांक 2.6.2001 को इन तथ्यों का पेश किया कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता श्री रामराज मीणा ने उपखण्ड टोडाभीम/महवा में मस्टर रोल एवं हैण्ड रिसीट पर स्वीकृति से अधिक श्रमिक जल योजनाओं पर रख कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाई, बिना डी.पी.आर. के विज्ञापन बिलों का भुगतान किया, श्री रामराज मीणा को जून, 1990 में आरोप पत्र दिया गया जिसे सचिव की महरबानी से समाप्त कर दिया गया, श्री रामराज मीणा को गलत पदोन्नति दी गई, बिना स्वीकृति प्राप्त किये न्यायालयों में समझौता किया, सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना वसूली योग्य विविध अग्रिम राशि को समाप्त कर दिया, स्वजातीय ठेकेदारों को टेण्डर बेचे, बिना स्वीकृति प्राप्त किये स्टार्टर क्रय कर भुगतान किया, श्री के.एल.मीणा, शासन सचिव ने रामराज मीणा के विरूद्ध की गई शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की ।

उपर्युक्त आरोपों संबंध में मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 11.7.2001 को तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । जांच के दौरान् यह भी पाया गया कि मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा भी की जा रही है । अतः उनसे भी मामले की जानकारी चाही गई ।

मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 5.12.2001 की प्रति द्वारा सूचित किया कि श्री रामराज मीणा के विरूद्ध उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोप पत्र राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं । आरोप पत्र की प्रति पत्र दिनांक 1.6.2002 द्वारा प्रेषित की गई व पत्र दिनांक 24.8.2002 द्वारा उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर द्वारा की जांच दिनांक 28.2.2001 की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोपों को निराधार पाया गया परन्तु जांच रिपोर्ट दिनांक 27.5.2000 में आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया ।

इसी क्रम में शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 27.12.2002 द्वारा कुछ बिन्दुओं पर विशिष्ठ सूचना चाही गई, जो उनके पत्र दिनांक 25.4.2003 द्वारा प्रेषित की गई व सूचित किया गया कि श्री रामराज मीणा के विरूद्ध सी.सी.ए. 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र कार्मिक विभाग को भिजवाये जाने पर कार्मिक विकभाग द्वारा प्रकरण में प्रथमतया कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.2.2001 की पालना करने हेतु लिखा तदनुसार विभाग के द्वारा कार्मिक विभाग की राय के अनुसार परिपत्र की पालना में कार्यवाही की जा रही है ।

उपर्युक्त सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 22.5.2003 को शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को यह अनुशंसा की गई कि मामले में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही 10 दिवस में की जाकर पालना रिपोर्ट इस सचिवालय को प्रेषित की जावे। परन्तु विभाग द्वारा संतोषजक कार्यवाही प्रारंभ नहीं किये जाने पर माननीय मंत्र, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 2.8.2003 को समस्त तथ्यों का खुलासा करते हुए पत्र लिखा गया ।

उपर्युक्त अनुशंसा की पालना में अभी तक श्री रामराज मीणा के विरूद्ध की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।

परिवादीगण को प्रदान किये गये अनुतोष के प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण

यहां मै यह उल्लेख करना चाहूँगा कि मेरे लोकायुक्त के पद का कार्यभार संभालने के पश्चात् इस सचिवालय द्वारा परिवादीगण को अनुतोष प्रदान करने में उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि जहां वर्ष 1996-97 में 3, वर्ष 1997-98, 1998-99 व 1999-2000 में क्रमशः 5-5 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष प्रदान किया गया, वहीं वर्ष 2000-2001 में 33 व वर्ष 2001-2002 में 60 तथा वर्ष 2002-2003 की अवधि में 110 परिवादीगण को अनुतोष प्रदान किया गया है । वर्ष 2003-2004 में 66 परिवादीगण को अनुतोष प्रदान किया गया । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है ।

एफ. 11(206)लोआस/2001

परिवादी श्री गुरुदेव सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह निवासी 22, पी.एस., तहसील रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर ने परिवाद दिनांकित 8.3.2002 इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने एस.डी.एम. कार्यालय, रायसिंह नगर में कमलेश कुमारी के फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र को निरस्त किये जाने हेतु सभी सबूतों के साथ दो प्रार्थना पत्र दिये, परन्तु एस.डी.एम. उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

इस पर जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से दिनांक 27.4.2002 के पत्र द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 13.11.2002 एंव 20.10.2003 द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती कमलेश कुमारी पत्नी श्री कृष्ण लाल मिगलानी को जारी मूल निवास प्रमाण पत्र गलत जारी होना पाया जाने पर उसे निरस्त कर दिया गया है तथा फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी श्री मदनलाल बगड़ाबतिया, तत्कालीन तहसीलदार राजस्व, रायसिंह नगर के विरुद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवा दिये गये है।

एफ. 11(5)लोआस/2003

श्रीमती प्रभाती देवी पत्नि श्री सीताराम ढोली, ग्राम एण्डवा, जिला सवाई माधोपुर ने यह परिवादी इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि उसे इन्दिरा आवास का मकान बनाने के बाद भी चार वर्षो से दूसरी किस्त का भुगतान नही किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होनें अपने पत्र दिनांक 14.09.2003 द्वारा यह सूचित किया कि सरपंच की अभिशंसा पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति सवाई माधोपुर ने परिवादिया को दूसरी किस्त की राशि रुपये 8500/- का भुगतान कर दिया है ।

एफ. 16(85)लोआस/2002

परिवादी श्री ओंकार सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री दूल सिंह ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि उसके पिता पंचायत समिति डेगाना में वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे जिनका राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 11.11.1983 को निधन हो गया । तब से वह लगातार विभाग को मृतक

राज्य कर्मचारी के आश्रित के नाते राज्य सेवा में नियुक्ति दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दे रहा है परन्तु उसे अभी तक नियुक्ति नही दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर से दिनांक 19.08.2002 के पत्र द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् उन्होने अपने पत्र दिनांक 14.05.2003 द्वारा सूचित किया कि परिवादी को पंचायत समिति मूंडवा में वाहन चालक के पद पर दिनांक 15.03.2003 को नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है।

एफ. 16(281)लोआस/2002

श्रीमती कला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री दामोदरलाल शर्मा निवासी भैरु दरवाजा, सवाई माधोपुर ने यह परिवाद दिनांक 4.3.2003 को इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि उसके पति की नगरपालिका, सवाई माधोपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत रहते हुये दिनांक 3.2.2002 को मृत्यु हो गयी थी। उसने मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के नाते नियुक्ति चाहने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु उसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नही दी जा रही है जिससे उसकी भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

इस सम्बन्ध में प्रशासक, नगर पालिका, सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया व निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर से भी पत्राचार किया गया । सचिवालय के प्रयासों से परिवादिया को आदेश दिनांक 11.6.2003 द्वारा नगर पालिका, सवाई माधोपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दे दी गयी ।

इस प्रकार सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादिया को शीध्रातिशीध्र अनुतोष प्रदान किया गया ।

एफ. 3(24)लोआस/2003

श्री नाथूलाल पुत्र श्री वरधाजी सरगड़ा, निवासी प्रेम नगर, आबू रोड़ ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि उसने अपनी पुत्री का विवाह रोहिड़ा निवासी पूराराम सरगड़ा के ज्येष्ठ पुत्र कमलेश के साथ दिनांक 25.2.2001 को किया था । विवाह के पश्चात् से ही उसके ससुरालवाले उसकी पुत्री को दहेज के लिये यातनायें देते थे और इसी की परिणति में उसकी पुत्री पुष्पा को मार दिया गया व उसे आत्महत्या का रुप देने का प्रयास किया गया । इस सम्बन्ध में उसने हत्या की रिपोर्ट पुलिस थाना रोहिड़ा, जिला सिरोही में दर्ज करवा दी परन्तु पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नही किया जा रहा है व हत्या के मामलें में साक्ष्यों को नजरअंदाज कर लीपापोती की जा रही है।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सिरोही से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होनें अपने पत्र दिनांक 21.7.2003 द्वारा अवगत कराया कि मामले की जांच उप अधीक्षक पुलिस, एस.सी. एस.टी. सेल, सिरोही से करवाई गई व बाद अनुसंधान अभियुक्त कमलेश, पूराराम, हंसमुख के विरुद्ध धारा 498-ए, 304-बी, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 16.7.2003 को चालान प्रस्तुत कर दिया गया है।

एफ. 11(303)लोआस/2002

श्री रामवतार मेहरड़ा निवासी वार्ड नम्बर 7, श्री माधोपुर ने यह परिवाद प्रस्तुत कर यह आरोप लगाया कि उसने वर्ष 1994 में आयोजित राजस्व मण्डल अजमेर से आवेदन पत्र लेखक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी । उसने जिलाधीश कार्यालय सीकर में अनुज्ञा पत्र चाहने हेतु लिखित आवेदन किया व बार-बार मौखिक व लिखित रुप से प्रार्थना की परन्तु उसे अनुज्ञा पत्र नही दिया जा रहा है जबकि बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये हुये स्वर्ण जाति के लोगों को अनुज्ञा पत्र जारी कर दिये गये है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर सीकर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 17.06.2003 द्वारा सूचित किया कि उप पंजीयक श्री माधोपुर के यहां से परिवादी का आवेदन पत्र दिनांक 3.5.2003 को प्राप्त होने के बाद आवेदक को दिनांक 11.6.2003 को अनुज्ञा पत्र जारी कर दिया गया है।

एफ. 11(186)लोआस/2001

श्रीमती कैलाशी पत्नि श्री रामचरण निवासी ग्राम शहर तहसील नादोती जिला करोली ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि करीब 30 वर्ष पूर्व उसके पति श्री रामचरण पुत्र श्री धुडया के नाम की खातेदारी भूमि करीब 21 बीधा को सीलिंग से अधिक होने पर अवाप्त कर लिया गया था जिसकी मुआवजा राशि राज्य सरकार द्वारा 16730 रुपये तय की गई थी जिसका भूगतान 10 किस्तों में रुपये 1673/- प्रतिवर्ष के हिसाब से किया जाना था । वर्ष 1996 में 1 किस्त उसके पति को मिल गई थी परन्तु उसके बाद उन्हे कोई राशि प्राप्त नही हुई है, जो शीध्र दिलवाई जावें।

इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोन सिटी एवं जिला कलेक्टर करोली से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी पत्राचार के पश्चात् जिला कलेक्टर करोली ने अपने पत्र दिनांक 28.05.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को बकाया मुआवजे की राशि रुपये 10038/- का भुगतान कर दिया गया है जिसकी प्राप्ति रसीद भी संलग्न कर प्रेषित की गई है।

एफ. 10(22)लोआस/2003

श्री कुलदीप कानव निवासी खातोलाई जिला जयपुर ने यह परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसे अधीक्षण अभियन्ता जे.पी.डी.सी. जिला वृत्त, जयपुर ने अपने कार्य आदेश संख्या 6149 दिनांक 28.01.2002 के अनुसार मीटर व मीटर बाक्स लगाने का कार्य दिया था, जो उसने निर्धारित समय में कर दिया परन्तु उसे उपर्युक्त मजदूरी का भुगतान नही किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 09.09.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी ने माह अगस्त 2003 तक भी कार्य आदेश की शर्त संख्या 2 के अनुसार 100/- रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर वाछिंत एग्रीमेन्ट हस्ताक्षर करके नही दिया, जो कि कार्य आदेश प्राप्त होने पर 7 दिवस की अवधि में देना आवश्यक था । फिर भी आगे और देरी नही हो इसलिये परिवादी की मजदूरी रुपये 24619/- का भुगतान जरिये चैक दिनांकित 22.08.2003 किया जा चुका है।

एफ. 10(56)लोआस/2002

परिवादी श्री फरीद खान पुत्र श्री दीन मोहम्मद खान निवासी सिवाना जिला बाडमेर ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि उसने दिनांक 22.07.2002 को दुकान पर विद्युत कनेक्शन का

आवेदन किया था जिसपर विभाग ने दिनांक 24.07.2002 को 4360/- रुपये का डिमाण्ड नोटिस जारी किया, जो राशि परिवादी ने उसी दिन जमा करा दी । परन्तु आज दिनांक तक भी उसे विद्युत कनेक्शन नही दिया जा रहा है । बिना कनेक्शन के ही परिवादी को दिनांक 4.11.2002 को एक बिल रुपये 923/- का भेज दिया गया ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, जोधपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 16.06.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी का आरोप तथ्यात्मक रुप से सही है तथा परिवादी को दिनांक 2.3.2003 को विद्युत कनेक्शन जारी करके बिल की राशि 923/- रुपये का समायोजन कर परिवादी को सन्तुष्ट कर दिया गया है।

एफ. 12(136)लोआस/2002

श्री गंगाप्रसाद गुप्ता, सेवानिवृत ग्राम सेवक, निवासी 5/212, दुर्गा मन्दिर के सामने, गुलर रोड़, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) ने यह परिवाद इन तथ्यों का पेश किया कि वह दिनांक 13.4.1964 से राजस्थान सरकार की सेवा में ग्राम सेवक पंचायत समिति डग, जिला झालावाड़ में कार्यरत था व दिनांक 27.6.2001 को उसे सेवा निवृत कर दिया गया परन्तु उसे दिनांक 8.1.1988 से 30.6.2001 तक का वेतन व पेन्शन का भुगतान तथा अन्य परिलाभों का भुगतान नही किया जा रहा है।

परिवाद की प्रति निदेशक पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में यह अवगत कराया गया कि परिवादी को नियमानुसार देय सभी बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

एफ. 12(98)लोआस/2003

श्री चतुर्भुज जांगिड़ ने यह परिवाद इन तथ्यों का पेश किया कि श्री छोटी देवी जांगिड़, पत्नि स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जांगिड़ निवासी इटावा को बिना किसी कारण के विधवा पेन्शन स्वीकृत नही की जा रही है, जो स्वीकृत करवाई जावें ।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होनें अपने पत्र दिनांक 4.11.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को आदेश दिनांक 6.10.2003 से विधवा पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है।

एफ. 11(309)लोआस/2002

श्रीमती रामू बेन पत्नि स्वर्गीय श्री कपूराराम मीणा निवासी आबू रोड़, सिरोही ने यह परिवाद इन तथ्यों को प्रस्तुत किया कि उसे व उसके पति के नाम से राज्य सरकार द्वारा सयुंक्त वृद्धावस्था पेंशन भुगतान आदेश क्रमांक 200/383-84 दिनांक 22.5.2002 द्वारा रुपये 300/- प्रतिमाह पेंशन के मिलते थे तत्पश्चात् उसके पति का निधन हो गया जिसकी सूचना प्राधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आबू पर्वत को दी जाकर संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति परिवादिया के नाम करने की प्रार्थना की परन्तु उसे अभी तक वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर सिरोही से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 28.5.2003 द्वारा सूचित किया कि स्वीकृत पेंशन अनुसार श्री कपूराराम मीणा एवं उनकी पत्नी

को संयुक्त रुप से 300/- रुपये प्रतिमाह पेंशन भेजी गई थी । श्री कपूराराम की माह नवम्बर 2002 में मृत्यु होने से पेंशन वितरित नही हुई । इसके पश्चात् परिवादिया द्वारा एकल राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन हेतु आवेदन करने पर एवं मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर पेंशन स्वीकृत की जाकर माह अप्रेल 2003 की पेंशन राशि रुपये 200/- प्रतिमाह उन्हे भिजवाई गयी थी, जो परिवादिया के गांव से बाहर चले जाने के कारण वापिस लौटाई गयी । अब परिवादिया को नियमित पेंशन मिल रही है। नवम्बर 2002 एवं अप्रेल 2003 की पेंशन का भुगतान भी शीध्र ही कर दिया जावेगा ।

एफ. 11(283)लोआस/2002

श्रीमती लक्ष्मी पत्नि स्वर्गीय श्री धर्माजी बन्जारा निवासी वार्ड नम्बर 17, गांधी नगर, आबू रोड़, ने आरोप लगाया कि उसने विधवा पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरकर एक वर्ष पूर्व दिया था परन्तु उसे पेंशन का भुगतान अभी तक भी नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर सिरोही से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 19.03.2003 द्वारा सूचित किया कि परिवादिया के आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी, आबू पर्वत द्वारा दिनांक 7.12.2002 को स्वीकृति जारी की गयी । स्वीकृति के क्रम में भुगतान हेतु कोषाधिकारी, सिरोही द्वारा पी.पी.ओ. क्रमांक 1344 दिनांक 21.01.2003 के द्वारा भुगतान हेतु कोषाधिकारी, आबू रोड़ को भेजा गया है एवं भुगतान दिनांक 20.01.2003 से किया जा रहा है।

एफ. 10(31)लोआस/2003

यह परिवाद श्री अब्दुल रशीद पुत्र श्री असगर अली द्वारा इन तथ्यों का प्रस्तुत किया गया कि उसे सहायक अभियन्ता (न.उ.ख.स.प्रथम) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, जोधपुर द्वारा दिनांक 05.07.2003 को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गयी परन्तु उसे जी.पी.एफ., ग्रेच्यूटी एवं पेंशन आदि का भुगतान आदि नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, जोधपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 28.11.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को अनिवार्य से सेवानिवृत नही किया गया था बल्कि उसकी स्वंय की प्रार्थना पर ही उसे सेवानिवृति दी गयी थी । परिवादी को जी.पी.एफ. की राशि का भुगतान किया जा चुका है । जहां तक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी के भुगतान का प्रश्न है उसमें परिवादी की सर्विस बुक के आदिनांकित ना होने के कारण देर हो रही है जिसके पूर्ण होते ही इनके भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही कर दी जावेगी ।

एफ. 10(51)लोआस/2002

श्री अमरसिंह शेखावत सेवानिवृत लाईनमेन प्रथम, जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, भादरा ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 30.07.2002 को सेवानिवृत हुआ था परन्तु उसे ग्रेच्यूटी, पेंशन एवं सी.पी.एफ. की राशि का भुगतान नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, जोधपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 28.04.2003 द्वारा अवगत कराया कि कर्मचारी की सेवानिवृति के पश्चात् पेंशन सेट तैयार करते समय ज्ञात हुआ कि उसकी जन्म तिथि में काट-छाँट की हुई है जिसको दुरुस्त करने के लिये कर्मचारी से जन्मतिथि के सम्बन्ध में प्रमाण चाहे गये जिसको प्रस्तुत करने में कर्मचारी ने बहुत समय लिया । तत्पश्चात् कर्मचारी को जरिये डी.डी. दिनांक

22.04.2003 को रुपये 156424/- की जी.पी.एफ. की राशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी को पी.पी.ओ. नम्बर 14227 के द्वारा 3030/- रुपये की मासिक पेंशन, ग्रेच्यूटी की राशि रुपये 148500/- एवं कम्यूटेशन की राशि रुपये 126715/- की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

एफ. 10(45)लोआस/2002

परिवादिया श्रीमती फूला बेगम पत्नि स्वर्गीय श्री रमजान खान ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि उसके स्वर्गीय पति को दिनांक 1.11.1982 से पेंशन देय थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उसे पेंशन मिलनी चाहिये थी परन्तु डेढ वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उसे पेंशन का भुगतान नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 20.06.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को दिनांक 1.11.1982 से 30.09.1998 तक की बकाया पेंशन व ग्रेच्यूटी राशि रुपये 86798/- का भुगतान कर दिया गया है।

एफ. 35(166)लोआस/2002

यह परिवाद सुश्री मंजू पुत्री श्री नारायण जांगिड़, निवासी गांधी नगर, आबू रोड़ ने इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि उसे विकलांग पेंशन मिलती थी परन्तु बाद में भुगतान बन्द कर दिया गया । इस सम्बन्ध में आबू रोड़ उपकोष कार्यालय में उसके द्वारा बकाया पेंशन का भुगतान करने हेतु प्रार्थना पत्र दिये गये परन्तु कोई कार्यवाही नही की जा रही है। वह एक गूंगी, बहरी व गरीब स्त्री है। अतः उसे बकाया पेंशन का भुगतान शीध्र कराया जावे ।

इस परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सिरोही से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 06.06.2003 एवं 15.07.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को 22.05.2002 से पेंशन स्वीकृत की गयी थी, जो उसे तब से नियमित रुप से भेजी जा रही थी । माह अक्टूबर, नवम्बर 2002 की भेजी गयी पेंशन की राशि परिवादिया के इलाज हेतु बाहर चले जाने के कारण राजकोष में पुनः जमा हो गयी । जिसका भुगतान उसे जरिये मनीआर्डर भिजवा दिया गया है।

एफ. 16(251)लोआस/2001

श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, सेवा निवृत, कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका मण्डल, छापर, जिला चूरु ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 30.11.2000 को 33 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् स्वैच्छिक रुप से सेवा निवृत हुआ था । इसके पश्चात् वह निदेशक, पेन्शन एवं निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को पेंशन एंव अन्य परिलाभों का भुगतान किये जाने हेतु लगातार निवेदन कर रहा है परन्तु 14 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उसे पेंशन एवं अन्य परिलाभों का भुगतान नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से दिनांक 19.12.2002 के पत्र द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी पत्राचार के पश्चात् पत्र दिनांक 26.03.2003 द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी को ग्रेच्यूटी की राशि रुपये 1,77,037/-, जमा शुदा राशि 1,01,572/-, वेतन ऐरियर 73008/- तथा पी.एफ. राशि 50266/- कुल 4,01,883/- का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 22.05.2003 को नस्तीबद्व कर दिया गया ।

एफ. 8(6)लोआस/2003

श्री ओमप्रकाश शर्मा, सेवा निवृत, कनिष्ठ विशेषज्ञ, सर्जरी निवासी बृजलाल नगर, मालपुरा जिला टोंक ने यह परिवाद इन तथ्यों का पेश किया कि उसने उपर्युक्त पद पर कार्यरत रहते हुये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला गंगानगर से दिनांक 12.11.2002 से स्वैच्छिक सेवा निवृति प्राप्त की थी परन्तु उसे बार-बार अनुरोध करने के पश्चात् भी पेंशन व अन्य परिलाभों का भुगतान नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होनें अपने पत्र दिनांक 29.10.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण दिनांक 12.5.2003 को किया जा चुका है।

एफ. 8(27)लोआस/2000

डॉ0मोती लाल मिश्र, निवासी नोखा, जिला बीकानेर यह परिवाद दिनांक 25.9.2000 को इन तथ्यों का पेश किया कि उसने राज्य सेवा दिनांक 15.4.1959 को जोइन की थी व दिनांक 28.2.1988 को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत हुये थे । उसे दिनांक 28.7.1973 को कोष के अनुचित उपयोग के आरोप में निलम्बित किया जाकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी जिसके पूरा न होने पर उसे दिनांक 5.2.1977 को सेवा में बहाल कर दिया गया । सेवा में बहाल होने के पश्चात् वह दिनांक 28.2.1988 को राजसेवा से सेवानिवृत हो गये, परन्तु तब तक भी विभागीय कार्यवाही पूर्ण नही हुयी, जो दिनांक 6.8.1988 को जाकर पूरी हुयी । व उसमें उसे केवल अधीक्षण में लापरवाही का दोषी ठहराया गया । परिवादी का कथन है कि उसे 1973 से 1983 की अवधि के वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ, 1976, 1981 के पुनरीक्षित वेतनमानों में स्थिरीकरण का लाभ, 1979 के चयनित वेतन का लाभ, 4 वर्ष तक की निलम्बन अवधि का वेतन व अन्य परिलाभों का भुगतान नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर से पत्र दिनांक 4.11.2000 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान ने अपने पत्र दिनांक 25.2.2003 एवं 22.4.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी के प्रकरण में समस्त कार्यवाही की जाकर पेंशन एवं सभी बकाया परिलाभों का भुगतान कर दिया गया है ।

एफ. 5(92)लोआस/2002

श्री सत्यभामा अवस्थी पत्नी स्व. श्री रमेन्द्र प्रसाद अवस्थी निवासी महुआ जिला दौसा ने यह परिवाद दिनांक 6.1.2003 को प्रस्तुत कर इन तथ्यों का पेश किया कि उसके पति की मृत्यु पश्चात् विभाग को बार-बार निवेदन करने के पश्चात् भी उसे पेंशन नहीं दी जा रही है जबकि उनके पति के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं थी और न ही कोई बकाया ही था । परिवादिया ने यह भी अंकित किया कि उसके स्वर्गीय पति द्वारा दिनांक 3.4.2000 को पेंशन कुलक विभाग को प्रस्तुत कर दिये गये थे ।

उपर्युक्त परिवाद के संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर से पत्र दिनांक 21.1.2003 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 28.5.2003 द्वारा सूचित किया कि परिवादिया के स्वर्गीय पति श्री रमेन्द्र प्रसाद अवस्थी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, दौसा ने अपने पत्र दिनांक 28.3.2003 द्वारा किया जाकर जी.पी.ओ. नं. 215767 व पी.पी.ओ. नं. 10774-ए जारी कर दिया गया है ।

एफ. 5(98)लोआस/2002

श्रीमती चन्द्रा रिजवानी, सेवानिवृत्त अध्यापिका, निवासी मालवीय नगर, जयपुर ने यह परिवाद दिनांक 23.1.2003 को इन तथ्यों का पेश किया कि उसने दिनांक 1.7.2003 को राज्य सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी, परन्तु सात माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उसे सेवानिवृत्ति के बाद देय लाभों से वंचित रखा जा रहा है जिसका मुख्य कारण दिनांक 9.9.2000 से 3.3.2001 तक 176 दिवस के चिकित्सा अवकाश प्रकरण का लंबित रहना है ।

परिवाद के संबंध में निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से दिनांक 13.2.2003 के पत्र द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी पत्राचार के पश्चात् निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 27.8.2003 द्वारा अंततः सूचित किया कि परिवादिया का पेंशन प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 11.8.2003 द्वारा निदेशालय, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवा दिया है और इस प्रकार परिवादिया की परिवेदना का निस्तारण हो गया है ।

एफ. 5(27)लोआस/2003

श्रीमती शकुन्तला देवी शर्मा, सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, निवासी अलवर ने यह परिवाद दिनांक 26.6.2003 को इन तथ्यों का पेश किया कि वह राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय, नवाबपुरा, अलवर से दिनांक 30.11.2002 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुई थी, परन्तु उसे अभी तक पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे उसे खाने के लाले पड़ गये हैं । वह एक कम पढ़ी लिखी व वृद्ध महिला है । अतः उसकी पेंशन शीघ्र मंजूर करवाई जावे ।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 16.7.2003 द्वारा सूचित किया कि परिवादिया द्वारा पेंशन कुलक प्रस्तुत करने पर तत्काल ही दिनांक 1.1.2003 को निदेशालय, पेंशन विभाग को भिजवा दिया गया था, जो दिनांक 24.1.2003 को जन्मतिथि में बाद में परिवर्तन के संबंध में आक्षेप के साथ पुनः प्राप्त हुआ । आक्षेप की पूर्ति करवाई जाकर तथा राज्य सरकार के निर्णय के उपरान्त पेंशन प्रकरण स्वीकृत करने हेतु दिनांक 14.7.2003 को पेंशन कुलक पेंशन निदेशालय को भिजवाया जा चुका है तथा वर्तमान में पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु पेंशन निदेशालय में लंबित है ।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह प्रकरण दिनांक 19.8.2003 को बंद किया गया ।

एफ. 10(30)लोआस/2003

परिवादी श्री विजय सिंह निवासी उम्मेद चौक, जोधपुर ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि वह सहायक अभियन्ता (नगर उपखण्ड बी-तृतीय), जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, जोधपुर के कार्यालय से सहायक प्रथम के पद पर कार्यरत रहते हुये दिनांक 31.05.2003 को सेवानिवृत हुआ था । उसके जी.पी.एफ. के अन्तिम भुगतान का प्रकरण तैयार कर दिनांक 12.03.2003 को उप वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर को प्रेषित कर दिया गया था परन्तु आज दिनांक तक भी उसे जी.पी.एफ. राशि का भुगतान प्राप्त नही हुआ है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, जोधपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 28.11.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को जी.पी.एफ. की राशि का भुगतान दिनांक 13.10.2003 को किया जा चुका है। जी.पी.एफ. के राशि के भुगतान के सम्बन्ध में उप वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक के स्तर पर भूलवश देरी हुई है जिसके लिये खेद व्यक्त किया गया ।

एफ. 47(2)लोआस/2003

श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, सेवानिवृत निजी सहायक, निवासी न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि उसने कोई ऋण नही लिया इसके बावजूद भी राज्य बीमा विभाग ने 12494/- रुपये की कटौतिया उसके अधिकार पत्र में से कर दी, जो उसे वापिस दिलाई जावे ।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 25.08.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी ने दिनांक 1.1.2003 को स्वैच्छिक सेवा निवृति ली थी । उन्होनें दिनांक 17.02.2003 को अध्यर्पण स्वत्व के निर्धारित प्रपत्र भुगतान हेतु प्रस्तुत किये थे। उपर्युक्त प्रपत्रों पर कार्यवाही कर उन्हे दिनांक 21.02.2003 को रुपये 73684/- का अधिकार पत्र जारी कर भिजवा दिया गया था । परिवादी के उपरोक्त भुगतान में से 12494/- रुपये की कटौतिया उसका रिकार्ड विभिन्न जिलों से स्थानान्तरित न होने एवं पूर्ण जानकारी न दिये जाने के कारण की गई थी, जो उसके द्वारा अब जी.ए. 55 देने पर वापिस लौटा दी गई है।

एफ. 47(13)लोआस/2002

परिवादी श्री बद्रीलाल जाजू निवासी बड़ी सादरी, जिला चित्तौड़गढ ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 1.7.2002 को सेवा निवृत हुआ था परन्तु 4 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उसे राज्य बीमा का अन्तिम भुगतान नही किया गया है। उसने इस सम्बन्ध में राज्य बीमा विभाग एवं जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये थे जिन पर भी कोई कार्यवाही नही की गई है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 30.01.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी को दिनांक 27.08.2002 को राशि रुपये 43388/- का भुगतान किये जाने का अधिकार पत्र जारी किया जाकर भुगतान कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में परिवादी को यदि कोई आपत्तियाँ हो, तो वे

प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया परन्तु उसके द्वारा कोई जवाब नही दिया गया । ऐसी स्थिति में वाछिंत अनुतोष प्राप्त होना मानते हुये दिनांक 7.7.2003 को यह परिवाद बन्द किया गया ।

एफ. 47(10)लोआस/2000

श्री सुखलाल मेनारिया, भूतपूर्व पत्रक वितरक, डूंगरपुर आगार ने यह परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह दिनांक 31.07.1999 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा से सेवा निवृत हुआ था परन्तु उसे जी.पी.एफ. के भुगतान के अलावा अन्य देय परिलाभों का भुगतान नही किया जा रहा है।

उपर्युक्त परिवाद के सम्बन्ध में मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डूंगरपुर आगार, डूंगरपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् पत्र दिनांक 24.04.2003 द्वारा यह अवगत कराया कि परिवादी को रुपान्तरित पेंशन राशि रुपये 98767/- का भुगतान जरिये डी.डी. दिनांकित 29.01.2003 को कर दिया गया है।

एफ. 47(9)लोआस/2002

श्रीमती रमती देवी गुर्जर पत्नि स्वर्गीय श्री पांचूलाल गुर्जर निवासी अमरपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा, ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि उनके पति का राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर कार्यरत रहते हुये दिनांक 19.05.2000 को दुर्धटना में देहान्त हो गया । परिवादिया ने अपने पति की दुर्धटना में मृत्यु हो जाने से दिनांक 23.06.2000 को विभाग में दावा प्रस्तुत किया । विभाग द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 26.08.2000 को आक्षेप लगाकर भिजवाया गया जिनकी पूर्ति उसके द्वारा कर दी गयी परन्तु विभाग द्वारा कमोबेश बार-बार वही आक्षेप लगाकर प्रकरण को निर्णित नही किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 26.03.2003 द्वारा अवगत कराया कि परिवादिया को पंचायतनामा, नक्शा मौका, गवाहों के बयान, पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट व इलाज का पूर्ण विवरण भिजवाने के लिये लिखा गया । तथ्य प्रस्तुत होने पर तथा उनके विश्लेषण के उपरान्त कई तथ्यों पर मनोनीत से स्पष्ट स्थिति की जानकारी आवश्यक हो जाती है । उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त नही होने के कारण कई बार स्मरण पत्र भी दिये गये लेकिन कर्मचारी के मनोनीत ने उपर्युक्त समस्त आक्षेपों की पूर्ति दिनांक 13.09.2002 को की । इसके पश्चात् मनोनीत को रुपये दो लाख का चैक पत्र दिनांक 19.10.2002 द्वारा भिजवा दिया गया ।

इस प्रकार परिवादिया को समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर दिनांक 26.05.2003 को यह प्रकरण बन्द किया गया ।

एफ. 47(16)लोआस/2002

श्री श्याम प्रताप खूंटेटा, सेवा निवृत कार्यालय सहायक निवासी किशनपोल बाजार, जयपुर ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 28.2.2002 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माणक चौक, जयपुर से सेवा निवृत हुआ था परन्तु उसे जी.पी.एफ. की पास बुक में जमा राशि का पूर्ण भुगतान नही किया गया है, जो कराया जावे ।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होने अपने पत्र दिनांक 30.01.2003 द्वारा अवगत कराया कि कुछ कटौतियों का सत्यापन नही होने के कारण जी.पी.एफ. की राशि में से कुछ राशि काट ली गई थी जिसको बाद में सत्यापित किये जाने पर व पासबुक के आधार पर दिनांक 06.01.2003 के अधिकार पत्र द्वारा राशि रुपये 13414/- परिवादी को लौटा दी गई है ।

तत्पश्चात् पत्रावली परिवादी को सम्पूर्ण अनुतोष प्राप्त होना मानते हुए दिनांक 09.04.2003 को नस्तीबद्ध कर दी गयी ।

एफ. 11(157)लोआस/2003

बापू नगर विस्तार, पाली के निवासियों की ओर से यह परिवाद इन तथ्यों का पेश किया गया कि भूमि तस्करों द्वारा 20 से 25 बीधा गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे गांव के पशु पालको को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अत: गोचर भूमि से अतिक्रमण हटवाया जावें ।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर पाली से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने अपने पत्र दिनांक 18.11.2003 द्वारा अवगत कराया कि शिकायत के आधार पर उपर्युक्त गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

एफ. 11(324)लोआस/2002

यह परिवाद ग्राम गोटन तहसील मेड़ता की आम जनता की ओर से इन तथ्यों का प्रस्तुत किया गया कि श्री बचनाराम ने गोटन से टालनपुर जाने वाले रास्ते को अवैध निर्माण करके रोक लिया है जिसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी नही हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर नागौर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होनें अपने पत्र दिनांक 29.07.2003 द्वारा अवगत कराया कि श्री बचनाराम को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया जा चुका है।

एफ. 16(257)लोआस/2001

श्री कमल चन्द कोचर निवासी जेल रोड़, बीकानेर ने यह आरोप लगाया कि उसके पडौसियों ने नगर परिषद के कर्मचारियों से मिली भगत करके निर्माण स्वीकृति के विरुद्व अपनी पट्टाशुदा भूमि से अधिक सरकारी भूमि पर निर्माण करके अतिक्रमण कर लिया है। जिसके सम्बन्ध में उसने नगर परिषद में कई बार आवेदन दिया । परन्तु अवैध निर्माण को नही हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, नगर परिषद, बीकानेर से पत्र दिनांक 7.6.2002 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया । काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् पत्र दिनांक 24.5.2003 द्वारा यह अवगत कराया गया कि श्रीमती केशर देवी द्वारा सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 21.5.2003 को हटा दिया गया है।

एफ. 16(197)लोआस/2002

श्री सुभाष वधवा, शॉप एण्ड सेल्स जूनियर, गुरुद्वारा गली, राजापार्क, जयपुर ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि उसकी दुकान राजापार्क, गुरुद्वारा गली में है। उसके पडौस के दो दुकानदारों द्वारा पूरे फुटपाथ पर माल लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है जिससे आने-जाने वालों को काफी तकलीफ होती है व ट्रेफिक जाम हो जाता है व दुर्धटना की संभावना बनी रहती है। अत: फुटपाथ पर किये गये अतिक्रमण को शीध्र हटवाया जावे ।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होनें अपने पत्र दिनांक 19.5.2003 द्वारा यह अवगत कराया कि प्रश्नगत अतिक्रमण को दिनांक 26.10.2002 को हटा दिया गया था एवं पुन: अतिक्रमण किये जाने पर दिनांक 8.4.2003 को हटाया गया । तथा आयुक्त सर्तकता को उपर्युक्त स्थान पर अस्थायी अतिक्रमण न होने देने के निर्देश भी दे दिये गये है।

एफ. 16(235)लोआस/2001

श्री तिलकराज सिंह, पार्षद, वार्ड संख्या 4, आवासन मण्डल कॉलोनी, झालावाड़ ने यह परिवाद इन तथ्यों का प्रस्तुत किया कि राजस्थान आवासन मण्डल कॉलोनी, झालावाड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर बने मकानों व सड़क के मध्य की सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैधानिक रुप से अतिक्रमण कर लिया गया है जिसे हटवाया जावें ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर से तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया जिन्होनें अपने पत्र दिनांक 4.9.2002 द्वारा अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि आवासन मण्डल की नही है बल्कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। अत: मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से पत्र दिनांक 16.09.2002 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया व काफी लम्बे पत्राचार के पश्चात् व अतिक्रमण हटाये जाने हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाये जाने की बाध्यता के चलते मुख्य अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक 5.7.2003 द्वारा अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि पर श्री राधेश्याम सोनी द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

सूची-परिशिष्ट-1

परिशिष्ट	परिशिष्ट का विवरण	पृष्ठ सं.
1	सांख्यिकी - 28 अगस्त, 1973 से 31.3.1999 एवं 1999-2000 से 2003-2004	73
2	1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि में लंबित, प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों एवं 31.3.2003 को लम्बित रही शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण	74
3	1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि में प्रदान अनुतोष के प्रकरणों का विवरण	75
4	वर्ष 1996-97 से 2003-04 की कालावधि में परिवादियों को प्रदान किये गये अनुतोष के प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति को दर्शित करने वाला चार्ट	76
5	दिनांक 26.11.1999 से 31.3.2004 की अवधि में प्रदान किये गये अनुतोष के प्रकरणों का चार्ट	77
6	1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि के दौरान लंबित, संस्थित एवं निपटाई गई प्रारंभिक जांचों की संख्या को दर्शित करने वाला विवरण।	78
7	1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि के दौरान लंबित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों की संख्या को दर्शित करने वाला विवरण।	79
8	1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि के दौरान धारा-12(1) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों को प्रेषित प्रकरणों को दर्शित करने वाला विवरण ।	80-83
9	बजट 1990-91 से 2003-2004	84
10	बजट 2003-2004	85

सूची-परिशिष्ट-2

परिशिष्ट	परिशिष्ट का विवरण	पृष्ठ सं.
A	राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधनों का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठित की आज्ञा दिनांक 29.7.1997	86
A-1	राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधनों का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु गठित की आज्ञा दिनांक 8.6.2000	87
A-2	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को लिखा गया पत्र दिनांक 5.2.2004	88
B	पूर्व राज्यपाल श्री निर्मल चन्द्र जैन द्वारा 21वें वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को लिखा गया पत्र दि.17.6.2003	89
C	लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान का संस्थापन	90-93
D	वर्ष 1973 से अब तक लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन हेतु दिये गये सुझाव	94-98
E	श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र दिनांक 7.3.2003	99
E-1	श्री लालकृष्ण आडवानी, पूर्व उप प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र दिनांक 7.3.2003	100
E-2	श्री हरिन पाठक, पूर्व राज्यमंत्री, भारत सरकार को लिखा गया पत्र दि. 7.3.2003	101
E-3	श्री लालकृष्ण आडवानी, पूर्व उप प्रधानमंत्री का पत्र दिनांक 24 मार्च, 2003	102
E-4	श्री हरिन पाठक, पूर्व राज्यमंत्री, कार्मिक, भारत सरकार का पत्र दिनांक 26.3.2003	102
E-5	श्री आर.के.सिंह, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दि. 14.5.2003	103
E-6	गृह सचिव, भारत सरकार को लिखा गया पत्र दिनांक 21.8.2003	103
F	7वें अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन-2003 बैंगलोर में पारित प्रस्ताव	104

परिशिष्ट–1

सांख्यिकी – 28 अगस्त, 1973 से 31.3.1999

वार्षिक प्रतिवेदन	समयावधि	कुल परिवाद	कुल निपटाये गये परिवाद	परिवेदनाओं का निस्तारण
1	1973-74	1922	1032	अनुपलब्ध
2	1974-75	1183	798	अनुपलब्ध
3	1975-76	1246	678	अनुपलब्ध
4	1976-77	822	773	अनुपलब्ध
5	1977-78	1243	427	अनुपलब्ध
6	1.4.78-31.3. 1979	812	336	अनुपलब्ध
	1.4.79-31.7. 1979	572	51	अनुपलब्ध
7	7.8.79-31.3. 1980	752	313	अनुपलब्ध
8	1980-81	756	360	अनुपलब्ध
9	1981-82	636	328	अनुपलब्ध
10	1.4.1982-31.3. 1983	571	163	अनुपलब्ध
	1.4.1983-31.3. 1984	641	0	अनुपलब्ध
	1.4.1984-31.3. 1985	1012	834	19
	1.4.1985-31.3. 1986	518	270	41
	1.4.1986-31.3. 1987	354	161	23
	1.4.1987-31.12. 1987	274	190	26
11	1.1.1988-30.6.1989	782	614	47
12	1.7.1989-31.12. 1989	404	206	20
13	1.1.1990-31.8. 1993	1915	1597	99
14	1.9.1993-31.3. 1996	1729	1446	85
15	1.4.1996-31.3. 1997	906	728	3
16	1.4.1997-31.3. 1998	755	629	5
17	1.4.1998-31.3. 1999	556	445	5
	कुल योगः-	**20361**	**12379**	**373**

सांख्यिकी – 1999–2000 से 2003–2004

वार्षिक प्रतिवेदन	समयावधि	कुल परिवाद	कुल निपटाये गये परिवाद	परिवेदनाओं का निस्तारण
18	1.4.1999-31.3.2000	503	249	5
19	1.4.2000-31.3.2001	1355	535	33
20	1.4.2001-31.3.2002	2468	977	60
21	1.4.2002-31.3.2003	3425	2341	110
22	1.4.2003-31.3.2004	2453	1627	66
	कुल योगः-	**10204**	**5729**	**274**

परिशिष्ट–2

1.4.2003 से 31.3.2004 तक की कालावधि के दौरान लंबित, प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों एवं 31.3.2004 को लम्बित रही शिकायतों को दर्शित करने वाला विवरण

शीर्ष सं.	विभाग का नाम	1.4.2003 को लंबित शिकायतें	1.4.2003 से 31.3.2004 तक प्राप्त शिकायतें	योग कॉलम 1 व 2	1.4.2003 से 31.3.2004 तक की शिकायतों का निपटारा	31.3.2004 को लंबित रही शिकायतें (3-4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	कृषि	13	17	30	25	5
3	पुलिस	120	161	281	194	87
4	सहकारिता	15	31	46	35	11
5	शिक्षा	50	95	145	86	59
6	कॉलेज शिक्षा	9	13	22	16	6
7	खाद्य एवं आपूर्ति	9	5	14	12	2
8	चिकि. एवं स्वा.	51	62	113	68	45
9	सा.नि.वि.	9	12	21	13	8
10	रा.रा.वि.मण्डल	28	42	70	55	15
11	राजस्व	216	239	455	296	159
12	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	73	119	192	154	38
13	अकाल एव राहत	0	4	4	4	0
14	यातायात	6	8	14	11	3
15	वन	27	25	52	29	23
16	यूडीएच/जविप्रा/एलएसजी	231	185	416	247	169
17	जनसम्पर्क	0	1	1	1	0
18	आबकारी	7	6	13	4	9
19	उद्योग	8	7	15	9	6
20	मुद्रण एवं लेखन	0	0	0	0	0
21	पशुपालन	3	4	7	3	4
22	भेड़ एवं ऊन	0	0	0	0	0
23	सिंचाई	19	16	35	13	22
24	इं.गा.नहर परि.	4	5	9	6	3
25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	1	0	1	1	0
26	उपनिवेशन	4	4	8	4	4
28	न्याय	4	12	16	14	2
29	जेल	4	7	11	5	6
30	श्रम	3	3	6	4	2
31	पी.एच.ई.डी.	25	37	62	40	22
32	समाज कल्याण	0	11	11	9	2
33	भू-प्रबन्ध	5	2	7	2	5
34	सचिवालय	23	22	45	34	11
35	विविध	59	130	189	151	38
40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	2	0	2	2	0
41	आयुर्वेद	6	9	15	8	7
42	देवस्थान	9	8	17	8	9
43	रा.रा.प.प.निगम	9	15	24	15	9
44	वाणिज्यिक कर	10	12	22	14	8
45	खान एव भूविज्ञान	8	22	30	15	15
46	संस्कृत शिक्षा	1	0	1	0	1
47	बीमा एवं प्रा.निधि	13	17	30	19	11
48	तकनीकी शिक्षा	0	1	1	1	0
योग:-		**1084**	**1369**	**2453**	**1627**	**826**

परिशिष्ट–3

1.4.2003 से 31.3.2004 तक की कालावधि के दौरान परिवादीगण को लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप से प्रदान किये गये विभागवार अनुतोष वाले प्रकरण

शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या	शीर्ष संख्या	विभाग का नाम	संख्या
2	कृषि	-	23	सिंचाई	-
3	पुलिस	1	24	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना	-
4	सहकारिता	1	25	राणा प्र. सागर/जवाहर सागर	-
5	शिक्षा	4	26	उपनिवेशन	-
6	कॉलेज शिक्षा	2	28	न्याय	-
7	खाद्य एवं आपूर्ति	-	29	जेल विभाग	-
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	7	30	श्रम विभाग	-
9	सार्वजनिक निर्माण विभाग	-	31	जनस्वा. अभियांत्रिकी विभाग	-
10	रा.रा.वि.मण्डल	7	32	समाज कल्याण विभाग	-
11	राजस्व	13	33	भू–प्रबन्ध विभाग	-
12	ग्रा. वि. एवं पंचायतीराज	5	34	सचिवालय	-
13	अकाल एव राहत	-	35	विविध	6
14	यातायात	1	40	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
15	वन	-	41	आयुर्वेद	-
16	नविआ/जविप्रा/एलएसजी	11	42	देवस्थान	-
17	जनसम्पर्क	-	43	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	1
18	आबकारी	-	44	वाणिज्यिक कर	-
19	उद्योग	-	45	खान एव भूविज्ञान	-
20	मुद्रण एवं लेखन	-	46	संस्कृत शिक्षा	-
21	पशुपालन	-	47	राज्य बीमा एवं प्रावधायीनिधि	7
22	भेड़ एवं ऊन	-	48	तकनीकी शिक्षा	-
				योग:	66

परिशिष्ट-4

Comparative Chart of Grievances Redressed

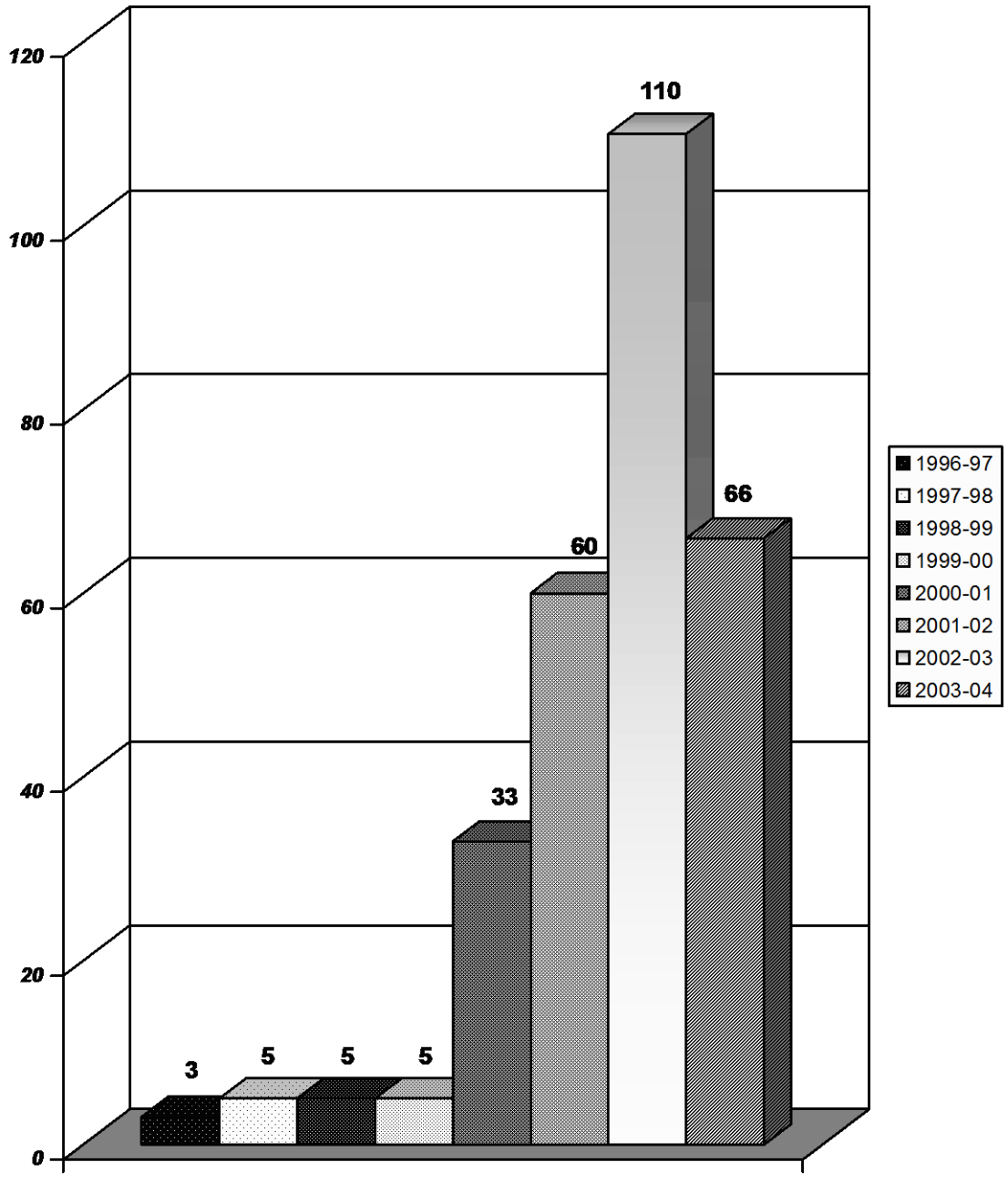

परिशिष्ट-5

Chart of Grievances Redressed during the period from 26.11.1999 to 31.03.2004

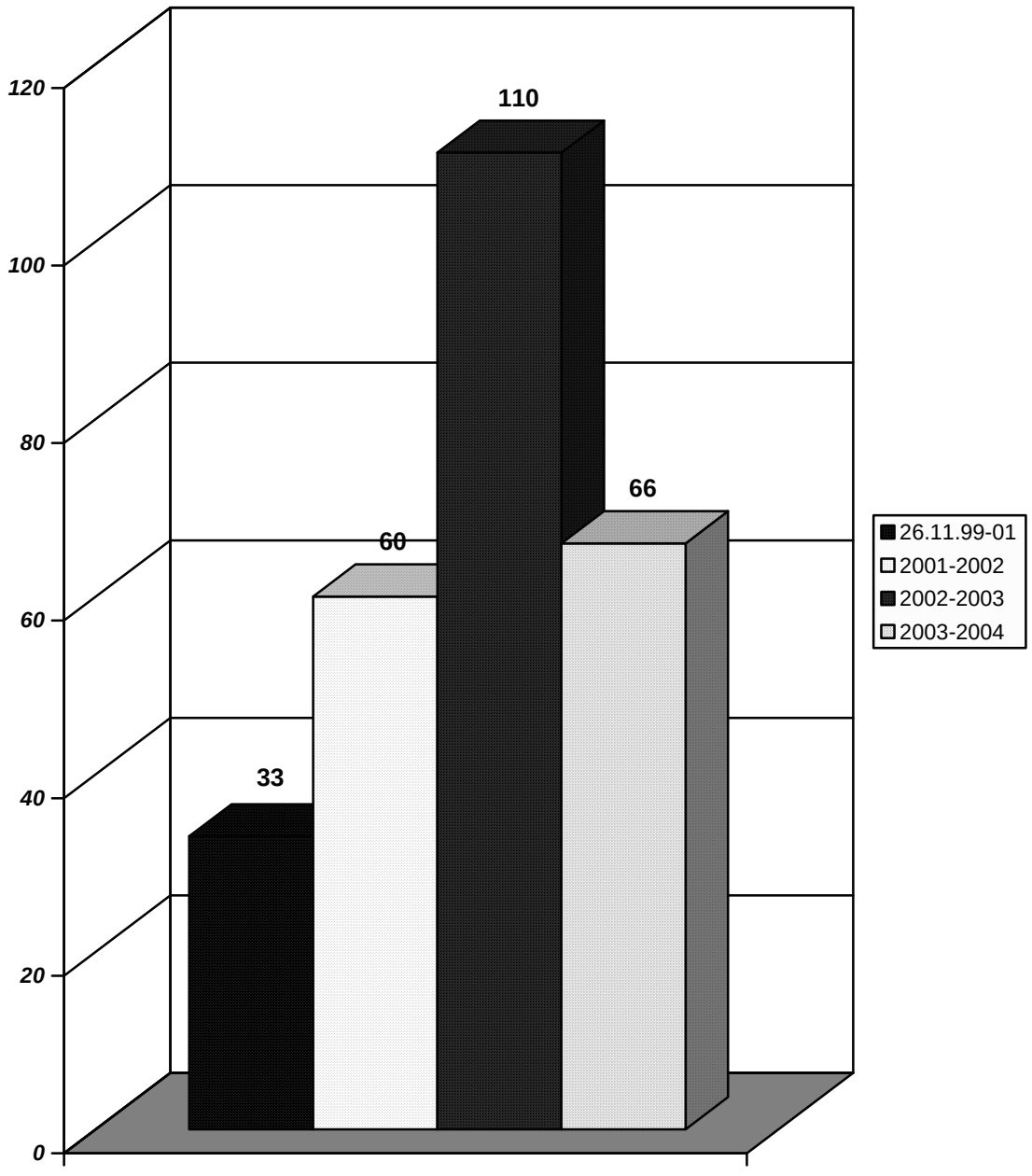

परिशिष्ट-6

1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाई गई प्रारंभिक जांचों की संख्या दर्शाने का विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	1.4.2003 को लम्बित प्रारंभिक जांच	49
2	1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि के दौरान संस्थित की गई प्रारंभिक जांच	20
3	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	69
4	जिनमें अभिकथन सिद्ध नहीं हो सके ।	10
5	जिनमें विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई ।	1
6	मामला पांच वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण	1
7	जिनमें अन्वेषण के पर्याप्त आधार विनिर्मित होना नहीं पाये गये।	1
8	अनुतोष प्राप्त हो गया ।	1
9	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	4
10	लोकसेवक न रहने के कारण	1
11	अन्य कारणों से	2
12	निपटायी गई प्रारंभिक जांच की संख्या (4 से 11)	21
13	जिन्हें अन्वेषण प्रारंभ किये जाने के कारण स्थानांतरित किया गया।	3
*14	जिनमें सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) में सिफारिशें की गई ।	4
15	31.3.2004 को लम्बित प्रारंभिक जांच	41

नोट:- पिछले प्रतिवेदन में लंबित पत्रावलियों की संख्या 49 की बजाय सहवन से 50 दर्शा दी गई थी जबकि वास्तव में 1.4.2003 को 49 पत्रावलियां ही लंबित थी ।

*5(31)2000, 11(90)2000, 3(89)2000, 47(4)2000

परिशिष्ट–7

1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि के दौरान लम्बित, संस्थित एवं निपटाये गये अन्वेषण प्रकरणों की संख्या दर्शाने का विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	1.4.2003 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	17
2	1.4.2003 से 31.3.2004 की कालावधि के दौरान संस्थित किये गये	8
3	योग (पंक्ति संख्या 1 व 2)	25
4	अन्वेषण के पश्चात अभिकथन सिद्ध न होने से नस्तीबद्ध किये गये प्रकरण	9
5	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण	–
6	अनुतोष प्रदान कर दिये जाने के कारण	–
7	लोकसेवक के लोकसेवक न रहने के कारण	1
8	जिनमें संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अधिनियम की धारा–12(1) के अन्तर्गत सिफारिशें भेजी गई ।	1
9	कुल निपटाये गये अन्वेषण प्रकरण योग (पंक्ति संख्या 4 से 8)	11
10	31.3.2004 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	14

नोट:– पिछले प्रतिवेदन में लंबित पत्रावलियों की संख्या 17 की बजाय सहवन से 18 दर्शा दी गई थी जबकि वास्तव में 1.4.2003 को 17 पत्रावलियां ही लंबित थी ।

परिशिष्ट–8

1.4.2003 से 31.3.2004 तक की कालावधि में अधिनियम की धारा 12(1) के अधीन प्रेषित किये गये प्रतिवेदनों का विवरण

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया	प्रेषित किये जाने की दिनांक
1.	11(202)2002 तथ्यात्मक प्रतिवेदन	श्री यादराम यार्य, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, झुन्झूनू	मंत्री, कार्मिक विभाग	18.7.2003 6.10.2003
		अनुशंसा:– लोकसेवक को रूपये उधार लेकर नहीं चुकाने का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई । **विशेष विवरण:–** राज्य सरकार ने शिकायत निजी वसूलियों से संबंधित होने के कारण प्रकरण को बंद करने का निर्णय लिया है । राज्य सरकार से यह स्पष्टीकरण चाहा गया कि क्या मामले का परीक्षण राजस्थान असैनिक सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम 4(2) एवं नियम 19 (2)(बी) के अन्तर्गत किया गया है अथवा नहीं, जिसका स्पष्टीकरण अभी तक अपेक्षित है ।		
2.	3(35)2003 तथ्यात्मक प्रतिवेदन	अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त श्री भंवरलेक मोहम्मद, तत्कालीन सर्किल इन्स्पेक्टर, राई का बाग, जोधपुर द्वारा राज्य सरकार द्वारा गठित अपीलीय कमेटी को तीन लाख रूपये की रिश्वत देकर सेवा में वापिस लिये जाने के आदेश बाबत।	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान	19.7.2003
		• To reconsider the entire matter after considering the entire service record, in the light of above discussion objectively and pass a suitable legal and proper order in public interest following principles of law laid down by the Hon'ble Supreme Court, and in consonance with the promise and commitment of transparency, accountability and clean administration. • In light of the above discussion and legal position to reconsider the continuance of Memorandum No. F. 15(3)FD(Rules)/99 Jaipur, dated 3.12.2002. **विशेष विवरण:–** माननीया श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री राजस्थान ने अपने पत्र दिनांक 7.1.2004 द्वारा यह अवगत कराया कि वे इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग को भिजवा रही है। तत्पश्चात् कोई सूचना प्राप्त नही हुई है।		
3.	14(14)2001 तथ्यात्मक प्रतिवेदन	श्री भगवानाराम, तत्कालीन कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी, करौली	आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान	9.5.2003
		अनुशंसा:– लोकसेवक बस नम्बर आर.जे.25पी/0390, जिसपर राज्य सरकार का 364665/– रुपये का टैक्स बकाया चल रहा था, को गलत रुप से छोड़ने का आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये जाने पर व आयुक्त, परिवहन विभाग द्वारा उसके विरुद्ध 17सीसीए के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किये जाने को अपर्याप्त मानते हुये उसके विरुद्ध 16सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अभिशंसा गई । **विशेष विवरण:–** उपर्युक्त अभिशंसा की पालना में पत्र दिनांक 20.10.2003 द्वारा यह सूचित किया गया कि लोकसेवक श्री भगवानाराम को 17सीसीए के अन्तर्गत जारी आरोप पत्र में दोषी मानते हुये उन्हे 3000/– रुपये की शास्ती से दण्डित किया गया है।		

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया	प्रेषित किये जाने की दिनांक
4.	6(10)2000 तथ्यात्मक प्रतिवेदन	माह मई 2000 से 15 फरवरी, 2001 तक काफी संख्या में कॉलेज व्याख्याताओं के स्थानान्तरण करके पुनः उसी स्थान पर स्थानान्तरित किये बाबत ।	○ माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान ○ मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान	3.7.2003
		अनुशंसाः- राज्य सरकार द्वारा व्याख्याताओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र ऐसी नीति बनाई जावे जिससे इस तरह के मामलों में पुनरावृति न हो । **विशेष विवरणः-** तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने पत्र दिनांक 6.10.2003 द्वारा व्याख्याताओं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति का प्रारुप तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश निदेशक, कॉलेज शिक्षा देकर इस सचिवालय को सूचित किया है व यह भी सूचित किया है कि नीति को अन्तिम रुप दिये जाते समय इस सचिवालय द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जावेगा। **आगे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।**		
5.	5(31)2000 प्रा.जांच	श्री सूरजकरण पुरोहित, तत्कालीन संस्था प्रधान, राज. नव माध्यमिक विद्यालय, तेलीवाड़ा, बीकानेर	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	14.11.2003
		अनुशंसाः- लोकसेवक को तत्कालीन परीक्षा प्रभारी श्री शिवलाल वर्मा के साथ मिलकर उत्तर पुस्तिकाओं में काँट छाँट कर छात्रों को उत्तीर्ण कर दिये जाने व बावजूद इत्तिला के उत्तर पुस्तिकाओं का समस्त रिकार्ड नियम विरुद्ध नीलामी कर सबूत नष्ट कर दिये जाने का दोषी पाये जाने पर इस सम्बन्ध में पुलिस थाना कोतवाली, बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 84/98 को एवं 17 सीसीए की कार्यवाही को अपर्याप्त मानते हुए विभागीय जाँच के निष्कर्षो के अनुरुप दोषी लोकसेवक के विरुद्ध 16 सीसीए के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई। **विशेष विवरणः-** अभिशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अभी तक अपेक्षित है।		
6.	35(31)2001 तथ्यात्मक प्रतिवेदन	श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत, तत्कालीन उप पंजीकय, जोधपुर	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर	14.7.2003
		अनुशंसाः- विवादित दस्तावेज को गलत ढ़ग से पंजीकृत किया जाना पाये जाने पर सम्बन्धित लोकसेवक के विरुद्ध कुछ कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई । **विशेष विवरणः-** विभाग ने लोकसेवक द्वारा की गई कार्यवाही को बदनीयतीपूर्ण न होकर बोनाफाइड मानने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लिया ।		
7.	44(12)2003 तथ्यात्मक प्रतिवेदन	अलवर संभाग में पशुधन क्रय कर-संग्रहण का नियम विरूद्ध ठेका दिये जाने के संबंध में	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।	6.12.2003
		अनुशंसाः- बिक्री कर संग्रहण का प्रथम ठेका नियमानुसार खुली नीलामी से ही किया जावे और खुली नीलामी में शिकायतकर्ता की बोली 57 लाख रूपये रहेगी जिस हेतु उसके द्वारा प्रस्तुत खाते में देय चैक को रिकार्ड पर रखा जावे । **विशेष विवरणः-** अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही सूचना अपेक्षित है ।		

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया	प्रेषित किये जाने की दिनांक
8.	11(90)2000 प्रा.जांच.	श्री अशोक यादव, तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ।	11.6.2003
		अनुशंसाः- वन विभाग की चक 7 पीजीएम के मुरब्बा नं. 293/439 की 14 बिस्वा भूमि पर श्री सुन्दरसिंह विश्नोई द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण के मामले में न्यायालय में लंबित मुकदमें में सभी सुसंगत प्रलेख व साक्ष्य प्रस्तुत कर विभाग का पक्ष मजबूती से रखे व न्यायालय के अंतिम निर्णय से इस सचिवालय को अवगत करावें । राजस्थान में वन विभाग के अधीन भूमि का सीमांकन करवाया जाकर उसके प्रलेखों का उचित संधारण सुनिश्चित कराया जावें ताकि भविष्य में वन भूमि पर किये जाने वाले किसी भी अतिक्रमण की दशा में त्वरित कार्यवाही की जा सके। इस संबंध में की गई कार्यवाही की पालना 3 माह में इस सचिवालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें । **विशेष विवरणः-** अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही सूचना अपेक्षित है ।		
9.	3(89)2000 प्रा.जांच	**श्री कान्ता सिंह, सब इंसपेक्टर, पुलिस थाना, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर**	शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	29.4.2003
		अनुशंसाः- तत्कालीन महानिदेशक पुलिस श्री अमिताभ गुप्ता के आदेश की पालना न करने में जो जो कर्मचारी/अधिकारी दोषी रहे, उनके विरूद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही की जावे । थानेदार श्री कान्तासिंह द्वारा अपने परिचित व अपने संबंधियों को गवाह बना कर परिवादी के पुत्र के विरूद्ध असत्य मुकदमा आरक्षी केन्द्र मटीली राठान में दर्ज कराया गया, इस प्रकार श्री कान्ता सिंह, थानेदार ने लोकसेवक के नाते अपने पद का दुरूपयोग किया, इस हेतु उसके विरूद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही की जावे । **विशेष विवरणः-** अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।		
10.	16(147)2001 अन्वेषण	**श्री बद्रीनारायण, आर.ए.एस. तत्कालीन उपायुक्त, जोन-सी-2, जयपुर विकास प्राधिकारण, जयपुर ।**	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	21.11.2003
		अनुशंसाः- "--Recommendation is made to Jaipur Development Authority to make regularisation in favour of Subhash Sindhi Co-operative Housing Society on the basis of lawful title and possession be restored to the said society." **विशेष विवरणः-** अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।		
11.	11(88)2000 तथ्यात्मक प्रतिवेदन	**श्री एल.एन.चौधरी, तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर, पुनर्वास, देवली, जिला टोंक**	माननीय मंत्री, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर ।	6.2.2003 29.4.2003
		अनुशंसाः- संभागीय आयुक्त, अजमेर की रिपोर्ट प्रेषित करते हुए यह अनुशंसा की गई कि इस प्रकरण में राज्य सरकार स्तर पर श्री एल.एन.चौधरी, तत्कालीन अतिरिक्त कलेक्टर, पुनर्वास, देवली, जिला टोंक के विरूद्ध विभागीय जांच कर दण्डित किया जावे व नियमों के अन्तर्गत अनियमित आवंटनों को निरस्त करने पर भी विचार किया जावे । **विशेष विवरणः-** अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।		

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम एवं पदनाम/विषयवस्तु, जिसके विरूद्ध/संबंध में अनुशंसा की गई	सक्षम प्राधिकारी, जिसे प्रतिवेदन प्रेषित किया गया	प्रेषित किये जाने की दिनांक
12.	31(4)2001 तथ्यात्मक प्रतिवेदन	**श्री रामराज मीणा, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, हिण्डौन सिंटी, जिला करौली**	शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	22.5.2003
		अनुशंसाः- श्री रामराज मीणा, अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विरूद्ध शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांकः प.1(6)पीएचई/2002 दिनांक 25.4.2003 में प्रस्तावानुसार 16 सीसीए के अन्तर्गत कार्यवाही 10 दिवस में की जावे । **विशेष विवरणः-** अनुशंसा की पालना में की गई कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।		

नोटः- 8 पत्रावलियों में तथ्यात्मक प्रतिवेदन के पश्चात, 3 पत्रावलियों में प्रारंभिक जांच के पश्चात् एवं 1 पत्रावली में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को प्रतिवेदन प्रेषित किये गये ।

परिशिष्ट-9

बजट 1990-91 से 2003-2004

वर्ष		संवेतन	यात्रा	चिकित्सा	कार्यालय व्यय	साक्षी व्यय	सत्कार	लेखन सामग्री	मुद्रण	संविदा पर कार्य	वाहन क्रय	कुल स्वीकृत	वास्तविक व्यय
1990-91	S	1,395,000	25,000	25,000	147,000	3,000	1,000					1,596,000	
	A	1,062,500	1,400	23,600	114,400	2,800	-						1,204,700
1991-92	S	1,300,000	10,000	35,000	176,000	3,000	1,000					1,525,000	
	A	1,103,800	6,500	35,000	160,400	3,000	2,100						1,310,800
1992-93	S	1,550,000	20,000	40,000	188,000	15,000	3,000					1,816,000	
	A	1,389,200	10,700	40,000	182,100	11,600	-						1,633,600
1993-94	S	1,930,000	25,000	50,000	225,000	15,000	3,000					2,248,000	
	A	1,545,299	15,749	50,000	224,908	5,097	-						1,841,053
1994-95	S	2,125,000	27,000	55,000	245,000	15,000	3,000					2,470,000	
	A	1,678,381	15,501	54,998	245,032	7,348	-						2,001,260
1995-96	S	2,345,000	25,000	55,000	322,000	15,000	3,000					2,765,000	
	A	2,064,478	19,657	54,989	297,013	13,609	2,424						2,452,170
1996-97	S	2,730,000	25,000	60,000	284,000	15,000	3,000	15,000	14,000	20,000		3,166,000	
	A	2,173,977	55,280	55,000	257,154	7,539	29,243	12,698	5,070	-			2,595,961
1997-98	S	3,290,000	75,000	55,000	205,000	15,000	3,000	15,000	10,000	-	300,000	3,968,000	
	A	2,457,324	44,112	49,944	190,865	12,317	1,598	14,102	5,591	-	-		2,775,853
1998-99	S	4,690,000	100,000	55,000	265,000	15,000	3,000	15,000	15,000	1,000	-	5,159,000	
	A	4,185,794	16,349	54,990	273,182	4,182	2,968	14,993	5,600	-			4,558,058
1999-00	S	4,735,000	100,000	55,000	250,000	15,000	3,000	15,000	15,000	-		5,188,000	
	A	4,053,260	25,935	60,000	177,396	2,976	-	8,566	5,866				4,333,999
2000-01	S	4,855,000	100,000	75,000	400,000	15,000	3,000	30,000	30,000	-		5,508,000	
	A	4,437,897	75,356	74,993	399,937	14,971	1,062	30,000	2,996	-			5,037,212
2001-02	S	5,330,000	100,000	75,000	524,000	40,000	3,000	40,000	50,000	-	-	6,162,000	
	A	4,732,814	52,228	75,026	524,000	23,049	2,462	39,999	49,998	-	-		5,499,576
2002-03	S	4,900,000	100,000	80,000	600,000	40,000	3,000	50,000	50,000	-	-	5,823,000	
	A	4,756,879	93,803	80,000	600,000	19,242	2,790	50,000	50,000	-	-		5,652,714
2003-04	S	6,100,000	100,000	100,000	1,377,000	40,000	3,000	50,000	50,000	-	-	7,820,000	
	A	56,69,784	22,571	96,950	14,68,091	23,061	2,141	49,828	57,240				7,389,666
	कुल स्वीकृत											55,214,000	
	वास्तविक व्यय												48,286,622
	***अनुपयोजित बजट राशि**											6,927,378	

S= Sanctioned Budget, A=Actual Expenditure.

*उप लोकायुक्त तथा अन्य पदों के समय-समय पर रिक्त रहने के कारण ।

परिशिष्ट–10

वित्तीय वर्ष 2003–2004 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	मूल अनुदान (लाखों में)	संशोधित अनुदान (लाखों में)	वास्तविक व्यय
1.	संवेतन	53.50	61.00	56.70
2.	यात्रा व्यय	1.00	1.00	0.23
3.	चिकित्सा व्यय	1.00	1.00	0.97
4.	कार्यालय व्यय	17.13	13.77	14.68
5.	साक्षियों का व्यय	0.40	0.40	0.23
6.	सत्कार व आतिथ्य	0.03	0.03	0.02
7.	लेखन सामग्री	0.50	0.50	0.50
8.	मुद्रण	0.50	0.50	0.57
कुल योगः–		**74.06**	**78.20**	**73.90**

परिशिष्ट-A

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: पं.4(5)मं.मं./94 जयपुर, दिनांक 29 जुलाई, 1997

आज्ञा

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त एक्ट, 1973 में प्रस्तावित संशोधनों का परीक्षण करने हेतु निम्न मंत्रिगण की समिति का गठन किया जाता है :-

1.	श्री हरिशंकर भाभड़ा, उप मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री भंवर लाल शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री	सदस्य
3.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री	सदस्य
4.	श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री	सदस्य
5.	श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री	सदस्य
6.	श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री	सदस्य

उपर्युक्त समिति लोकायुक्त एवं अखिल भारतीय लोकायुक्त कान्फ्रेन्स द्वारा इस संबंध में दिये गये विभिन्न सुझावों पर भी विचार करेगी । समिति अपनी रिपोर्ट 6 माह में प्रस्तुत करेगी । समिति के समक्ष मामलों का प्रस्तुतीकरण कार्मिक विभाग द्वारा किया जावेगा ।

अशोक जैन
विशिष्ठ शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप मुख्यमंत्री महोदय
2. स्वायत्त शासन मंत्री
3. सार्वजनिक निर्माण मंत्री
4. राजस्व मंत्री
5. गृह मंत्री
6. ऊर्जा मंत्री
7. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
8. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
9. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग ।
10. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर ।
11. विशिष्ठ शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-A-1

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक: पं.6(15)प्र.सु./अनु.3/2000 जयपुर, दिनांक 8 जून, 2000

आज्ञा

राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधनों का परीक्षण करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

1.	श्री बी.डी.कल्ला, कार्मिक मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री प्रद्युम्न सिंह, मंत्री, वित्त विभाग	सदस्य
3.	श्री गुलाब सिंह शक्तावत, मंत्री, गृह विभाग	सदस्य
4.	श्रीमती कमला, मंत्री, सिंचाई विभाग	सदस्य
5.	श्री सी.पी.जोशी, मंत्री, पंचायत राज	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग	सदस्य
7.	शासन सचिव, विधि विभाग	सदस्य
8.	शासन सचिव, कार्मिक विभाग	सदस्य-सचिव

उपर्युक्त समिति राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार कर 2माह में अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

इस समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा ।

सुरेश कुमार माथुर
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, मंत्री जी, कार्मिक विभाग
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सदस्य सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग के माध्यम से ।
6. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को अशा0टीप प.6(12)कार्मिक/क-3/96 दिनांक 8.6.2000 के क्रम में आदेश की 20 प्रतियां समिति से संबंधित सदस्यों को भिजवाने हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

परिशिष्ट-A-2

Dr. Padam Kumar Jain RHJS
Secretary

D.O.letter No.F.1(11)LAS/96/8171
Jaipur, dated: February 5, 2004

My dear Shri

I am directed to seek the following information from the Government.

The Cabinet Secretariat of the Government of Rajasthan vide order No.F.4(5)Cabinet/94 dated 29th July, 1997 had constituted a Committee of six members headed by Shri Hari Shanker Bhabhra, the then Deputy Chief Minister to examine the proposed amendments in the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973. The Committee was also directed to examine the various suggestions made by the All India Conference of Lokayuktas.

Another Committee was also constituted vide order No.F.6(15)Admn.Reforms/ Section-3/2000 dated 8th June, 2000 issued by the Department of Administrative Reforms, Government of Rajasthan consisting of eight members headed by Shri B.D.Kalla, the then Minister for Department of Personnel to examine the same question. Copies of both the orders are enclosed herewith for ready reference.

I hope, that these Committees must have submitted their reports to the Government. If so, when and whether any action has been taken on their reports.

I would feel obliged, if copies of reports of both the Committees are forwarded to this office for the perusal of Hon'ble Lokayukta at the earliest.

Awaiting your early response in the matter.

With regards,

Yours sincerely,
Sd/-
(Dr. Padam Kumar Jain)

Shri R.K.Nair IAS
Chief Secretary,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

Encl: As above.

परिशिष्ट-B

निर्मल चन्द्र जैन
राज्यपाल, राजस्थान

राजभवन
जयपुर-302 006

अ.शा. एफ.5(1)आरबी/99/5749
दिनांक 17.6.2003

प्रिय श्री गहलोत जी,

लोकायुक्त राजस्थान ने दिनांक 10.6.2003 को अपना 21वां वार्षिक समेकित प्रतिवेदन सौंपा, जिसे मैंने तुरन्त आपको प्रेषित कर दिया ।

लोकायुक्त पद की स्थापना उस सोच का परिणमन थी कि जो भारतवर्ष में प्राचीन काल से मन और मस्तिष्क में छाया रहा है । **तब सर्वशक्तिमान राजा भी राजा-ऋषि के दण्ड के आगे नतमस्तक रहा करता था । उससे इस कल्पना को जन्म मिला कि जिसके हाथ में राजनैतिक एवं आर्थिक शक्ति निहित हो, उसके ऊपर भी यदि एक अनुशासनात्मक व्यवस्था हो, तब अधिकार सम्पन्न व्यक्ति निरंकुश नहीं रह जाता है और यह प्रजातन्त्र का मूलमंत्र है ।**

विभिन्न लोकायुक्त महोदायों ने समय-समय पर अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में यह मत व्यक्त किया है कि अभी उस संस्था के हित में बहुत कुछ करना बाकी है । मैं इस संबंध में अपने कोई विचार जोड़ना नहीं चाहता । लोकायुक्त के 21वें वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ कर मुझे लगा कि **उनके मन में कुछ वेदनायें हैं कि उचित व्यवस्था के अभाव में और विधिक कमजोरी के कारण वे उतना नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक लोकायुक्त से वास्तिविक अपेक्षा है ।**

यह पत्र उनकी इस वेदना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ ।

धन्यवाद ।

आपका शुभेच्छु,
ह0/-
(निर्मल चन्द्र जैन)

श्री अशोक गहलोत,
मुख्यमंत्री, राजस्थान,
जयपुर ।

प्रतिलिपि लोकायुक्त महोदय, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।

ह0/-
राज्यपाल, राजस्थान

परिशिष्ट-C

संस्थापन

पदनाम	दिनांक, जिससे पद सृजित हुआ	स्थाई/अस्थाई	पदों की संख्या	शेष			विशेष विवरण
				अस्थाई	स्थाई	योग	
सचिव							
सृजन	भरने की दिनांक से	अस्थाई	1	1	-	1	प.4(11)पर्स/ए-1/73 दिनांक 20.9.73
स्थाई	1.3.77	स्थाई	1	-	1	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.77
उप सचिव							
सृजन	भरने की दिनांक से	अस्थाई	1	1	-	1	प. 1(48)कार्मिक/ए-4/73 दि. 21.9.73
स्थाई	1.3.79	स्थाई	1	-	1	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.79
सहायक सचिव							
अनु.अधि. से क्रमोन्नत	-	स्थाई	1	-	1	1	प. 6(7)कार्मिक/ए-3/78 दिनांक 12.9.79
निजी सचिव							
सृजन	3.10.73	अस्थाई	1	1	-	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
	30.8.73	अस्थाई	1	2	-	2	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दि. 26.11.73
एबियेन्स	25.6.74	अस्थाई	1	1	-	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 10.2.75
स्थाई	1.3.79	स्थाई	1	-	1	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.79
पद समाप्त	-	स्थाई	1	-	-	-	प. 6(7)कार्मिक/ए-3/78 दिनांक 2.7.79
सृजन	भरने की दिनांक से	अस्थाई	1	1	-	1	प. 6(7)कार्मिक/ए-3/78 दिनांक 2.7.79
व.निजी सहायक से क्रमोन्नत	1.4.99	स्थाई	1	1	1	2	प. 6(1)कार्मिक/ए-3/93 दिनांक 17.5.99
अनुभाग अधिकारी							
सृजन	3.10.73	अस्थाई	2	2	-	2	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
	28.2.75	अस्थाई	1	3	-	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 10.2.75
स्थाई	1.3.77	स्थाई	1	2	1	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.77
स्थाई	1.3.79	स्थाई	1	1	2	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.79
सहायक सचिव में क्रमोन्नत	-	स्थाई	1	1	1	2	प. 6(7)कार्मिक/ए-3/78दि. 12.9.79
स्थाई	-	स्थाई	1	-	2	2	प. 6(15)कार्मिक/ए-3/81दि. 24.1.94

पदनाम	दिनांक, जिससे पद सृजित हुआ	स्थाई/अस्थाई	पदों की संख्या	शेष			विशेष विवरण
				अस्थाई	स्थाई	योग	
वरिष्ठ निजी सहायक							
निजी सहायक से क्रमोन्नत	-	स्थाई	1	-	1	1	प. 6(7)कार्मिक/ए-3/78दि. 12.9.79
निजी सहायक से क्रमोन्नत	भरने की दिनांक से	स्थाई	1	-	2	2	प. 6(1)कार्मिक/ए-3/94दि. 23.5.95
निजी सचिव में क्रमोन्नत	1.4.99	स्थाई	1	-	1	1	प. 6(1)कार्मिक/ए-3/93 दिनांक 17.5.99
पद समाप्त	1.4.2000	स्थाई	1	-	-	-	प.6(8)कार्मिक/ए-3/परि./99दि. 6.5.2000
पुनर्जीवित	-	स्थाई	1	-	1	1	प.6(8)कार्मिक/ए-3/परि./99दि. 7.5.2001
वरिष्ठ स्टेनो/निजी सहायक							
सृजन	3.10.73		3	3	-	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
स्थाई	1.3.77	-	1	2	1	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.77
स्थाई	1.3.79	स्थाई	2	-	3	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.79
वरिष्ठ निजी सहायक में क्रमोन्नत	-	स्थाई	1	-	2	2	प. 6(7)कार्मिक/ए-3/78दि. 12.9.79
वरिष्ठ निजी सहायक में क्रमोन्नत	-	स्थाई	1	-	1	1	प. 6(1)कार्मिक/ए-3/94दि. 23.5.95
कनिष्ठ स्टेनो/स्टेनो							
सृजन	3.10.73	अस्थाई	3	3	-	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
स्थाई	1.3.79	स्थाई	1	2	1	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.79
सृजन	भरने की दिनांक से	अस्थाई	1	3	1	4	प. 6(1)कार्मिक/ए-3/93 दिनांक 30.7.93
पुस्तकालयाध्यक्ष							
सृजन	भरने की दिनांक से	अस्थाई	1	1	-	1	प. 6(6)कार्मिक/ए-3/98 दिनांक 14.9.98
पद समाप्त	16.3.99	अस्थाई	1	1	-	1	प. 6(6)कार्मिक/ए-3/परि./98दि. 16.3.99
सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष							
सृजन	1.4.97	अस्थाई	1	1	-	1	प. 6(1)कार्मिक/ए-3/परि./93दि. 23.4.97

पदनाम	दिनांक, जिससे पद सृजित हुआ	स्थाई/अस्थाई	पदों की संख्या	शेष			विशेष विवरण
				अस्थाई	स्थाई	योग	
सहायक							
वरिष्ठ लिपिक से क्रमोन्नत	-	स्थाई	1	-	1	1	प. 6(7)कार्मिक/ए-3/78 दिनांक 12.7.79
पद समाप्त	1.4.2000	स्थाई	1	-	-	-	प.6(8)कार्मिक/ए-3/परि./99दि. 6.5.2000
पुनर्जीवित	-	स्थाई	1	-	1	1	प.6(8)कार्मिक/ए-3/परि./99दि. 7.5.2001
कम्प्यूटर ऑपरेटर							
सृजन	1.4.97	अस्थाई	1	1	-	1	प. 6(1)कार्मिक/ए-3/परि./93 दि.23.4.97
पद समाप्त	1.4.2000	अस्थाई	1	-	-	-	प.6(8)कार्मिक/ए-3/परि./99दि. 6.5.2000
वरिष्ठ लिपिक							
सृजन	3.10.73	अस्थाई	3	3	-	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
कनिष्ठ लिपिक से क्रमोन्नत	भरने की दिनांक से	अस्थाई	1			4	प. 6(7)कार्मिक/ए-3/75 दिनांक 18.8.75
स्थाई	1.3.77	स्थाई	2	2	2	4	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.77
स्थाई	1.3.79	स्थाई	1	1	3	4	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.79
सहायक में क्रमोन्नत	-	स्थाई	1	1	2	3	प. 6(7)कार्मिक/ए-3/78 दिनांक 12.7.79
स्थाई	-	स्थाई	1	-	3	3	प.6(15)कार्मिक/ए-3/81 दिनांक 24.1.94
कनिष्ठ लिपिक							
सृजन	3.10.73	अस्थाई	8	T	-	8	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
वरिष्ठ लिपिक में क्रमोन्नत	भरने की दिनांक से	अस्थाई	1	T	-	7	प. 6(7)कार्मिक/ए-3/75 दिनांक 18.8.75
स्थाई	1.3.77	स्थाई	3	4	3	7	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.77
स्थाई	1.3.79	स्थाई	4	-	7	7	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.79
लेखा लिपिक/क.लेखाकार							
सृजन	3.10.73		1	1	-	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
स्थाई (क.लेखाकार)	1.3.77	-	1	-	1	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.77

पदनाम	दिनांक, जिससे पद सृजित हुआ	स्थाई/अस्थाई	पदों की संख्या	शेष			विशेष विवरण
				अस्थाई	स्थाई	योग	
गनमैन							
सृजन	3.10.73	अस्थाई	1	1	-	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
सृजन	15.2.74	अस्थाई	1	2	-	2	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 22.6.74
सृजन	29.2.76	अस्थाई	1	3	-	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 14.7.75
स्थाई	1.3.77	स्थाई	1	2	1	3	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.77
पद समाप्त							
जमादार							
सृजन	3.10.73	अस्थाई	1	1	-	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से क्रमोन्नत	भरने की दिनांक से	अस्थाई	1	2	-	2	प.5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 26.11.73
स्थाई	1.3.79	स्थाई	2	-	2	2	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.79
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी							
सृजन	3.10.73	अस्थाई	13	13	-	13	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
जमादार में क्रमोन्नत	भरने की दिनांक से	अस्थाई	1	1		12	प.5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 26.11.73
स्थाई	1.3.77	स्थाई	5	7	5	12	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.77
स्थाई	1.3.79	स्थाई	7	-	12	12	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.79
पद समाप्त	1.4.97	स्थाई	1	-	11	11	प. 5(1)कार्मिक/ए-3/93 दिनांक 23.4.97
साइकिल सवार							
सृजन	3.10.73	अस्थाई	1	1	-	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 3.10.73
स्थाई	1.3.79	स्थाई	1	-	1	1	प. 5(6)कार्मिक/ए-3/73 दिनांक 16.5.79
तामील कुनिन्दा							
सृजन	भरने की दिनांक से	अस्थाई	2	2	-	2	प. 6(6)कार्मिक/ए-3/98 दिनांक 14.9.98

परिशिष्ट-D

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु वर्ष 1973 से अब तक दिये गये महत्वपूर्ण सुझाव व प्रत्युत्तर

धारा	दिये गये सुझाव	प्रत्युत्तर
2	धारा 2(बी) में यह स्पष्टीकरण लगाया जाना चाहिए कि फण्डस में बिना चेक धन जमा करने को अवैध धन प्राप्त करना माना जाना चाहिए । ☞ अ.शा. पत्र क्रमांक:डी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977	X
2	धारा 2(बी) में अभिकथन की परिभाषा में क्लाज (3) निम्नानुसार जोड़ा जाना चाहिए:- ''अपने पद का दुरूपयोग किया है और अपने द्वारा जानबूझ कर किये गये कृत्य, लोप या उपेक्षा से राज्य की सम्पत्ति या राजकोष को पर्याप्त हानि पहुंचाई है।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 10 से 12	X
2	धारा 2 में निम्न उपखण्ड (2) जोड़ा जाना चाहिए :- ''कोई व्यक्ति जो किसी लोकसेवक द्वारा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार करने को दुष्प्रेरित कारित और पता लगने से छिपाने का प्रयास करता है, भ्रष्टाचार करने वाले की कोटि में आता है ।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 10	X
2	धारा 2(i) में संशोधन करके विधायकों, पूर्व मंत्रियों एवं अन्य लोकसेवकों, जो कि शिकायत प्राप्त होने की दिनांक से पांच वर्ष पूर्व तक उस पद पर रहे हैं, को भी लोकसेवक की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए । ☞ अ.शा. पत्र क्रमांक:डी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977 ☞ अ.शा. पत्र क्रमांक: 3243 दिनांक 23.10.92 ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 13 व 14	X
2	धारा 2 (i) (iii) में संशोधन करके निम्न जोड़ा जाना चाहिए :- ''राजस्थान पंचायत अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किसी ग्राम पंचायत का सरपंच।''	X
2	धारा 2(i) (iii) (b) में संशोधन करके मेयर एवं डिप्टी मेयर को भी लोकसेवक की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए । ☞ पत्र क्रमांक: एफ.39(2)लोआस/81/1310 दिनांक 20.6.95 ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 10 से 12	✓
2	धारा 2 (i) (iv)(a) के तहत् अधिसूचना जारी करके नगर निगम, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा को लोकायुक्त अधिनियम के निमित्त अधिसूचित किया जाना चाहिए। ☞ पत्र क्रमांक: एफ.39(2)लोआस/81/1310 दिनांक 20.6.95	X
2	धारा 2 (i) (iii) (ग) में निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जाय:- ''राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या गृह निर्माण सहकारी समिति के निदेशक मण्डल या कार्यकारी समिति का प्रत्येक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, सचिव या सदस्य, चाहे किसी नाम से जाने जाते हों ।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 10 से 12	X

धारा	दिये गये सुझाव	प्रत्युत्तर
2	धारा 2(c)(i) में शब्द ''सचिव'' के पश्चात् ''या अखिल भारतीय सेवा के अन्य सदस्य'' जोड़ा जाना चाहिए तथा 1974 के कार्यवाही नियमों के नियम 2 के शब्द ''सचिव'' एवं ''सक्षम प्राधिकारी'' के बीच में शब्द ''या अखिल भारतीय सेवा के अन्य सदस्य'' जोड़ें जाने चाहिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री सचिव के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के सक्षम प्राधिकारी भी हो सकें । ☞ पत्र क्रमांकः एफ.39(2)लोआस/81/3125 दिनांक 21.10.95	X
2	धारा 2 में उपखण्ड (ख) जोड़ा जाय :- ''प्रत्येक कुलपति, प्रो-कुलपति, सिनेट का सदस्य, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज का शिक्षक।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 10 से 12	X
2	अधिनियम की धारा 2 में संशोधन करके राजस्थान राज्य के अधीन या राजस्थान राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित विश्वविद्यालयों को लोकायुक्त की परिधि में लाया जाना चाहिए । ☞ अ.शा. पत्र क्रमांकःडी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977	X
2	धारा 2(i)(iv)(d) में संशोधन करके जिला स्तर के सहकारी संगठनों के नॉन आफिशियल फंक्शनरीज, जो कि अधिशाषी कार्यो में निरत हैं, को लोकायुक्त की परिधि में लाया जाना चाहिए । ☞ अ.शा. पत्र क्रमांकःडी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977	X
2	धारा 2(i)(iv)(a) में संशोधन करके ऐसे स्थानीय निकायों, जिनके क्षेत्र में 25000 की जनसंख्या या अधिक है, की सेवा या वेतन पर कार्य करने वाले सभी सेवकों को लोकायुक्त की परिधि में लाया जाना चाहिए। ☞ अ.शा. पत्र क्रमांकःडी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977 ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 9	✓
2	नगरपालिका केडर सेवा के अधिकारी, यदि किसी ऐसे स्थानीय निकाय में नियुक्त किये जाते हैं, जिसे कि लोकायुक्त अधिनियम के निमित्त अधिसूचित नहीं किया गया है, को लोकसेवक ही जाने हेतु अधिसूचना जारी की जावे । ☞ अ.शा. पत्र क्रमांकःडी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977	X
2	राजस्थान आवासन मण्डल, जो कि राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 4(3) के अन्तर्गत एक स्थानीय निकाय है, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों भी लोकायुक्त की परिधि में लाये जाने हेतु इसे लोकायुक्त अधिनियम के निमित्त अधिसूचित किया जावे। ☞ अ.शा. पत्र क्रमांकःडी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977	X

धारा	दिये गये सुझाव	प्रत्युत्तर
5	धारा 5 की विद्यमान उपधारा (3) को निम्नलिखित उपधारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जावे :- ''(3) पद पर न रहने पर, लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त किसी भी हैसियत में राजस्थान सरकार के अधीन और नियोजन या किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम सहकारी कम्पनी या राजस्थान सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन के निगम या निगमित निकाय में नियोजन के लिये पात्र नहीं होगा ।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं.10	X
5	धारा 5 (1)में शब्दों ''6 वर्षों'' को शब्दों ''5 वर्ष'' के स्थान पर रखा जाय। ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 11	X
5	धारा 5 की उप धारा (4) और अधिनियम की अनुसूची II लोपित की जानी चाहिए। धारा 5 की उप धारा (5) निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाय:-''लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा अन्य सेवा की शर्ते वहीं होंगी, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और न्यायाधीशों की सुसंगत समय पर हों ।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 10	✓
6	धारा 6 के उपखण्ड (3) के पश्चात् उपखण्ड (4) जोड़ा जाय:- ''लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 211 के अधीन संरक्षण के हकदार होंगे ।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 10	X
8	धारा 8 की उपधारा (3) को उचित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि लोकायुक्त लोक महत्व के समुचित मामलों को, चाहे वे 5 वर्ष की कालावधि के पश्चात् किये गये हों, कारण अभिलिखित करने के पश्चात् स्ववैवेकिक शक्तियां प्रदत्त की जा सके । ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 7	X
8	धारा 8 में निम्नलिखित उप खण्ड (iv)जोड़ा जाय:- ''लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त ऐसी किसी शिकायत की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, जो स्थानान्तरण, वार्षिक वेतन वृद्धि, पदस्थापन, सेवानिवृतियों, लोकसेवक की बाबत सेवा से संबसंधित अन्य किसी शर्त की बाबत शिकायत की गई हो। वह उन अधिकारियों की बाबत जो पुलिस उप निरीक्षक तथा कार्यालय अधीक्षक या अन्य सेवाओं के निरीक्षक की रैंक से नीचे के हों, शिकायतों की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा ।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 12	X
9	धारा 9(1) में संशोधन करके शब्द ''लोक सेवक से भिन्न'' को हटा लिया जाना चाहिए । ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 7, 10 व 12	X

धारा	दिये गये सुझाव	प्रत्युत्तर
10	धारा 10(2) में शब्द ''या इसके पश्चात्'' हटा दिये जाने चाहिए । ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 12	X
11	धारा 11(2) निम्न प्रकार से जोड़ी जानी चाहिए :- ''लोकायुक्त सचिवालय में अभिलिखित किये गये साक्ष्य, विभागीय जांच में, आगे कोई सबूत मांगे बिना साक्ष्य के रूप में माने जाने चाहिए ।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 12	X
12	निम्नलिखित धारा 12(क) जोड़ी जानी चाहिए :- ''लोकसेवक को अपना पद त्याग देना होगा, यदि लोकायुक्त ने ऐसा निदेश दिया हो ।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 12	X
12	निम्नलिखित उप-धारा धारा 12 (ग) जोड़ी जाये:- ''कार्यवाही को प्रारंभ करना- यदि किसी शिकायत की जांच या अन्वेषण करने के पश्चात् लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त का समाधान हो जाय कि लोक सेवक ने कोई दाण्डिक अपराध किया है और उस पर ऐसे अपराध के लिये किसी न्यायालय में अभियोग चलाया जाना चाहिए, तो वह इस आशय का एक आदेश पारित करेगा और लोक अभियोजक संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ करेगा । यदि ऐसे अभियोजन के लिये किसी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो तो किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी पूर्व स्वीकृति, ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख से समुचित प्राधिकारी द्वारा देदी गई समझी जायेगी ।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 12	X
14	इस संस्थान की स्वायत्तता और राज्य प्रशासन के नियंत्रण से मुक्ति इसकी विवेकयुक्त स्वतंत्रता की एक गारन्टी है । यह स्वायत्तता कभी भी कम नहीं की जानी चाहिए। ☞ पत्र क्रमांक: 50(12)लोआस/2000/5361 दिनांक 25.11.2000 ☞ अ.शा. पत्रांक: 31(1)लोआस/2000 दिनांक 14.12.2000 ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 4 व 19	X
14	धारा 14(3)(i) को प्रारंभिक जांचों के प्रयोजनार्थ सेवाओं का उपयोग करने हेतु भी लोकायुक्त को समर्थ बनाने के लिये संशोधित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त राज्य के किसी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति बताते हुए एक सामान्य अधिसूचना जारी की जाय । ☞ अ.शा. पत्रांक:डी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977 ☞ अ.शा. पत्रांक: एफ.1(11)लोआस/96/एसपीए-22/14.10.97 ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 5, 7 से 9, 12 से 15 व 19 से 20	X

धारा	दिये गये सुझाव	प्रत्युत्तर
16	धारा 16 में निम्नलिखित उप खण्ड (iv) जोड़ा जाये :- ''(iv) लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त को न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अर्थान्तर्गत एक न्यायालय माना जायेगा ।'' ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 12	X
18	धारा 18 को हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 की धारा 15ए की उप धारा (4) के प्रावधान के अनुसार लोकायुक्त, तथा उप-लोकायुक्त को भी अतिरिक्त कार्य सौंपे जाने हेतु संशोधित किया जाना चाहिए। ☞ अ.शा. पत्र क्रमांकः एफ.39(2)लोआस/95/561 दिनांक 5.5.95	X
18	धारा 18(2) के तहत् भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त के सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में दिया जाना चाहिए । ☞ अ.शा. पत्र क्रमांक:डी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977 ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 5 से 9	X
22	राजस्व न्यायालय, उपनिवेशन प्राधिकारी आदि के रूप में कार्य करने वाले कार्यकारी अधिकारियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से, सिवाय वे मामले जिनमें न्यायिक कार्यों का प्रयोग किया जाये, अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिए । इस संबंध में स्थिति का स्पष्टीकरण आवश्यक है । ☞ अ.शा. पत्र क्रमांक:डी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977 ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 7 व 10	X
लोकायुक्त संस्थान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए । ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 5, 19 व 20		X
अधिनियम में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त, जब उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि प्रशासन में किसी भी प्रक्रिया या चलन से भ्रष्टाचार या अवचार का अवसर मिलता है, तो वह अपना सुझाव दे सके । ☞ अ.शा. पत्र क्रमांक:डी.18/एलए/77 अगस्त 25, 1977		X
विभिन्न धाराओं में संशोधन हेतु प्रारूप अधिसूचना, 1996 व 1997 बना कर प्रेषित की गई। ☞ पत्र क्रमांकः एफ.1(11)लोआस/96/3579 दिनांक 27.2.97		X
राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की विभिन्न धाराओं का अन्य राज्यों के लोकायुक्त अधिनियमों की विभिन्न धाराओं का तुलनात्मक विवरण देते हुए विभिन्न धाराओं मे संशोधन सुझाये गये। ☞ वार्षिक प्रतिवेदन सं. 18 व 20		X

अन्वेषण हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाओं का उपयोग करने के लिये केन्द्र सरकार की सहमति प्रदान करने के संबंध में किया गया पत्राचार

परिशिष्ट–E

JUSTICE M.C. JAIN
Lokayukta, Rajasthan

D.O. Letter No. F.39(1)2000/11509
Jaipur, Dated : 7th March, 2003

Dear Prime Minister,

I wrote a D.O. letter no. F. 39(1)2000/1927-29 dated June 9, 2000 for according concurrence of the Central Government for utilising the services of C.B.I. for purposes of investigation u/Sec. 14 Sub Section 3 of the Rajasthan Lokayukta & Up Lokayukta Act, 1973 (Act No. 9 of 1973).

I also addressed a similar letter to Hon'ble Shri L.K. Advani ji, Union Home Minister, which was responded by him vide his D.O. Letter No. 1317/0/H.M.P.-2000 dated 20th June, 2000 by which my letter was forwarded to Smt. Vasundhara Raje ji, Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Thereafter, the correspondence continued with Smt. Vasundhara Raje ji, Minister of the State. But so far final action has not been taken by the Central Government in the matter. Whatever queries were made, they were replied and to my mind, there appears to be no legal hurdle in according consent of the Central Government for utilising the services of C.B.I. for purposes of investigation u/s. 14 sub-section 3 of the Rajasthan Lokayukta & Up Lokayukta Act, 1973 (Act No. 9 of 1973). I had quoted the provisions in my first letter and thereafter a copy of the Act was also forwarded to the concerned Minister of State. In reply to the letters from the above Minister of State, I clarified the legal position.

The matter requires serious consideration at your end, so that this Office may be able to utilise the services of the CBI in the most appropriate cases, which in my opinion, will go a long way to serve the cause and goals of good governance to combat, corruption and abuse of power. I may mention that investigation U/s 14(3) is not an investigation under Cr.P.C. and entries in the Union List are not at all attracted.

I hope the matter will be finally settled and also decision will be taken for according concurrence of the Central Government for utilising the services of the Central Bureau of Investigation.

Copies of the entire correspondence are enclosed for ready reference.

With warm regards,

Yours sincerely,
Sd/-
(M.C.Jain)

Hon'ble Shri Atal Bihari Vajpayee,
Prime Minister, Government of India,
Central Secretariat, New Delhi.

परिशिष्ट–E-1

JUSTICE M.C. JAIN
Lokayukta, Rajasthan

D.O. Letter No. F.39(1)2000/11510
Jaipur, Dated : 7th March, 2003

Dear Deputy Prime Minister,

I wrote a D.O. letter no. F. 39(1)2000/1928 dated June 9, 2000 for according concurrence of the Central Government for utilising the services of C.B.I. for purposes of investigation u/Sec 14 Sub-Section 3 of the Rajasthan Lokayukta & Up Lokayukta Act, 1973 (Act No. 9, 1973), which was forwarded by you to Smt. Vasundhara Raje ji, Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. Thereafter, the correspondence continued with Smt. Vasundhara Raje ji, Minister of the State. But so far final action has not been taken by the Central Government in the matter. Whatever queries were made , they were replied and to my mind, there appears to be no legal hurdle in according consent of the Central Government for utilising the services of C.B.I. for purposes of investigation u/s. 14 sub Section 3 of the Rajasthan Lokayukta & Up Lokayukta Act, 1973 (Act No. 9 of 1973). I had quoted the provisions in my first letter and thereafter a copy of the Act was also forwarded to the concerned Minister of State. In reply to the letters from the above Minister of State, I clarified the legal position.

The matter requires serious consideration at your end, so that this Office may be able to utilise the services of the CBI in the most appropriate cases, which in my opinion, will go a long way to serve the cause and goals of good governance to combat, corruption and abuse of power. I may mention that investigation u/s. 14(3) is not an investigation under Cr.P.C. and entries in the Union List are not at all attracted.

I hope the matter will be finally settled and also decision will be taken for according concurrence of the Central Government for utilising the services of the Central Bureau of Investigation.

Copies of the entire correspondence are enclosed for ready reference.

With warm regards,

Yours sincerely,
Sd/-
(M.C.Jain)

Hon'ble Shri Lal Krishna Advani,
Deputy Prime Minister,
Government of India,
Central Secretariat, New Delhi.

परिशिष्ट–E-2

JUSTICE M.C. JAIN
Lokayukta, Rajasthan

D.O. Letter No. F.1(4)2000/11511
Jaipur, Dated : 7th March, 2003

Dear Minister,

I had written a D.O. letter to the Union Home Minister Shri Lal Krishna Advani ji bearing number F.1(4)LAS/2000/7580 dated 23.2.2000, which was forwarded by him to the then Minister of State, Department of Personnel, Public Grievances and Pensions, Smt. Vasundhara Raje ji.

I had made a request for according concurrence of the Central Government for utilising the services of C.B.I. for purposes of investigation u/Sec. 14 Sub Section 3 of the Rajasthan Lokayukta & Up Lokayukta Act, 1973 (Act No. 9 of 1973). The correspondence continued since then and I had received the last letter from Smt. Vasundhara Raje ji dated 5th July, 2002 stating therein that she had asked her department to look into the matter and shall revert to me at the earliest. Since then, nothing has been heard in the matter. The matter has already been very much delayed.

I therefore, request you to finalise the matter at your earliest convenience and concurrence may kindly be accorded for utilising the services of C.B.I. in some most appropriate cases under Section 14(3) of Rajasthan Lokayukta & Up Lokayukta Act, 1973.

With warm regards,

Yours sincerely,
Sd/-
(M.C.Jain)

Hon'ble Shri Harin Pathak,
Union Minister,
Personnel, Public Grievances and Pensions,
Government of India,
168, Udyog Bhawan,
New Delhi - 110011.

परिशिष्ट-E-3

L.K.Advani
Deputy Prime Minister

No.O.666/HMP/03 24 MAR 2003

Dear Justice Jain Ji,

I am in receipt of your letter dated 7th March 2003 along with its enclosures seeking concurrence of the Central Government for utilçing the services of the Central Bureau of Investigation.

I am having the matter look into.

With regards,

Yours sincerely,
(L.K.ADVANI)

Justice M.C.Jain,
Lokayukta, Rajasthan,
Government Secretariat Premises,
Bhagwan Das Road, JAIPUR.

परिशिष्ट-E-4

हरिन पाठक

राज्य मंत्री,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन,
भारत सरकार

No.1738/VOP/MOS/(PP)/03
26 MAR 2003

Dear Shri Justice Jain Ji,

Thank you for your D.O.letter No.F.1 (4) 2000/11511 dated 7th March 2003 drawing attention to your letter dated 23rd February 2000 regarding grant of permission to utilçe the services of the CBI in come most appropriate cases under Section 14(3) of Rajasthan Lokayukta & Up-Lokayukta Act, 1973, and requesting for an expeditious reply to the issue.

I have asked my Department to look into the matter and shall revert to you at the earliest.

With regards,

Yours sincerely,
(HARIN PATHAK)

HON'BLE JUSTICE M.C.JAIN
Lokayukta, Rajasthan
Government Secretariat Premises,
Bhagwan Das Road, Jaipur-302 002

परिशिष्ट-E-5

संयुक्त सचिव
R.K.Singh

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

D.O.No.24013/69/2003-CSR-III
New Delhi, the 14th May, 2003

Dear Sir,

Kindly refer to your letter No.39(1)/2000/11510 dated 7.3.2003 addressed to the Deputy Prime Minister regarding the concurrence of the Central Government for the utilçation of the services of the Central Bureau of Investigation by the Lokayukta, Rajasthan.

2. The Central Bureau of Investigation has now been placed under the Cabinet Secretariat. Your letter under reference has, therefore, been forwarded to Shri Anoop Mukherjee, Joint Secretary, Cabinet Secretariat for appropriate action.

With regards,

Yours sincerely,
(R.K.Singh)

Justice M.C.Jain,
Lokayukta, Rajasthan,
Government Secretariat Premises,
Bhagwan Das Road, Jaipur.

परिशिष्ट-E-6

D.O. letter No. F.39(1)LAS/2000/Compd/ 4423
Jaipur, dated: August 21, 2003

My dear Shri

Please find enclose herewith a copy each of Compendium, Abstract Compendium of the Sixth All India Conference of Lokayuktas and Up-Lokayuktas, 2001 held at New Delhi on 22nd and 23rd January, 200, two copies of Model Lokayukta Bill and a copy of correspondence regarding concurrence by the Central Government for utilçing the services of the CBI by the Lokayukta, Rajasthan for the needful at your end. This is in reference to dialogue between Hon'ble Deputy Prime Minister and Hon'ble Mr. Justice M.C.Jain, Lokayukta, Rajasthan on August 13, 2003.

Yours sincerely,
(Bhanwaroo Khan)

Shri N. Gopalaswami,
Home Secretary,
Ministry of Home Affairs, Government of India,
North Block, New Delhi - 110 001
Encl: As above.

परिशिष्ट–F

7th Conference
Minutes Of The Meeting Of Lokayukts/Lokpals And Up-Lokayukts Held On 18th January 2003, At The Conference Hall Of Karnataka Lokayukta At M.S. Building, Bangalore At 2.30P.M.

A meeting of Lokayuktas/Upa-Lokayuktas was held in the Conference Hall of Karnataka Lokayukta at Bangalore on 18th January 2003 at 2.30 p.m. under the Chairmanship of Hon'ble Mr. Justice Façanuddin, Lokayukta of Madhya Pradesh.

The Following attended the meeting: -

1. Hon'ble Mr. Justice Façanuddin, Lokayukta, Madhya Pradesh
2. Hon'ble Mr. Justice N.Venkatachala, Lokayukta, Karnataka
3. Hon'ble Mr. Justice M.C. Jain, Lokayukta, Rajasthan
4. Hon'ble Mr. Justice Om Prakash Verma, Lokayukta, Himachal Pradesh.
5. Hon'ble Mr. Justice S.C. Verma, Lokayukta, Uttar Pradesh
6. Hon'ble Mr. Justice V.P. Tipnis, Lokayukta, Maharashatra
7. Hon'ble Mr. Justice S.M.Soni, Lokayukta, Gujarat
8. Hon'ble Mr. Justice P.C. Balakrishna Menon, Lokayukta, Kerala
9. Hon'ble Mr. Justice K.M. Agarwal, Lokayukta, Chhattisgarh
10. Hon'ble Mr. Justice S.K.Chawla, Upa-Lokayukta, Madhya Pradesh
11. Hon'ble Mr. R.C. Iyer, Upa-Lokayukta, Maharashtra
12. Hon'ble Mr. Justice T.V.Ramakrishnan, Upa-Lokayukta, Kerala
13. Hon'ble Mr. M. Ramakrishna, Upa-Lokayukta, Andhra Pradesh

The following Resolutions were passed in the above meeting: -

Resolution No.1 : The Meeting of the Lokayuktas/Upa-Lokayuktas held in the Conference Hall of Karnataka Lokayukta, Bangalore, to day condoled the sad demise of Hon'ble Mr. Justice Dharam Veer Saigal, Lokayukta of Punjab, who died in harness. The Association of Lokayuktas/Lokpals/Upa-Lokayuktas expressed their heart-felt condolences on the sad demise of Hon'ble Mr. Justice Dharam Veer Sehgal and prayed to God that the Departed Soul may rest in peace. Copy of this Resolution may be sent to the Members of his family.

Resolution No.2 : It was resolved that the Working Committee of the Association shall take appropriate steps in respect of the following matters:

As it is realised that a Lokayukta or an Upa-Lokayukta could make a positive contribution in improving governance in his/her State in the matter of delivery of Public services by public servants of the State, as also, in the matter of curbing corruption among the public servants in the State, if the Lokayukta Act under which they are appointed, enables them to do so, the Committee shall request the Hon'ble Union Home Minister, to persuade the State Governments to have their Lokayukta Acts enacted by their respective Legislatures on the basis of Model Lokayukta Act, as far as the conditions in the State permits. The Committee shall also request the Hon'ble Union Home Minister, to have the Lokpal Bill pending its passage in Parliament, passed by it, so that the impression carried by people, that no Government at the Centre, will allow the Lokpal Bill passed, is dislodged.

Wherever the vacancy in the office of the Lokayukta/Lokpal or Upa-Lokayukta had not been filled-up by the concerned Government, such Government shall be requested by the Committee, to take the needed steps in that regard.

The Committee shall also take steps to move the Central Government for conferment of Constitutional Status upon the Lokayuktas/Lokpals and Upa-Lokayuktas, as the conferment of such status, may give the needed impression that they are Constitutional Functionaries and their recommendations to be made to Governments are to be treated with the respect they deserve.

Resolution No. 3 : The Association resolves to gratefully thank the Government of Karnataka for having extended all the help and the hospitality needed for the holding of the Conference in Bangalore and to make it a grand success.

The Working Committee of the Association is authorçed to communicate this resolution of thanks to the Chief Secretary to the Government of Karnataka for placing it before the Government.

Resolution No. 4 : It was resolved that the next meeting of the Association will be held on 22.3.2003 at 11 a.m. at Gujarat Bhavan, New Delhi.

The meeting was thereafter concluded with a vote of thanks to the Chair and to all present.

CHAIRMAN